राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का अट्ठाइसवां दिवस [संख्या : 12

सोमवार,

23 अप्रैल, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान व हरियाणा के मध्य वाहन संचालन समझौते पर पुनर्विचार

270. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान एवं हरियाणा के मध्य यात्री वाहन संचालन हेतु समय-समय पर पारस्परिक अन्तरराज्यीय परिवहन समझौते हुए हैं? यदि हां, तो कब-कब ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1968 के बाद राजस्थान व हरियाणा के मध्य वर्ष 1997 अर्थात् 29 वर्षों बाद पारस्परिक वैध समझौता हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 के समझौते के बाद में भी कतिपय मार्गों पर यातायात सुविधा स्कोप यात्री संख्या से कम है जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ?

(4) क्या उक्त संबंध में श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री मुरलीधर निवासी भादरा ने दिनांक 5.12.2000 एवं अन्य तिथियों में सचिव यातायात विभाग को लिखित प्रतिवेदन देकर अवगत कराया कि समझौते के कतिपय मार्गों पर स्कोप बढ़ाया जाना जनहित में है एवं समझौते के अन्तर्गत कुछ और नये मार्ग जोड़े जाने चाहिये ?

(5) क्या उक्त प्रकार की मांग काफी समय से उठ रही है? यदि हां, तो उसका कोई निराकरण क्यों नहीं हो रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त स्कोप बढ़ाने एवं नये मार्ग खोलने के प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय विधायक ने अपने पत्र दिनांक 6.12.2000 द्वारा सचिव परिवहन को वो ही मांगें दोहराई हैं? यदि हां, तो उक्त मांगों पर कोई विचार क्यों नहीं हुआ है ?

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त मांगों पर विचार नहीं करने में परिवहन विभाग के कतिपय अधिकारियों एवं उक्त मार्गों के वर्तमान निजी अनुज्ञापत्रधारियों के मध्य सांठ-गांठ है ?

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) जी, हां। वर्ष 1968 में

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

दिनांक 5, 6, 7 एवं 8 फरवरी एवं वर्ष 1997 में 15 जुलाई, को अन्तरराज्यीय वाहन संचालन हेतु राजस्थान-हरियाणा राज्यों के मध्य पारस्परिक समझौते हुए हैं।

(2) जी, हां।

(3) वर्ष 1997 में समझौता उस समय की मांग के अनुसार किया गया था। पुनः नवीन समझौते के समय आवश्यकता एवं आपसी सहमति के अनुसार स्कोप तय किये जा सकेंगे।

(4) जी, हां।

(5) जी, नहीं। इस संबंध में केवल निर्मल कुमार का ही पत्र जनवरी, 2001 में प्राप्त हुआ है।

(6) जी, हां। माननीय विधायक जो कि प्रश्नकर्त्ता हैं, का पत्र दिनांक 6.12.2000 को परिवहन कार्यालय में प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों को इन प्रस्तावों के सर्वे आदि की कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है। राज्यों के आपसी करार के मार्गों पर सेवाओं का निर्धारण अथवा बढ़ोतरी दोनों राज्यों की आपसी सहमति एवं समझौते से ही संभव है।

(7) जी, नहीं। इस मांग में उल्लिखित नवीन मार्गों का सम्मिलितीकरण एवं वर्तमान मार्ग के स्कोप का संशोधन दोनों राज्य सरकारों की आपसी सहमति एवं समझौते के बाद ही हो सकता है।

श्री नन्दलाल पूनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या 19.8.1985 को परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी थी, स्कोप को रिवाइज करने के लिये और उसमें जिला कलक्टर, जिले के एस.पी. जिला प्रमुख और बी.डी.ओ. को सदस्य सचिव बनाया गया था? क्या उस कमेटी की सिफारिश को 1997 के समझौते में लागू किया गया था या उस पर कोई कंसीडरेशन हुआ था? दूसरा, 1968 में जो समझौता हुआ और 1997 में जो समझौता हुआ, कुछ मार्गों पर 1997 में वही स्कोप निर्धारित कर दिये गये थे जो 1968 में थे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितना ट्रैफिक बढ़ा है 29 सालों में, क्या इस अंदाज का समावेश पारस्परिक समझौता करने में किया गया है?

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1975, 1981, 1983 और 1986 में जो समझौते हुए थे, क्या उनको दोनों स्टेट्स ने लागू किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि 1997 में दोनों स्टेट्स हरियाणा और राजस्थान का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें हिन्दी के एग्रीमेंट में और अंग्रेजी के एग्रीमेंट में क्या फर्क था? उस फर्क से कितने लोगों को नुकसान उठाना पड़ा? समय की बरबादी हुई, पैसे की बरबादी हुई, लोगों को हाई-कोर्ट तक जाना पड़ा।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, रूट का संचालन दोनों राज्यों के

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

करार के अनुसार हो रहा है। जैसे जुलाई, 1997 में परिवहन करार हुआ था उसके अनुसार 236 मार्गों पर यात्री वाहनों का संचालन किया जा रहा है। इसमें से 149 मार्ग राजस्थान स्टेट रोडवेज़ के पास में हैं और 87 मार्ग निजी वाहनों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा है कि राज्य के संचालित मार्गों की जो कमेटी गठित की गयी वह केवल स्कोप की वृद्धि के लिये गठित की गयी थी, अन्तरराज्यीय मार्गों के लिये नहीं की गयी थी, तो उसके अनुरूप उन्होंने निर्णय लिया है। इस करार के माध्यम से राजस्थान द्वारा हरियाणा में कुल 67579 किमी. का संचालन हो रहा है जिसमें से 45698 किमी. रोडवेज चला रहा है और निजी वाहन स्वामियों द्वारा 21821 किमी. संचालित हो रहा है। हरियाणा द्वारा 52636 किमी. रोडवेज के द्वारा और 10232 किमी. प्राइवेट ओनर्स द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या 1968 और 1997 के बीच में जनसंख्या की और ट्रैफिक की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई? सिद्धमुख-हिसार, सिद्धमुख-भिवानी, सिद्धमुख-तोशाम, दो अनुज्ञा-पत्र, वापसी सेवाएं जो 1968 में थी वही आप 1997 में एग्रीमेंट कर रहे हो। क्या इन रूटों पर कोई ट्रैफिक नहीं बढ़ा? क्या इण्टर स्टेट रूट में यात्रियों की संख्या कम होती जाती है? 30 साल का समय निकल गया उस एग्रीमेंट को लागू हुए, 1968 के बाद 1997 में वैसा ही एग्रीमेंट कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में आपका कोई विचार है नया समझौता करने के लिये? जिन रूट्स पर ट्रैफिक ज्यादा है उन रूट्स पर क्या आप निकट भविष्य में समझौता करने जा रहे हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावनाओं से मैं परिचित हुआ हूं। निःसन्देह जो भी प्रपोजल्स आते हैं उनको इण्टर स्टेट लेवल पर समझौते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब कभी भी दोनों राज्यों की आपसी समझौते के अनुसार मीटिंग होगी उस समय जो भी प्रपोजल्स आपने दिये हैं या अन्य प्रपोजल्स आएंगे उनको देखेंगे। रोडवेज के माध्यम से प्रपोजल आते हैं, तीनों प्रपोजल्स में अगर रोडवेज को कहीं तकलीफ होती है या उनके संचालन में बाधा पड़ती है प्राइवेट बस आपरेटर्स के द्वारा, वे अपना आब्जेक्शन पेश करते हैं। आब्जेक्शन के बाद में पूरा नोटिफिकेशन हो जाता है, नोटिफिकेशन के बाद फिर दोनों स्टेट्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं और फिर उसका नोटिफिकेशन होता है तब जाकर ये करार होते हैं। जो भावना आयी है उसका सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे के बाद में जब आपस में दोनों स्टेट्स की मीटिंग होगी उस समय निःसन्देह हम उस पर पूरा ध्यान देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक सवाल यह पूछा है कि जो वहां यात्रियों को ज्यादा लोड है और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

डिमाण्ड है, उस के अनुरूप आप नया समझौता करने का विचार रखते हैं क्या? यदि हां तो कब तक? सवाल सीधा इतना-सा ही है। आपने जो पुराना समझौता किया था उसके हिसाब से तो वाहनों का संचालन हो रहा है। लेकिन आज यात्री भार और डिमाण्ड को देखते हुए क्या आप नया समझौता करके और उस रूट पर वाहन चलाने का इरादा रखते हैं क्या? यह बात है स्पेसिफिक जो बता दीजिए, इसमें भावनाओं को देखकर क्या करेंगे?

श्री छोगाराम बाकोलिया : सम्माननीय सदस्य की जो भावना आपने व्यक्त की है, वास्तव में इन सारी चीजों का सर्वे होता है कि यात्री भार कितना है, रूट पर क्या पोजीशन है। दूसरी जो शंकाएं आप व्यक्त कर रहे हैं उन सबका सर्वे होता है। उस रूट पर वे चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं, अपन उस रूट को आपरेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, प्राइवेट आपरेटर्स कितना अपने रूट को चलाना चाहते हैं। उसके ऊपर दोनों राज्यों की आपस में राय ली जाती है। कमिश्नर बैठेंगे, उसके बाद में आर.टी.ओ. वगैरह बैठते हैं उसके बाद निर्णय होता है। जो वायबल होता है उसको इण्टर स्टेट से अपन....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आप सर्वे कराएंगे मार्ग का?

श्री छोगाराम बाकोलिया : सर्वे के लिए आदेश दे दिये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक पूरा हो जाएगा यह? नहीं, कोई टाइम तो बताया होगा न कि एक महीने में, पन्द्रह दिन में, कितने दिन में सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी?

श्री छोगाराम बाकोलिया : सर्वे की रिपोर्ट, जब भी इण्टर स्टेट मीटिंग होती है.. ..(व्यवधान) माननीय सदस्य, जब भी इण्टर स्टेट की मीटिंग होती है, मीटिंग में इस तरह के प्रकरण आ जाते हैं तो आपस में दोनों स्टेट पहले बात करते हैं और जब डेट फिक्स-अप होती है उससे पहले-पहले सर्वे की रिपोर्ट अपने-आप आ जाती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हरियाणा राज्य से वार्ता के लिए कोई समय निर्धारित हुआ? कब तक कर लेंगे आप हरियाणा राज्य से बात?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा और राजस्थान के बीच में पहला करार 1968 में हुआ और दूसरा करार 1997 का हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि 1968 के इकरार के बाद कितने स्कोप निकाले और 1997 के बाद कितना स्कोप निकाला? इसके लिए जो आपने सर्वे किया उस सर्वे के मापदंड क्या थे? यह करार 1968 में किस स्तर पर हुआ और 1997 में किस स्तर पर हुआ?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आपको पता है वस्तुस्थिति क्या है, क्यों पूछ रहे हो?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा और राजस्थान के मध्य

(श्री अमराराम)

अन्तरराज्यीय परमिट है, 1968 और 1997 में वही रूट है, आप तो स्कोप बढ़ाते नहीं हैं लेकिन इन्हीं रूटों पर अनआथोराइज्ड वाहन हरियाणा और राजस्थान दोनों में चल रहे हैं और राजस्थान सरकार के खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। सरकार इसको नहीं देख रही है। क्या आपने इसके सर्वे करवाये हैं, क्योंकि 1968 से 29 साल के बाद ट्रैफिक जस्ट तीन गुणा हो गया और आपके वही परमिट हैं। इसका मतलब जितनी सवारी जा रही हैं वे तो अनआथोराइज्ड वाहनों में जा रही हैं। उससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और जनहानि भी। जो अनआथोराइज्ड वाहन हैं क्या इनको रोकने के लिए सरकार स्कोप बढ़ाने के लिए तैयार है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो यह बता दो कि 1968 में कितना स्कोप था और 1997 में कितना स्कोप हुआ? 1968 में कितने वाहन चले रहे थे और 1997 में कितने वाहन चल रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : जितने आपने चलाये थे। जितने अवैध वाहन आपने चलाये थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अवैध तो इनकी मिलीभगत से है।

एक माननीय सदस्य : अब तो ठीक हो गये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उन सबका अब तक का फिगर बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य सचेतकजी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपके शासन में अवैध वाहन नहीं चल रहे हैं? या आप इसको स्वीकार कर रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, जितने आपने चलाये थे उनमें कमी हुई है। रोक लगाई गई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बढ़ोतरी हुई है।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : ज्यादा चल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने खुली छूट दे रखी थी।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री जीतमल खांट : इससे ज्यादा चल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये हरियाणा के बार्डर के जिले में से आते हैं, रोज यात्रियों को दिक्कत होती है। वहां पर आपके जुगाड़ हैं, टाटा 407 है, प्राइवेट वाहन इस कदर चलते हैं, सरकारी तो इक्का-दुक्का ही दिखता है। फिर आप कहते हो कि रोडवेज घाटे में जा रही है। घाटे में जाने का एक काम तो आप खुद कर रहे हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके लिए तो चारों दिशाएं खुली हैं। कहां से चलते हो, कहां टिकते हो, कोई पता ही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह भी काबिलीयत की बात है।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि आपने दो साल में इस रोडवेज को 150 करोड़ रुपये के घाटे में पहुंचा दिया है, इसका पूरा भट्टा आप कब तक बैठा देंगे ? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : यहां रोडवेज कहां से आ गया ?

श्री केसाराम चौधरी : आप यह बता दो कि इसका पूरा भट्टा कब तक करके.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई भट्टा नहीं बैठाया है बल्कि ट्रांसपोर्ट विभाग को 150 करोड़ की आय एक्स्ट्रा और कराई है जब से मैं आया हूं। जहां तक माननीय सदस्य का स्कोप से सम्बन्धित प्रश्न है, इन्होंने....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो जो ईमानदार आदमी आते हैं उनको नहीं टिकने देते। ईमानदार आदमी को हटा दिया।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक सवाल का उत्तर नहीं आया है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : आपने डिपो खोलने में रिकार्ड तोड़ा है। रेवदर में तो खोल लिया आपने और संयमजी के.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, रेवदर में तो खोल लिया है आपने और संयमजी के यहां पर नहीं खोला। सवाईमाधोपुर जिला हैडक्वार्टर में तो नहीं है डिपो और आपने रेवदर में खोल लिया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : वह अभी लाभ में चल रहा है। राजस्थान में दो डिपो ही लाभ में चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : एक रेवदर और एक डीलक्स डिपो, यह फोर योअर इंफोरमेशन बता देता हूं।

डा. के. सी. चौधरी : पहले ही बहुत आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जो आपने स्कोप के बारे में पूछा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर आप कहेंगे, अननेसेसरी हाउस का समय....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संख्या बता दो पढ़कर, आप तो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : बता देता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : केवल संख्या बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, 1968 में स्कोपों की संख्या क्या थी, 1997 में क्या हुई और आज की तारीख में क्या है और लाभ कितना हुआ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : डबल प्लाइ हो गई करीब-करीब। जो पहले स्कोप था उससे 1997 के अन्दर डबल हो गया। आप चाहें तो मैं बता देता हूं, राजगढ़-हिसार.... सुनिये-सुनिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 2001 में बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक संख्या पूछी है, मंत्रीजी तैयार होकर तो आये नहीं हैं और यहां कह रहे हैं डबल हो गई। मैं कितने का डबल मानूं, दो का चार मानूं, दस का बीस का मानूं....(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपको सुना रहा हूं न। फिर आपको सुना देता हूं, आप सुनिए जरा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो फिर आप बताओ न। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : राजगढ़ से हिसार 5.2.1970 को परिवहन विभाग द्वारा पांच अनुज्ञा-पत्र दिये गये और पांच वापस .....(व्यवधान) राजस्थान और हरियाणा राज्य के मध्य 1997 में पांच अनुज्ञा-पत्र और पांच वापसी के प्राप्त हुए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वही हुआ।

श्री छोगाराम बाकोलिया : डिफरेंस, सुनें तो सही। अब आप पूछ रहे हो तो सुनना चाहिए। दूसरा सादुलपुर से रोहतक तक.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्कोप में और अनुज्ञा-पत्र में फर्क है। जितना स्कोप है, आवश्यकता नहीं है कि उतने ही अनुज्ञा-पत्र दिये जाएं। मैं स्कोप की पूछ रहा हूं, मेरे को स्कोप का बताइये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं आपको जो जवाब दे रहा हूं वह स्कोप का ही दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अनुज्ञा-पत्र का कागज पढ़ना चालू कर दिया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपको जो स्कोप बताया उस स्कोप के अनुसार आपको रिप्लाई दे रहा हूं। आज की तारीख में....(व्यवधान) अब आप सुनना नहीं चाहें उसका क्या करूं? अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी लिस्ट है, मैं बता दूं आपको।

श्री नन्दलाल पूनिया : मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट यह सुनना ही नहीं चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सुना दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, साहब, लिस्ट की आवश्यकता नहीं है, हमें तो संख्या बता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दें। अध्यक्ष महोदय, स्कोप में और अनुज्ञा-पत्र में अन्तर होता है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, लिस्ट तो हमारे पास ही है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : संख्या के जोड़ में समय लगाऊंगा तो फिर टाइम लगेगा। आपको जो लिस्ट में स्थिति है वह बताऊं। यह तो 2001 का....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : लिस्ट तो हमारे पास भी है, लिस्ट का एग्जीक्यूशन नहीं होता जब तक....(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप जोड़ते रहना बाद में। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 1968, 1997 और अब 2001 की लेटेस्ट स्थिति क्या है, वह इंफोरमेशन आप बता दें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मौजूदा स्थिति का सर्वे किया जा रहा है, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको बता दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सर्वे कब से चल रहा है और कब होगा, आखिर जवाब दें।

डा. चन्द्रभान : यह तो हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : डा. साहब, यह बिजली का नहीं है, यह रोडवेज का है। आप यातायात मंत्री 10 साल पहले थे, अभी आप भूल गये आप क्या हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाह रहा हूं कि जो बसें घाटे में चल रही हैं उनको तो आप बंद कर रहे हो लेकिन जो बसें फायदे में चल रही हैं उनको भी बंद करना चाह रहे हैं क्या?

श्री छोगाराम बाकोलिया : इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, अलग से प्रश्न नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : 2001 का बता दो आप तो। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह रोडवेज से सम्बन्धित प्रश्न है, पूरक प्रश्न है। (व्यवधान) बाड़ी से फ़िरोजाबाद पहली बस चलती है, दो बसें हंड्रेड परसेंट फायदे में हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह राजस्थान और हरियाणा का प्रश्न है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : उस बस को बंद कर....(व्यवधान)

आपका यह सर्वे कब तक पूरा हो जाएगा, यह बता दें। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, सर्वे तो मैं बहुत जल्दी ही.... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : एक मिनट, एक मिनट।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप कहें जब, उतने टाइम पर सर्वे करवा सकता हूं, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। नन्दलालजी साहब की सिफारिश के माध्यम से जो मेरे को एप्लीकेशन मिली है केवल मात्र उसका ही सर्वे बाकी है, अन्यथा कोई रूट्स के सर्वे बाकी नहीं हैं। (व्यवधान) सर्वे कर रहे हैं। मांग आई है उसके सर्वे के लिए हमने लिख दिया है, बहुत शीघ्र उसका सर्वे हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : मंत्री महोदय, बाड़ी से फिरोजाबाद की बस को क्यों बंद करना चाह रहे हैं?

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, 1997 में एग्रीमेंट हुआ उसको लिखा है हिन्दी में पूर्व में....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पहाड़ी से फिरोजपुर जिरका, इसका सर्वे हो रहा है क्या? राजस्थान, हरियाणा का है, साहब। (व्यवधान) फिरोजपुर जिरका हरियाणा में है, पहाड़ी का है। इससे अलग नहीं है, यह इसी से सम्बन्धित है।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसका सर्वे करा लीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर नहीं कराया है तो करा लीजिए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो बसें फायदे में चल रही हैं उनको बंद कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : मेरे पूरक प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं आया है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मंत्री महोदय, बताने की कृपा करें कि जो बस फायदे में चल रही है उसको बंद कर दिया गया है, ऐसे क्या कारण आ गये?

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरे पूरक प्रश्न का जवाब ही नहीं आया है और दूसरे लोग पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि पहला एग्रीमेंट 1968 में किया उसके बाद 1997 और 1968 के बीच में भी आपने कोई समझौता किया था क्या? जो लोग 1942-43 से बसें चला रहे हैं, 1968 के एग्रीमेंट में आने वाले समय में उन परमिटों का नवीनीकरण कर रहे हैं या नहीं? नहीं तो क्यों?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, 1968 के बाद सेवाएं बढ़ाने की मीटिंग जुलाई 1981 में हुई, अगस्त 1986 में हुई तथा अगस्त के अन्दर दूसरी और

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

मीटिंग हुई। अक्टूबर 1989 में हुई और अप्रैल, 1990 में हुई जिसमें कमिश्नर लेवल के और दूसरे सभी बैठे थे। लेकिन समझौता हो सका 1997 में, क्योंकि इनके पब्लिकेशन, नोटिफिकेशन और दूसरी कई कार्यवाहियों के अन्दर पीछे रह गये थे। दोनों स्टेट ने किया नहीं था। हरियाणा ने हिन्दी और वहां की प्रोविंशियल लैंग्वेज में नोटिफिकेशन नहीं किया था इसलिए वह करार नहीं हो पाया था। 1997 में फार्मलिटीज को ज्यों ही पूरा किया उसको हमने किया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने 1968 में पहले....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैंने जो प्रश्न पूछा है....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने 1968 के पहले जो परमिट दे रखे हैं उनका आगे नवीनीकरण करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना। बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) आ गया।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा मूल प्रश्न है।

श्री धर्मपाल चौधरी : मूल प्रश्न है, साहब।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मानिक चन्द सुराना।

जोधपुर में वन्य जीवों के शिकार के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही

271. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर/अक्टूबर, 1998 में फिल्मी स्टारों के विरुद्ध 3 चिंकारा व 2 काले तीतर का शिकार करने के कारण कोई मुकदमा जोधपुर जिले के किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था? यदि हां, तो कौन-से पुलिस स्टेशन में? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में कौन-कौन से आरोपियों को कौन-सी तारीखों में कितने दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया और उनकी जमानत कौन-सी तारीखों में हुई?

(3) उक्त आरोपियों के विरुद्ध चालान कौन-सी तारीखों में प्रस्तुत किये गये थे और अब उक्त मुकदमा कौन-सी अदालत में ट्रायल के लिये लम्बित है?

(4) वन विभाग द्वारा उक्त मुकदमे की शीघ्र सुनवाई हेतु व शीघ्र निस्तारण हेतु अब तक क्या प्रयत्न किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री भगराज चौधरी) : (1) जी, हां। माह सितम्बर अक्टूबर, 1998 में फिल्म स्टारों के विरुद्ध 3 चिंकारा व 2 काले हिरण का शिकार करने के कारण कुल 3 अभियोग जोधपुर जिले के पुलिस

(श्री भगराज चौधरी)

थानों में पंजीबद्ध किये गये थे। दो अभियोग पुलिस थाना मथानिया व एक अभियोग पुलिस थाना लूणी, जिला जोधपुर में पंजीबद्ध किया गया था।

(2) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या-(1) से (9) में अंकित कर दी गयी है और सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या-2 व 3 में एवं पंजीबद्ध अभियोगों की सूचना संलग्न परिशिष्ट "स" में अंकित है और सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के पश्चात् निरन्तर प्रत्येक पेशी पर विभागीय पैरोकार एवं प्रभारी अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं जिससे मुकदमे की शीघ्र सुनवाई व निस्तारण किया जा सके।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि यह एफ.आई.आर. 11.10.98 को दर्ज की गयी है और सबसे पहले गिरफ्तारी भारत के प्रसिद्ध अभिनेता हैं सलमान खान, उनकी आपने 15 को दर्शायी है। 15 को गिरफ्तारी दिखायी है, 16 को अभिरक्षा में भेज दिया और 17 को उनकी जमानत हो गयी। खैर, जमानत देना अदालत का काम है। आपने जो 3 अभियोग दर्ज कराये, दो मथानिया में और एक लूणी में, इनकी जो रिपोर्ट आपने अभी दी है इसमें 3 अभियोगों में एक अभियोग में 29.5.99 को चालान किया। रिपोर्ट है अक्टूबर की, आपने चालान किया 29.5.99 को। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, अभियोग संख्या-180 का, दिनांक 15.10.98 को जो दर्ज किया गया था उसका चालान आपने आर्म्स एक्ट में 16.10.2000 को किया और तीसरा चालान 17.6.2000 को किया। मैं जानना चाहूंगा कि आपने सन् 2000 में जो चालान किये हैं अभियोग संख्या-180 और अभियोग संख्या-93/26 के, एक सिम्पल केस आर्म्स एक्ट का बना है, इतना लम्बा दो साल के करीब का अरसा आपको इसके चालान में, आपकी पुलिस की तफतीश में क्यों लगा? क्या तफतीश में भी दो-दो साल लगना यह साबित नहीं करता कि आपका प्रशासन इन अभिनेताओं के पूरे प्रभाव में है इसीलिए आपने उनका दो साल बाद चालान किया है? 8-10 साल बाद इसमें सजा करके उनका जो कार्यकाल है अभिनेता के युवा होने का, वह सारा कार्यकाल निकालकर जब वह बूढ़े हो जाएंगे उनको कोई सजा आपकी सरकार या जो भी सरकार होगी वह दे देगी। मैं चाहूंगा कि क्या प्रत्येक पेशी पर यह मुल्जिम उपस्थित हो रहे हैं या नहीं, यह जानकारी सदन को दें। क्या उनकी हाजिरी माफी कर दी गयी है? ...(व्यवधान) नहीं, जानकारी के तौर पर। ...(व्यवधान) आप हाजिरी माफी को अपोज भी कर सकते थे, हाजिरी माफी को ऊपर की अदालत से रद्द भी करा सकते थे।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आप विश्नोई समाज की भावनाओं का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। हिरणों का शिकार हुआ है, प्रोटेक्टेड एनीमल हैं। इनके लिये पूजनीय एनीमल हैं, 8 गांव में झगड़े हो जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप....(व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : यह विचाराधीन मुकदमा है और विचाराधीन मुकदमे के बारे में यहां चर्चा करना व्यर्थ है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जो मामला न्यायालय में है, अध्यक्ष महोदय, क्या उस पर सदन में चर्चा होने की परम्परा है? वह कोर्ट में चल रहा है, अब वन मंत्रीजी और होम मिनिस्टर साहब के हाथ की बात तो है नहीं। (व्यवधान) न्यायालय जो चाहेगा वह उसमें सजा दे। चाहे फांसी की दे, चाहे उम्र कैद की दे, चाहे बरी करे। यह तो न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, इसमें वन मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का तो कोई मामला है नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो सबको मालूम है, कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा है तो सदन में कैसे पूछने की इजाजत दी जा सकती है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : आप इनका उत्तर आने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या इस्तगासे में....(व्यवधान) शुरू हुई है, समाप्त हुई है, आप इसके बारे में बताएंगे। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो है, मगर उसके लिये पूछ नहीं रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विराजें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : न्यायालय के बारे में हम सब भी समझते हैं कि कोर्ट में किस प्रकार के मुकदमे चलते हैं। यह तो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। अब हमको क्या....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : दो साल बाद चालान क्यों किया, यह तो बताइये। दो साल बाद चालान किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह होम मिनिस्टर साहब बताएंगे। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है उसमें वजन बिलकुल नहीं है। इन्होंने तथ्यहीन बात कही है। दरअसल में मुकदमा नम्बर 162 और 163, ये दोनों मुकदमें पुलिस थाना मथानिया में दर्ज किये गये थे और 11.10.1998 को दर्ज किये गये थे। तफतीश करने के पश्चात् सामान्य जो प्रक्रिया होती है उसको देखते हुए समय के अंदर ही 29.5.1999 को चालान न्यायालय में पेश कर दिये गये थे। इनमें चार्ज भी सुना दिया गया है। चार्ज फ्रेम करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा उनको चार्जेज भी सुना दिये गये हैं 162 के अंदर।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, शहादत शुरू हो गयी क्या इस्तगासे की ?

श्री भगराज चौधरी : You know the procedure. आपको मालूम है चार्जेज सुनाने के बाद में अगली प्रक्रिया गवाहों को तलब करने की होती है। आपको मालूम है, न्यायालय का काम है, चार्जेज फ्रेम हो गये हैं, सुना दिये गये हैं। और आइन्दा प्रक्रिया आगे चालू है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे गंभीर सवाल है, दो साल तक चालान पेश करने में डिले होने का कारण बताइये आप। दो साल तक डिले कैसे किया गया ? It was a simple case. दो साल तक डिले होने का कारण बताइये, माननीय मंत्रीजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : दो साल बाद चालान क्यों किया, यह बताइये। (व्यवधान) हाई कोर्ट में पैंडिंग नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब चालान हो चुके हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय, अब चालान हो चुका है, लेकिन दो साल...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुरानाजी ने आपको काले तीतर का सवाल पूछा था उनके बारे में आपने कोई जवाब ही नहीं दिया है। काले तीतर का क्या हुआ ?

श्री भगराज चौधरी : सुराना साहब को तीतर की याद आ गयी होगी।

एक माननीय सदस्य : काला तीतर वहां होता ही नहीं है। उड़ गया वह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां ? क्या कह रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : काला तीतर वहां होता ही नहीं है, वह उड़ गया।

श्री भगराज चौधरी : तीतर का कोई शिकार नहीं किया गया। यह बात सही है कि मुकदमा जो वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्वयं दर्ज किया गया, जिसे दर्ज करने का इन्हें अधिकार था, वह दर्ज किया गया है दिनांक 2.10.1998 को। उसके पश्चात् इसमें अलबत्ता कुछ देरी जरूर हुई है चालान पेश करने के अंदर इसका मुख्य कारण यह है कि जो भी चिंकारा था काले हिरण मारे गये थे, उनके रक्त और गोश्त के सैम्पल लेकर लेबोरेटरी को हैदराबाद भेजे गये थे, जो कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया की सरकारी लेबोरेटरी है। उसमें सैम्पल्स की सही ढंग से रिपोर्ट नहीं दी गयी और उन्होंने कहा कि हमारे पास दुबारा सैम्पल भिजवाएं। तो जो सैम्पल इकट्ठे किये हुए थे। पुराने जो हमारे पास थे। उनको दुबारा भेजा गया और भेजने के बाद में उनसे कहा कि आप बिन्दुवार अलग रिपोर्ट दीजिए। उनकी रिपोर्ट हमारे पास में आयी थी दिनांक 3 जून, 2000 को, उसके बाद में दिनांक 17.6.2000 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया। ज्यों ही डी.एन.ए. की रिपोर्ट आयी उसके 10-12 दिन के अंदर-अंदर वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का समय गंवाये बिना तुरन्त न्यायालय में चालान पेश कर दिये गये। इसलिए मैं नहीं मानता कि विभाग द्वारा चालान पेश करने में कोई देरी की गयी है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, जो अदालत में सब-जुडिस है उसके बारे में तो मैं पूछूंगा ही नहीं, पर मैं यह जानना चाहूंगा कि 1998 में यह प्रकरण सामने आया, आपने डी.एन.ए. रिपोर्ट के लिये हैदराबाद को कब भेजा, कितने महीने बाद भेजा? जिसका शिकार किया गया, अध्यक्ष महोदय, वहां कोई काला तीतर नहीं है, वह काला हिरण है और चिंकारा है और ये दोनों एनीमल वाइल्ड लाइफ एक्ट के अन्तर्गत प्रोटेक्टेड एनीमल की सूची में आते हैं। तो वैसे ही इनका शिकार करना जुर्म है। एक तो आपने हैदराबाद में डी.एन.ए. के लिये भेजा, वह कब भेजा। उनकी रिपोर्ट आ गयी, यह कापी मेरे पास भी है। उन्होंने फिर आपको लिखा। आपने 1998 के बाद 12.3.1999 को सैम्पल हैदराबाद भेजा। मैं जानना चाहूंगा कि अमूमन जो भी शिकारी अवैध शिकार करता है उसको आपने जब रैंड हैंडेड पकड़ लिया या पकड़ा जाता है, क्या हर मामले में आप डी.एन.ए. के लिए हैदराबाद भेजते हो और फिर आप चालान प्रस्तुत करते हो? या इसी केस के अन्दर आपने यह लीनियेंसी बरती?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि जिस बंदूक से शिकार किया गया, जिस राइफल से किया गया वह कौनसे केलिबर की थी? पाइंट 22 राइफल थी, 30.30 बिन्चेस्टर थी, 200 हाई पावर सेविस थी या 12 बोर डी.बी.बी.एल. थी, वह कौनसी बंदूक थी? उस बंदूक को सलमान खान के सहयोगी गोवरे ने मुम्बई भेज दिया।

श्री अध्यक्ष : डी.एन.ए. और बंदूक के दो प्रश्न आपने पूछ लिये।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह जानना चाहूंगा कि शिकार के अन्दर जो भी व्यक्ति इन्वाल्व थे, क्या उनके आर्म्स लाइसेंस रद्द करने के लिए सक्षम अधिकारियों को लिखा?

श्री अध्यक्ष : श्री रतनारामजी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, केस कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। परन्तु हमारे जालौर जिले में 5-7 रोज पहले सरवाड़ा पुलिस थाने में हिरण का अवैध शिकार किया गया। पेपर में भी आया, मुकदमा भी दर्ज हो गया, तीन मुल्जिम गिरफ्तार भी हो गये।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रतनाराम चौधरी : मेरा यह कहना है कि जो अवैध शिकार करते हैं इनको ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न पूछ लीजिये आप।

श्री रतनाराम चौधरी : हां, अलग से है, साहब। मैं थोड़ा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जैसे लोमड़ी समाप्त हो गयी, कई ऐसे जानवर जो पर्यावरण के लिए जरूरी थे, दिनों-दिन खतम होते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप भी जालौर से हैं और मंत्रीजी भी जालौर से हैं, आप बात कर लेना उनसे। यह अलग से प्रश्न है।

श्री रतनाराम चौधरी : कानून जालौर का नहीं है, कानून जो है वह आपका है इसलिए कानून सख्त बनना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, माननीय दिग्विजय सिंहजी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने जो स्पेसिफिक प्रश्न किये थे उनका आप उत्तर दिलवा दीजिये, अध्यक्ष महोदय। मैंने बहुत स्पेसिफिक सवाल किये थे, जो सब-जुडिस हैं वह नहीं किये थे। डाइरेक्टली जो आपके डिपार्टमेंट से इन्वाल्व्ड हैं उसके लिए पूछा था।

एक तो यह कि डी.एन.ए. के लिए रिपोर्ट हैदराबाद भेजी, इतने दिनों बाद भेजी, डिले होने के क्या कारण थे? जो मुल्जिम पकड़े गये उनको रंगे हाथ पकड़ लिया, फार्म हाउस पर उनको पकड़ा और चिंकारा की, ब्लैक बक की हड्डी वगैरह बरामद की, उसके बाद डी.एन.ए. में क्यों भेजी? आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत इनके लाइसेंस रद्द करने के लिए सक्षम अधिकारियों को लिखा क्या?

श्री अध्यक्ष : रिपीट मत कीजिये, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुल्जिमान द्वारा किस प्रकार की बंदूक, किस मेक की यूज की गयी, इसके बारे में तो जानकारी हमारे पास है नहीं क्योंकि यह प्रश्न का विषय भी नही है। विषय तो सिर्फ यह है कि मुल्जिमान द्वारा प्रतिबंधित वन्य जीवों का शिकार किया गया। शिकार करने पर क्या मुकदमा दर्ज किया गया? किस तारीख को किया गया, उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी, अब वह मामला कहां पर पैंडिंग है, किस स्टेज पर चल रहे हैं। ये तो मामले सम्बन्धित हैं। मेरे ख्याल से बंदूक वाला मामला न तो रिलेवेंट है, न कोई पूछने वाली बात है और न कोई उत्तर दिये जाने की जरूरत है।

दूसरा प्रश्न आपने किया कि डी.एन.ए. की रिपोर्ट मंगाने हेतु आपने जो रिपोर्ट भेजी उसमें देरी हुई। मेरे ख्याल से देरी नहीं की। इस प्रकार के अपराध नये सिरे से पिछले दो साल से होने शुरू हुए। यह करीब तीन साल पुराना मामला है। ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी बरतते हुए यह देखा गया कि किसी प्रकार से मुल्जिमान अपराध की सजा पाने से वंचित नहीं रह जाएं। इसलिए सारी सावधानियां बरतते हुए सही ढंग से तफतीश करने के पश्चात् पुख्ता प्रमाण जब प्रथम दृष्ट्या उनके द्वारा अपराध घटित करने के पाये गये तो उनके सैम्पल लेकर मार्च, 1999 के अन्दर लेबोरेटरी को भेजे गये। मेरे ख्याल से इसमें कोई देरी वाली बात मुझे नज़र नहीं आती है।

(श्री भगराज चौधरी)

जहां तक आर्म्स के लाइसेंस कैंसिल करने का सवाल है, ये आर्म्स राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दिये गये हैं, न ही जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर द्वारा दिये गये हैं। मेरे ख्याल से अधिकतर जो मुख्य मुल्जिम हैं वे महाराष्ट्र के हैं और ये आर्म्स भी उन्होंने वहीं से प्राप्त किये हैं। जैसा आपने कहा, इसके बारे में एहतियात के तौर पर कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हों, निश्चित तौर से राज्य सरकार द्वारा जहां से लाइसेंस दिये गये हैं उन्हें इस प्रकार के लाइसेंस, यदि कोई दूसरे कारण न हों तो निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए लिख दिया जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्षजी, आपने 12.3.1999 को डी.एन.ए. के लिए हैदराबाद सैम्पल भेजे। आपने यह भी कहा कि उस सैम्पल में कुछ डिफैक्ट थे इसलिए सैम्पल दोबारा भेजने पड़े। उस लेबोरेटरी ने उस सैम्पल्स में क्या तो डिफैक्ट पाइंट आउट किये और आपने दोबारा सैम्पल कौनसी तारीख को भेजा जिसकी रिपोर्ट आपको 3.6.2000 को मिली? आप ये डिफैंस क्रीएट कर रहे हैं मुल्जिमों का, मुकदमा किया 16.10.2000 को और रिपोर्ट हुई है सितम्बर/अक्टूबर, 1998 में। आप यह बताएं कि डी.एन.ए. की रिपोर्ट में क्या डिफैक्ट आया? दोबारा रिपोर्ट कब भेजी? और जो रिपोर्ट उन्होंने डिफैक्टिव बतायी थी, आपने उस डिफैक्ट को दूर करने के लिए क्या किया? क्या इस प्रकार के काले हिरण के सभी मामलों में आप डी.एन.ए. की रिपोर्ट के लिए भेजते हैं या सिर्फ सलमान खान को देखकर डी.एन.ए. कि रिपोर्ट के लिए भेज दिया? बचाना चाहते हैं बड़े-बड़े सितारों को और मुम्बई में उनकी खातिर-तवज्जोह लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : किस से?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो मुम्बई नहीं गये आज तक।

श्री मानिक चन्द सुराना : सरकार तो जा रही है न मुम्बई। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग द्वारा काले हिरण के शिकार करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके सैम्पल जो हमने इकट्ठे किये थे वे डिफैक्टिव नहीं थे। हमने मार्च, 1999 में जो पहली बार भेजे थे उनकी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं आयी थी। इस बिन्दु पर कि आया यह शिकार किसी एक हिरण का है अथवा एक से अधिक हिरणों का है? किस वर्ग के हैं—काले हिरण हैं अथवा सामान्य प्रकृति के हैं? इस बारे में खुलासा नहीं होने के कारण से दोबारा लिखा गया कि आप यह बताएं कि आया हिरणों के शिकार में जो सैम्पल आपको भेजे गये हैं ये एक से अधिक हिरणों के हैं और किस प्रजाति के हिरण हैं? काले है अथवा सामान्य प्रकृति के हैं? इस पर उन्होंने गहनता से अध्ययन करने के पश्चात्, जांच करने के पश्चात् दोबारा यह रिपोर्ट की कि दो काले हिरणों का शिकार किया गया है, दो काले हिरणों के रक्त सैम्पल हैं और

(श्री भगराज चौधरी)

दोनों अलग-अलग प्रकार के हैं। जब पुख्ता रिपोर्ट आ गयी, खुलासा रिपोर्ट आ गयी तो वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 10-12 दिन के अन्दर ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस्तगासा पेश कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केवल इतना पूछना चाह रहा हूं कि काले और लाल हिरण की अलग-अलग सजा है क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हिरणों के शिकार को लेकर विश्नोई समाज के अन्दर काफी रोष है। कई बार ऐजीटेशन होते हैं, कई बार झगड़े भी होते हैं। मुकदमे तो आपने बना लिये लेकिन दो वर्ष इन्वेस्टीगेशन में लगे, अब समय ज्यादा कोर्ट में लगेगा और लोग इसको भूल जाएंगे। मैं पूरी राज्य सरकार से यह जानकारी चाहूंगा कि इस प्रकार के इम्पोर्टेण्ट केस में डे-टु-डे ट्रायल करने की व्यवस्था कर सकते हैं क्या?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के पश्चात् आप सब जानते हैं और प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी जानते हैं कि यह एक प्रक्रिया होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, होम मिनिस्टर से पूछा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी, बताओ।

श्री भगराज चौधरी : उस प्रक्रिया के दौरान ही अपराध को पुष्ट बनाने के लिए, अपराध को प्रमाणित करने के लिए गवाहियां पेश की जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सब ठीक है। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : उसके पश्चात् फिर प्रक्रिया आती है, मुल्जिमान को बचाव करने के लिए भी मौका दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है।

श्री भगराज चौधरी : सारी प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात् उसमें जो समय लगता है, उसमें तो न्यायालय का मामला है, आप खुद जानते हैं। जहां तक सवाल यह है कि इस प्रकार के मामलों में आइंदा इन्वेस्टीगेशन के दौरान में ज्यादा समय नहीं लगे, यह बात सही है कि इस प्रकार के मामले पूर्व में कम होते थे। प्रथम बार महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के अपराध घटित किये जाने के पश्चात् यह विचार किया गया कि इसमें किसी प्रकार से मुल्जिमान को बचने का मौका नहीं मिलना चाहिए और सारे तथ्य इकट्ठे करने चाहिए। इसलिए इसमें डेढ़ साल का समय जरूर लगा है। उसमें भी मुख्य कारण यह था जो पहले डी.एन.ए. रिपोर्ट आयी थी वह स्पष्ट नहीं थी। दोबारा लिखा गया, उसके पश्चात् उन्होंने डी.एन.ए. रिपोर्ट देने में काफी समय लगा दिया इसलिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा सवाल यह नहीं है, आप दो तीन बार बता चुके। विलम्ब क्यों हुआ, इसके कारण मैं नहीं पूछ रहा हूं। विलम्ब हुआ है और अब कोर्ट में विलम्ब होगा। माननीय मंत्री महोदय भी कह चुके हैं कि इस प्रकार के मामलों में देरी होने के कारण से अपराधी बच जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं विद्वान विधि मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि एक एक्जेम्पलरी काम हो—सजा मिले या नहीं मिले यह तो कोर्ट का सवाल है—लेकिन केस का डिस्पोजल जल्दी हो जाए, लोगों में असंतोष जो व्याप्त हो रहा है इस प्रकार की स्थिति नहीं रहे, ऐसी स्थिति में आप क्या डे-टु-डे ट्रायल करवाने के लिए हाई कोर्ट को लिख सकते हैं? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हमको वन विभाग की तरफ से ऐसा पत्र आएगा तो निश्चित तौर पर हम हाई कोर्ट को लिखेंगे कि इस केस को डे-टु-डे लेकर सारी एवीडेंसेज ले ली जाएं और जल्दी से जल्दी इसका फैसला कर दिया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहूंगा माननीय वन मंत्रीजी से कि आप पत्र लिखकर इनको ओब्लाइज कर देंगे क्या, ताकि आपका भी संकट मिटे और रोज-रोज हम जाते हैं, लोग डैपुटेशन लेकर मिलते हैं, हमको भी इस संकट से मुक्ति का चांस मिले? आप इनको लिख दीजिए काम ठीक हो जाएगा.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कुछ जवाब तो दिलवाइये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : आपने कह दिया, विधि मंत्रीजी अपने आप कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय, लिख देंगे या नहीं लिखेंगे?

श्री भगराज चौधरी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो सुझाव दिया है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, सुरानाजी, आप कई दफा पूछ चुके हैं। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट इन्होंने मुझे दी है, 173(8) में अभी यह मामला रि-इन्वेस्टीगेशन में है। इन्होंने यह मामला रि-इन्वेस्टीगेशन में ले लिया है 173(8) में।

(प्रश्न संख्या-272)

श्री अध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सुरेन्द्र व्यास।

राज्य की योजना के आकार में कमी

273. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की वार्षिक योजना प्रारम्भ में 4,146 करोड़ 15 लाख रुपये की निर्धारित की गई थी?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(2) उक्त योजना की क्रियान्विति के लिए सरकार ने अपने स्वयं के संसाधन कौन-कौनसे किस प्रकार व कितनी राशि के जुटाने की गणना कर आधार बनाया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य की योजना का आकार चालू वर्ष में दो बार कम किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे व राज्य के स्वयं संसाधनों में क्या कमी आ गयी थी जिसमें योजना का आकार घटाना पड़ा?

(4) क्या पूरे देश में अन्य कोई ऐसा प्रान्त है जिसने एक वर्ष में दो बार अपनी योजना का आकार घटाया हो?

राज्य मंत्री, आयोजना (श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) : (1) जी, हां। प्रदेश की वार्षिक योजना 2000-2001 का आकार प्रारम्भ में 4146.15 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था1

(2) बजट अनुमान 2000-2001 के अनुसार राज्य के स्वयं के संसाधन 2625.40 करोड़ रुपये के तथा केन्द्रीय मदद 1408.41 करोड़ रुपये की अनुमानित थी। संसाधनों का ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी, नहीं।

(4) सरकार की जानकारी में नहीं है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य संतुष्ट हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, संतुष्ट कैसे हूं। माननीय मंत्रीजी, आपने जवाब दिया है कि इसका आकार दो बार कम नहीं किया गया। कितनी बार कम किया है? कम तो किया है आपने। आपने जो टेंटेटिव प्रपोजल्स थे आपने उनको कितनी बार कम किया?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इस योजना के आकार को एक बार भी कम नहीं किया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : शुरू में आपने क्या प्रपोजल दिया था?

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में यह सरकार एक प्रश्न के उत्तर में कह चुकी है अक्टूबर-नवम्बर में कि अकाल को देखते हुए इसके आकार में 600 करोड़ के करीब की कटौती की गयी। आपने विभागवार....

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इन्हें पूछने दीजिए, सर।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना : ....34 विभागों, एक-एक विभाग में किस-किस योजना में कितनी कटौती की गयी, यह सदन के रिकार्ड पर है। आप आज फरमा रहे हैं कि एक बार भी कटौती नहीं की गयी है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार ने पहले जो सदन में जवाब दिया है और आज जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बिलकुल विरोधाभास है। इसको आप रिकंसाइल करेंगे कि कौनसा सही है और कौनसा गलत है?

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न स्थगित करवा लें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बस की बात नहीं है, स्थगित करवा लें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं न.... (व्यवधान) तैयारी है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : योजना का सवाल है इसको प्रायः देखकर आएं। (व्यवधान) यह इस सदन को गुमराह करने की कार्यवाही है। यह बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले इसी सदन में जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : बात तो सुन लो।

श्री मदन दिलावर : कभी क्या जवाब देते हैं और कभी क्या।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावरजी, बैठिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : उत्तर सुन लिया गलत। (व्यवधान) करेंगे, अभी करेंगे। आपका नम्बर आएगा तब करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा महसूस किया कि योजना के आकार में कटौती की गयी है, यह सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि राजस्थान सरकार ने योजना मद में कटौती नहीं की है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कैसे नहीं की?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सुन तो लीजिए। योजना के आकार में कमी नहीं की गयी है, कुछ परिस्थितिवश कुछ मदों में डाइवर्जन किया गया है। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में लगातार तीसरे वर्ष पड़ रहे अकाल को दृष्टिगत रखते हुए अपने स्वयं के सीमित संसाधनों से राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए 137.50 करोड़ रुपये, रबी की फसल हेतु किसानों को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति के लिए 130 करोड़ रुपये तथा पेयजल हेतु कन्टिजेंसी के लिए 80 करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल 347.50 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने हेतु विभाग की आयोजना सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आ गयी न बात।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कट नहीं है, डाइवर्जन है और परिस्थितिवश करना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : टोटल आउट-ले कम थोड़े ही हुआ है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सांवर लाल : पहले किस-किस का प्रस्तावित था, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : वह तो लम्बा है, आप चाहो तो आपको कापी दे दूं, मुझे आधा घंटा लगेगा पढ़ने में। इतना समय ही नहीं मिल पाएगा।

मैं सदन को जानकारी दे दूं कि योजना का आकार जो प्रस्तावित था शुरू में वह हमने रखा था 4146.15 करोड़ रुपये का, लेकिन बाद में जाकर इसको भी हमने बढ़ाया है और यह 4146.15 करोड़ की बजाय रिवाइज होकर 4237.94 करोड़ रुपये हुआ है।

इसका मतलब यह हुआ कि 91.79 करोड़ रुपये की योजना में बढ़ोतरी हुई है। इसकी एप्रूवल प्लानिंग कमीशन से हमको मिल भी चुकी है इसलिए यह कहना बिलकुल निराधार है कि योजना के मद में कोई कटौती की गयी है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल तो यह है, माननीय मंत्री महोदय, ये 347 करोड़ रुपये आपने डाइवर्ट किए थे इनके मूल प्रस्ताव क्या थे? दूसरा मेरा सवाल है कि माननीय भैरोंसिंहजी ने पांच वर्ष की योजना 27600 करोड़ की बनायी थी उस समय इसका आकार कितना अनुमानित था?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह डाइवर्जन परमिसिबल है क्या? पहले आपने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के लिए अकाल का पैसा डाइवर्ट किया और अब योजना का पैसा अकाल में डाइवर्ट करते हैं, यह परमिसिबल है क्या?

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : Not at all.

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एडमिटेड फैक्ट है, यह डिबेट का विषय नहीं है, जोशीजी। अनावश्यक उत्तेजित मत होइये।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, डाइवर्जन नहीं किया है। आप फिर कन्फ्यूज कर रहे हैं। It is the money used for 10th Finance Commission. कहां डाइवर्जन किया? आप डाइवर्जन करने की बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब वह विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जोशीजी, यह फिलोसफी या पोलिटिकल साइंस नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टैन्थ फाइनेंस कमीशन ने यह रिकमण्ड नहीं किया कि आप पैसा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में लगाओ।

श्री सी. पी. जोशी : किसने कहा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्होंने यह कहा था कि ग्राम पंचायतों के रख-रखाव के लिए पैसा लगाओ। (व्यवधान) असैट्स के रिपेयर के लिए पैसा आया था, राजीव गांधी पाठशालाओं के नाम पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सोनिया गांधीजी को खुश करने के लिए आपने लगाया।

श्री सी. पी. जोशी : आप तो कुछ नहीं करेंगे। वह तो कह रहे हैं बजट की कट की, आप कह रहे हैं कि इसे कट करो। खुद क्लीयर नहीं है पहले। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सवाल का जवाब मिनिस्टर साहब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बैठिए। प्रभारी मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट मेरा एक प्रश्न है....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अकाल की विषम परिस्थितियों को देखते हुए लोक कल्याणकारी सरकार और किसानों की हितकारी सरकार होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व बनता था कि किसान की फसल को हम बचाएं, गावं के गरीब को पीने का पानी उपलब्ध कराएं। बिजली की इतनी बड़ी समस्या से जूझने के लिए, क्योंकि इन्होंने बिजली पैदा नहीं की थी, हमने बिजली के सूरतगढ़ के कारखाने को 50 करोड़ रुपये भी दिए। ऐसी परिस्थितियों में मजबूर होकर हमको यह सब करना पड़ा, अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने प्लान के अन्दर कोई कटौती नहीं की है बल्कि बढ़ाया है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, सीधे सवालों का जवाब एक ही नहीं दिया, मंत्रीजी ने गोलमोल कर दिया। आप बताओ तो सही, आपसे दो सवाल पूछे थे हमने, भैरोंसिंहजी के टाइम में अनुमानित आकार क्या था? दूसरा, 347 करोड़ रुपये मूल योजना में कौनसी जगह प्रस्तावित है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कटारियाजी।

श्री सांवर लाल : गयी साल 144 करोड़ का कर्जा लिया था वह तो खर्च नहीं कर पाये। पर्टिकूलर सवाल है, जवाब तो मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : पूछ लिया आपने, 27000 करोड़ की योजना का पूछ लिया। यह वार्षिक योजना का प्रश्न है। अब आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सीधा सवाल है, जवाब तो दिलवाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सीधा सवाल है, जवाब तो दिलवाओ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न रेलेवेंट नहीं है, बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आयोजना मंत्रीजी से....

श्री सांवर लाल : रेलेवेंट कैसे नहीं है? 347 करोड़ रुपये कहां से डाइवर्ट किये, यह रेलेवेंट नहीं है?

श्री अध्यक्ष : यह वार्षिक योजना का है।

श्री सांवर लाल : कहां से? पहले कहां प्रस्तावित है, यह पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : आप सत्ताइस हजार, अट्ठाइस हजार ला रहे हो....

श्री सांवर लाल : आपने यह कहा कि हमने 347 करोड़ रुपये डाइवर्ट किये, तो कहां से डाइवर्ट किये? अध्यक्ष महोदय, पहले कब प्रस्तावित है, इसका जवाब दिलवाइये आप।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री सांवर लाल : अब जबर्दस्ती मंत्रीजी भाषण दे रहे हैं हम यह कर रहे हैं, संवेदनशील सरकार है। हमारी जानकारी में तो आना चाहिए पहले कि कहां असंवेदनशीलता पर खर्च कर रहे हैं। मुझे इसका जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये, बहुत प्रासंगिक सवाल है आज की तारीख में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिलकुल रेलेवेंट नहीं है। आप बैठिये। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आयोजना मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, सदन में प्रत्येक मांग को रखकर जो डिस्कशन होता है और बाकी मुखबंद में विभिन्न विभागों का बजट इस सदन से आप स्वीकृत कराते हैं, इस सदन के द्वारा स्वीकृत किये हुए बजट को एक से दूसरे में डाइवर्ट करने में आप स्वयं सक्षम हैं क्या? आपने इस सदन के द्वारा स्वीकृत बजट को अपने मनचाहे ढंग से एक योजना से दूसरी योजना में जो ट्रांसफर किया, उसका अधिकार आपको है क्या?

श्री हरिसिंह (महुवा) : बजट अनुमान ही तो है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं-नहीं, यहां अपन रोज डिस्कस करते हैं ये ही।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने पैसा इस योजना का डाइवर्ट किया अकाल के अन्दर और बिजली के अन्दर। अच्छा किया या खराब किया, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि परमिसिबल है क्या? उसको योजना माना जाएगा क्या? योजना का आकार घटा कि नहीं घटा? अपने आप घट गया क्योंकि आप बताते हैं कि 137.50 करोड़ तो आपने अकाल में लगा दिया और 130 करोड़ आपने बिजली में लगा दिया। यह नियरली 270 हो गया और अस्सी करोड़ पानी में, तो पांच सौ करोड़ तो सीधा-सीधा यही कम होता है।

दूसरा यह कि बजट भाषण के अन्दर प्रपोज्ड योजना बताई थी वित्त मंत्रीजी ने। योजना का आकार बताया जाता है और सब्सीक्वेंट ईयर का जो बजट भाषण होता है उसमें फाइनल आकार बताते हैं। उसका अन्तर बता दीजिए; उसी से मालूम पड़ जाएगा कि फर्क हुआ है कि नहीं हुआ है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय कटारिया साहब ने पूछा कि क्या मैं सक्षम हूं। हालात और परिस्थितियों के अनुसार मुझे व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जहां किसान अकाल से जूझ रहा हो, जहां बिजली का संकट हो, पेयजल का संकट हो....(व्यवधान).... वहां ऐसी परिस्थितियों में....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भाषण मत दो। ... (व्यवधान) भाषण दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कौनसे कानून के अन्दर अधिकार है? यह सदन सर्वोच्च है या आप सर्वोच्च हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप कराएं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। इन डिमांड पर जो बजट पास किया था....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कौन है? यह हाउस सुप्रीम है या माननीय मंत्रीजी सुप्रीम हैं? सुप्रीम कौन है? संविधान है या हाउस है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप कराएं, हमें कोई एतराज नहीं है पर मेरा प्रश्न यह था....(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप सुनो तो सही...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन जो इस सदन ने प्रत्येक डिमांड पर बजट पास किया था उसको आप बिना ही हाउस में आये क्या दूसरे में डाइवर्ट करने का अधिकार रखते हैं? इस सदन ने जो पास किया उसको अगर बदलना है तो इसके लिए आपका सदन में आना आवश्यक था कि नहीं? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने बिजली के लिए पैसा डाइवर्ट कर दिया....(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी ने आठ घंटे बिजली दी क्या? बिजली तो दी नहीं, पैसा ले लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा यह स्पेसिफिक सवाल है कि यह सदन कोई भी डिमांड या बजट पास करता है तो महामहिम राज्यपाल महोदय को देता है। चलो हाउस से आपने परमिशन नहीं ली, राजस्थान के किसानों का बिजली, पानी का सवाल था, क्या महामहिम राज्यपाल महोदय से आपने इस डाइवर्जन की परमिशन ली है? किस कानून के तहत आपने इसको डाइवर्ट किया है, वह जरा बता दें....(व्यवधान) सुप्रीम सदन है या सुप्रीम मंत्रीजी हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से ही बहुत स्पष्ट है, इन्होंने चाहे अकाल राहत के स्तुत्य काम में खर्च किया हो, चाहे बिजली खरीदने में खर्च किया, यह काम योजनागत काम नहीं कहा जा सकता। जब योजना के किसी मद में कटौती करके अकाल राहत में खर्च करेंगे या विद्युत खरीदने में खर्च करेंगे, निश्चित रूप से वह अन्य खर्च है। वह योजनागत खर्च में नहीं आएगा, अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : अदर्स में आएगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक सैकण्ड। बजट के पार्ट-9 में इस बार भी योजना का विस्तृत ब्यौरा मदवार दिया हुआ है और गत वर्ष के बजट में भी है। तो जब ब्यौरा योजना का दिया हुआ है, आप अस्सी करोड़ चाहे जो पी.एच.ई.डी. में खर्च करें इसका मतलब ही यह है कि पी.एच.ई.डी. में प्रावधानों की कमी है इसलिए आपने अस्सी करोड़ किसी मद से काटे और पी. एच.ई.डी. के कन्टिजेंसी प्लान में डाल दिये। यह योजना का खर्च नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, अब आपने यह भी कहा कि योजना का आकार बाद में बढ़ा दिया। आपको यह मानना चाहिए था कि योजना का आकार घटाया और उसके बाद प्रयत्न करके अन्य साधनों से उसके आकार को बढ़ाया।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने एडजस्ट नहीं किया है क्या?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप योजना के घटाने को न मानकर भी गलती कर रहे हैं और योजना का आकर जो बढ़ाया, कहां से साधन लाये, यह भी बताना चाहिए था। आपने दोनों ही तरीके से इस सदन से छिपाया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम संतुष्ट नहीं हो पाया। हम प्रत्येक डिमांड को इस सदन में चाहे मुखबन्द करके पास करते हैं, चाहे डिमांड को डिस्कस करके उस दिन हाउस पास करता है कि इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दिया जाए। आपके द्वारा उसकी स्वीकृति होती है। उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक था, हमारी आवश्यकता के अनुसार था, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, आप उसे करें लेकिन क्या आप सदन में बिना लाये, बिना इनकी स्वीकृति लिये स्वयं अपने बूते पर इसको एक जगह से दूसरी जगह खर्च करने का अधिकार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : सप्लीमैंट्री आ सकती है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इमरजेंसी में एक्सेस अगर है तो रैगुलराइजेशन हो सकता है। पी.ए.सी. के ....(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रायोरिटीज का जिक्र किया कि पी.एच.ई.डी. को पहले पैसा कम दिया, बाद में ज्यादा दिया। मैं निवेदन कर चुका हूं कि जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयीं कि पी.एच.ई.डी. को ज्यादा पानी उपलब्ध कराने के लिए खर्चा करना पड़ेगा तो.... (व्यवधान) आवश्यक होता है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको अधिकार है क्या?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जवाब दे रहा हूं कि आवश्यक होता है....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। माननीय सदस्य सुनने को तैयार नहीं हैं शांति से सारी बात....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को कि विभागीय योजना सीमा में कुल कटौतियां लगभग छह सौ करोड़ रुपये की, की गयी, जो डाइवर्ट की गयीं। उसके अन्दर 347.50 करोड़ रुपये तो उपरोक्तानुसार अकाल की वजह से दिये, पचास करोड़ रुपये बीसलपुर परियोजना के लिए, बीस करोड़ रुपये.... (व्यवधान) है सुनिये आप पूरा। (व्यवधान), माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारा जवाब देने को तैयार हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब दे रहा हूं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास अधिकार है क्या? हमें हां और ना में जवाब दे दो आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने इतना रुपया खर्च करने की सम्बन्धित विभाग से या विधान सभा से परमिशन ली, क्या आप डाइवर्शन करने के लिए सक्षम हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें आप हां और ना में जवाब दे दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस बजट को जो हम यहां पास करते हैं उसको आप बिना सदन की स्वीकृति के डाइवर्ट कर सकते हैं क्या, यह बताइये? हम केवल इतना जानना चाह रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में सरकार सक्षम है इसलिए किया है। दूसरा, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। स्पष्ट तो कर दूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : योजना का आकार छोटा हो गया न?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं हुआ, नहीं हुआ। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, कोई सुनने को तैयार नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मर्जी आये जहां डाइवर्ट कर सकते हैं? योजना का आकार तो छोटा हो गया। स्वतः ही छोटा हो गया जब योजना के हैड से आप अलग चले गये। दूसरी जगह डाइवर्ट आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस बात को छोड़िये। प्रदेश की समस्याओं के प्रति बहुत चिन्तित है राज्य सरकार होगी लेकिन सवाल यह है कि योजना का आकार तो छोटा हो गया। प्लान के हैड से अगर आपने काट लिया और दूसरे डिपार्टमैंट को डाइवर्ट कर दिया....

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार कर चुके हैं कि छह सौ करोड़ रुपये का डाइवर्जन प्लान फण्ड से किया गया, छह सौ करोड़ का किया है और अब यह....(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब देने दें सारी स्थिति

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

स्पष्ट कर दूंगा, सुन तो लीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया साहब ने पूछा कि क्या सक्षम हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि यह सरकार सक्षम है इसलिए किया है। दूसरा इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि डाइवर्जन एक मांग संख्या से दूसरी मांग संख्या में यदि होता है तो उसका विवरण सप्लीमेंट्री डिमांड के माध्यम से सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए सक्षम है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल। है तो बैठों ना। सप्लीमेंट्री डिमांड तो पास हो चुकी है और उसका रिन्युअल इसी प्रकार से हो चुका है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब सप्लीमैंट्री बजट पेश किया वह तो पढ़ा नहीं आपने... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : योजना का आकार कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया है। (व्यवधान) सरकार इसके लिए सक्षम है इसलिए बढ़ाया गया है।

(12.00 बजे)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो डाइवर्जन किया गया है उसमें बिजली के लिये 180 करोड़ डाइवर्ट किये गये थे या 130 करोड़ किये गये थे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : योजना के आकार में तो 600 करोड़ रुपये की मांग की है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्न काल समाप्त।

श्री सुरेन्द्र व्यास : योजना का आकार कम हो गया, मूल प्रश्न तो यह है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न व उसका उत्तर

सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा दवा वितरण से अर्जित लाभांश

272. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा एलोपैथिक दवाइयों के वितरण हेतु कितने मेडिकल स्टोर्स संचालित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मेडिकल स्टोर उपभोक्ताओं को कोई राहत देते हैं? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(3) क्या सहकारी संघों का उद्देश्य लाभ कमाना है? यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं को कम्पनी से प्राप्त रेट पर कम से कम लाभांश देकर दवाइयां क्यों नहीं दी जाती हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त दुकानों पर प्राप्त लाभांश को सरकार द्वारा घाटे के उपक्रमों में समायोजित किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा राज्य में एलोपैथिक दवाइयों के विक्रय हेतु 49 विक्रय केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट "एक" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। उपभोक्ता संघ द्वारा उपभोक्ताओं को सामान्यतया अधिकतम खुदरा मूल्य से 2 प्रतिशत कम दरों पर दवाइयां बेची जाती हैं। विशेष रोग यथा कैंसर, किडनी से सम्बन्धित दवाइयां संघ द्वारा मात्र 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक मार्जिन प्राप्त कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवायी जा रही है।

(3) जी, नहीं। उपभोक्ता संघ द्वारा उपभोक्ताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य से कम कीमतों पर ही दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(4) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका बोर्ड बारां द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

476. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका बोर्ड बारां द्वारा वर्तमान बोर्ड बनने के बाद कहां-कहां कितनी-कितनी लागत तथा कितने-कितने माप के निर्माण कार्य करवाये गये? उक्त निर्माण कार्यों हेतु कब-कब एन.आई.टी. जारी की तथा उसमें कौन-कौन ठेकेदार शामिल हुए तथा किसके द्वारा कार्य करवाया गया?

(2) उक्त कार्यों में से किस-किसका कितना-कितना भुगतान कर दिया गया तथा कितना शेष है?

(3) उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति कैसी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका, बारां द्वारा वर्तमान बोर्ड बनने के बाद कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण संलग्न है। उक्त निर्माण कार्यों हेतु जारी एन.आई.टी. तथा भाग लेने वाले ठेकेदारों एवं कार्य करने वाले ठेकेदारों की सूचना भी उक्त विवरण में अंकित है।

(2) उक्त कार्यों के बाबत पालिका द्वारा किये गये भुगतान व बकाया राशि की जानकारी भी बिन्दु संख्या एक के उत्तर में संलग्न विवरण के कालम नं. 6 व 7 में अंकित है।

(3) उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति की सूचना बिन्दु संख्या एक के उत्तर में संलग्न विवरण के कालम नं. 8 में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला सीकर की नगर परिषद् पालिकाओं द्वारा आबंटित गुमटियां

477. श्री अमराराम (धोद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमराराम)

(1) जिला सीकर की नगर परिषद्/पालिकाओं द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को कितनी गुमटियां बनाकर आबंटित की गई हैं ?

(2) उक्त जिले की परिषद् एवं पालिकाओं का लक्ष्य कितना था ?

(3) उक्त लक्ष्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे और इनके निवारण की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में नगर परिषद्/पालिका क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को 30 कियोस्क का आबंटन तथा 201 कियोस्क हेतु भूमि का आबंटन किया गया है।

(2) उक्त जिले की परिषद्/पालिकाओं में 750 कियोस्क/कियोस्क हेतु भूमि के आबंटन का लक्ष्य था।

(3) आबंटन समिति की बैठक नहीं हो पाने के कारण लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है। इसके निवारण के लिए आबंटन समिति की बैठक शीघ्र बुलाकर उपयुक्त स्थलों पर उपलब्ध हुई भूमि पर कियोस्क/कियोस्क हेतु भूमि आबंटन किया जावेगा।

नेहरू बाल उद्यान केन्द्र अलवर में "सबमर्सिबल पम्प सैट" क्रय में अनियमितता

478. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अलवर द्वारा "नेहरू बाल उद्यान केन्द्र" में वर्ष 2000 में "सबमर्सिबल पम्प सैट" प्रस्थापित किया गया है ? यदि हां, तो पम्प सैट के क्रय हेतु निविदा किस तिथि को जारी की गई एवं किस फर्म से पम्प सैट कितने रुपयों में खरीदा गया ? फर्म के बिल की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा समस्त नगर परिषद्/पालिकाओं को "राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज" से पम्प सैट खरीद करने के निर्देश जारी किए गये हैं ? यदि हां, तो क्या नगर परिषद्, अलवर के अधिकारी द्वारा सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर अन्य फर्म से पम्प सैट क्रय किया गया है ?

(3) उक्त प्रकरण में कौन अधिकारी अनियमित कार्यवाही के लिये दोषी है ? क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। नेहरू बाल उद्यान के लिए सबमर्सिबल पम्प लगाने हेतु सीमित निविदाएं दिनांक 21-6-2000 के द्वारा आमंत्रित की गई, किन्तु सबमर्सिबल पम्प क्रय नहीं किया गया।

(2) जी, हां। अन्य फर्म से पम्प सैट क्रय नहीं किया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) प्रश्न के भाग संख्या-1 व 2 में उत्तर निहित है।

बांसवाड़ा जिले के पत्रकारों को भूमि आबंटन

479. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य में पत्रकारों को नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भूमि सस्ती दरों पर देने के लिए मानदण्ड बना हुआ है? यदि हां, तो क्या बांसवाड़ा जिला पत्रकार संघ के पत्रकारों को भूमि आबंटित की गई है? यदि नहीं, तो क्यो?

उत्तर

जी, नहीं। राजस्थान नगरपालिका, (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 में पत्रकारों को सस्ती दरों पर आवासीय भूमि आबंटन किये जाने का प्रावधान नहीं है।

नगर परिषद् अजमेर के पंजीकृत ठेकेदार

480. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कनिष्ठ अभियन्ता, अजमेर नगर परिषद् की रिपोर्ट के आधार पर नगर परिषद् अजमेर की दिनांक 15-12-2000 की साधारण सभा द्वारा किन-किन ठेकेदारों का पंजीयन रद्द किया गया? पंजीयन रद्द ठेकेदारों की सूची मय कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) खण्ड-(1) के ठेकेदारों द्वारा परिषद् के कार्यों को पूर्ण किया गया या अपूर्ण छोड़ दिया गया? अपूर्ण कार्यों को किसके द्वारा पूर्ण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में परिषद् को अतिरिक्त राशि व्यय करके आर्थिक हानि उठानी पड़ी? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद्, अजमेर की दिनांक 15-12-2000 की साधारण सभा द्वारा कुल 26 ठेकेदारों के पंजीयन रद्द किये गये। पंजीयन रद्द ठेकेदारों की सूची मय कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। अपूर्ण छोड़े गये कार्यों में से संबंधित ठेकेदारों द्वारा दो कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। शेष कार्यों को पूर्ण करवाया जा रहा है।

(3) जी, नहीं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका बोर्ड सादड़ी द्वारा सड़क भूमि पर भू-खण्डों का आबंटन

481. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी के नगरपालिका बोर्ड, सादड़ी ने वर्ष 1980 के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे कुल कितने आवासीय अथवा गैर आवासीय भू-खण्ड आबंटित/नियमित किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नगरपालिका के नियम विरुद्ध किये गये अवैध नियमन आबंटन को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सड़क भूमि को नगरपालिका द्वारा अवैध रूप से बेचान करने का प्रकरण गत वर्षों में उजागर हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त अवैध रूप से सड़क भूमि का बेचान करने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी की नगरपालिका बोर्ड, सादड़ी ने वर्ष 1980 के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे जितने आवासीय अथवा गैर आवासीय भूखण्ड आबंटित नियमित किये हैं, उनका विवरण संलग्न है।

(2) चूंकि उक्त नियमन आबंटन किये गये भूखण्ड सड़क निर्माण से पूर्व कस्बे में निर्मित पुराने भवनों एवं राजकीय इमारतों की बिल्डिंग लाइन में हैं, अतः इन्हें निरस्त करने का नगरपालिका, सादड़ी का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग दो में इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर निहित है।

(4) प्रश्न के भाग दो में प्रश्न के इस भाग का उत्तर निहित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

नगर निगम जयपुर में कचरा परिवहन का ठेका

482. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर निगम, जयपुर में कचरा परिवहन ठेके पर दिये जाने के क्या-क्या मानदण्ड हैं ? उक्त कार्य हेतु ठेकेदार/फर्म को उक्त ठेका हासिल करने के लिए कौन-कौनसी प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है ? उक्त कचरा परिवहन का ठेका कितने समय के लिए होता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में कुल कितने वार्डों का कचरा परिवहन ठेकेदार/फर्मों के माध्यम से उठाया जा रहा है ?

(3) उक्त कचरा परिवहन ठेकेदारों पर नगर निगम, जयपुर द्वारा मौके पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है ?

(4) गत पांच वर्षों में कचरा परिवहन का ठेका कौन-कौनसी फर्मों को मिलता रहा

(श्री कन्हैया लाल)

है? फर्मों का नाम, पता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त में से ऐसी कितनी फर्में हैं जिन्हें एक से अधिक बार कचरा परिवहन का ठेका दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त ठेका कचरा परिवहन में भुगतान किस आधार पर एवं कब-कब किया जाता है?

(7) उक्त ठेकेदार कचरा परिवहन फर्मों ने गत पांच वर्षों में कुल कितने कचरे का परिवहन किया एवं उसके बदले उन्हें कुल कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कचरा परिवहन ठेके पर दिये जाने के लिए क्षेत्र विशेष में कचरे की मात्रा एवं परिवहन की स्थितियों, अनुमानित राशि के आधार पर खुली निविदाएं आमंत्रित कर न्यूनतम दरदाता की दरें स्वीकृत की जाती हैं। ठेकेदार/फर्म को उक्त ठेका हासिल करने के लिए वित्तीय स्थिति के बारे में अद्यतन आयकर प्रमाण-पत्र, वाहनों के पंजीकरण इंश्योरेंस के कागजात की छाया प्रति व निविदा शर्तों के अनुरूप निर्धारित अमानता राशि जमा करानी होती है। उक्त शर्तों की पालना करने वाले निविदादाताओं की निविदा पर विचार किया जाकर सामान्यतया ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है।

(2) जयपुर शहर के 70 वार्डों में से 39 वार्डों में कचरा परिवहन का कार्य ठेकेदार/फर्मों के माध्यम से उठाया जा रहा है।

(3) नगर निगम, जयपुर का मौके पर कचरा परिवहन के ठेकेदारों पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक वार्ड में जमादार, स्वास्थ्य निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी एवं क्षेत्रीय आयुक्त पदस्थापित हैं, जिनके द्वारा मौके पर कार्य का निरीक्षण किया जाता है। इनके सत्यापन के आधार पर ही भुगतान किया जाता है।

(4) गत पांच वर्षों में कचरा परिवहन का ठेका जिन-जिन फर्मों को दिया गया है, उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ए")

(5) एक से अधिक बार कचरा परिवहन का ठेका दिया गया, उन फर्मों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "बी")

(6) कचरा परिवहन के ठेकेदारों को भुगतान संबंधित वार्ड के स्वास्थ्य निरीक्षक व मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी व क्षेत्रीय आयुक्त एवं कचरागाह प्रभारी की रिपोर्ट, सत्यापन व भुगतान की अनुशंसा के आधार पर आवश्यक शर्तों के अनुरूप कटौती संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निगम में बजट की स्थिति, कोष की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(7) विगत पांच वर्षों में कचरा परिवहन ठेकेदारों द्वारा कचरे को ट्रैक्टरों द्वारा निर्धारित कचरागाह पर डाला गया।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कचरागाहों पर डाले गये कचरे की ट्रिपों के (चक्करों) बदले में किये गये भुगतान का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "सी" व "डी")

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (चूरू) में पानी की नवीन पाइप लाइन

483. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कस्बा राजगढ़ में वर्ष 1961 में पानी की पाइप लाइन डाली गयी थी? क्या उस समय पानी की उक्त पाइप लाइन 3 फुट नीचे डाली गयी थी?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उक्त पाइप लाइन करीब 10 फुट नीचे चली गयी है जिससे पानी की आपूर्ति नहीं होती है?

(3) क्या सरकार उक्त शहर में नये सिरे से पाइप लाइन डलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उस समय पानी की पाइप लाइन जमीन के 3 फुट नीचे डाली गयी थी।

(2) जी, हां। कुछ स्थानों पर जहां सड़क पर पानी का भराव होता था वहां पर सड़क को ऊपर लेने के लिए मिट्टी का भराव कर सड़क का पुनर्निर्माण करवाया गया जिस कारण पाइप लाइन 7 फुट से 10 फुट की गहराई पर चली गयी। इसका पानी की आपूर्ति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है परन्तु संधारण कार्य में अवश्य कठिनाई आती है।

(3) वर्तमान में नई पाइप लाइन डालने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भविष्य में कस्बे की पुनर्गठन/संवर्धन योजना बनाते समय उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर उक्त कठिनाई के निदान हेतु भी आवश्यक प्रावधान लेना सम्भव हो सकेगा।

जयपुर शहर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतें

484. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर को पीने के पानी की कुल कितनी सप्लाई प्रतिदिन की जाती है?

(2) क्या यह जल जो जयपुर शहर में वितरण किया जाता है, स्वच्छ एवं पीने के योग्य होता है? यदि हां, तो इसे स्वच्छ कर पीने योग्य पानी बनाने के लिए किन औषधियों की आवश्यकता होती है? क्या आनुपातिक रूप में वह औषधि जयपुर शहर में विभाग द्वारा मिला दी थी?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(3) पीने योग्य पानी जयपुर शहर में वर्ष 2000 में नहीं दिये जाने के कितने प्रकरण विभाग की जानकारी में आये हैं? उक्त के क्या कारण पाये गये तथा उक्त की पुनरावृत्ति नहीं हो, के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में प्रतिदिन लगभग 2700 लाख लीटर पेयजल वितरण किया जाता है।

(2) जी, हां। जल को स्वच्छ एवं जीवाणु रहित कर पीने योग्य बनाने हेतु सामान्य रूप से नलकूपों के माध्यम से किये जाने वाले जल में क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है तथा रामगढ़ के सतही स्रोत के जल को फिल्टर किया जाता है जिसमें फिटकरी (एलम), ब्लीचिंग पाउडर एवं क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। उक्त वर्णित रसायन आवश्यक अनुपात के अनुसार जयपुर शहर को विभाग द्वारा वितरित पेयजल में मिलाये जाते हैं।

(3) जयपुर शहर को वितरित किये जा रहे पेयजल की शुद्धता की प्रामाणिकता के लिए विभिन्न क्षेत्रों की वितरण प्रणाली से जीवाणु एवं जल में उपलब्ध अवशेष क्लोरीन की मात्रा की जांच हेतु जल के नमूने लिये जाते हैं। वर्ष 2000 में जीवाणु परीक्षण के 4713 जल नमूनों में से 96 जल नमूने यानि 2.04 प्रतिशत असन्तोषप्रद पाये गये। अवशेष क्लोरीन के 10644 नमूनों में से 499 नमूने यदि 6.69 प्रतिशत असन्तोषप्रद पाये गये। उक्त दोनों जांच के परिणाम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, 1975 द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर है।

असन्तोषप्रद नमूनों का मुख्य कारण पाइप लाइन में लीकेज होना रहा है जिसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु लीकेज को ठीक कराना एवं प्रभावित क्षेत्र के पानी में क्लोरीन की आवश्यकतानुसार मात्रा बढ़ाने के उपाय किये जाते हैं।

जिला हनुमानगढ़ में नहरी क्षेत्र की जलप्रदाय योजनाएं

485. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ की ऐसी कौन-कौनसी जलप्रदाय योजनाएं हैं जिनका सर्विस लेवल 50% से कम है? क्या उक्त योजनाओं का सर्विस लेवल बढ़ाने की कोई योजना है? यदि हां, तो उक्त कार्य को कब पूर्ण करा दिया जावेगा?

(2) उक्त तहसील की ऐसी कौन-कौनसी जलप्रदाय योजनाएं हैं जो नहरी पानी के लिए नहरों से जुड़ी हुई हैं? क्या उक्त नहरों से 1 अप्रैल, 2000 से 15 मार्च, 2001 तक पानी का नमूना लेकर परीक्षण करवाया गया है? यदि हां, तो नहर अनुसार जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(3) उक्त तहसील की क्वालिटी प्राब्लम वाली कौन-कौनसी जलप्रदाय

(श्री रामप्रताप)

योजनाएं हैं और उनमें सुधार के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ जिले में 85 जलप्रदाय योजनाएं हैं जिनका सर्विस लेवल 50 प्रतिशत से कम है। सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है। जी हां, सर्विस लेवल बढ़ाने हेतु उक्त में से 4 योजनाओं की स्वीकृति अनुमानित लागत लगभग 126 लाख रुपये की जारी हो चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।

19 योजनाएं बनाकर तकनीकी जांच में हैं एवं शेष प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया में हैं। तकनीकी औचित्यता, प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

(2) हनुमानगढ़ तहसील की 59 जलप्रदाय योजनाएं नहरी पानी के लिए नहरों से जुड़ी हुई हैं। (परिशिष्ट "ख") कथित समय में आई.जी.एन.पी. व भाखड़ा नहर के पानी के क्रमशः 23 व 44 नमूनों की जांच करवाई गयी। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "ग" में संलग्न है।

(3) हनुमानगढ़ तहसील की 7 योजनाएं क्वालिटी प्राब्लम के अन्तर्गत चिह्नित की गई हैं। समस्या के समाधान हेतु 2 योजनाओं की स्वीकृति अनुमानित लागत 42.79 लाख रुपये की जारी की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है। एक योजना लागत लगभग 86.42 लाख रुपयों की बनाकर तकनीकी जांच में है। शेष योजनाएँ बनाने की प्रक्रिया में हैं। सूची परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(सूची एवं रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टाधारियों से नये जल सम्बन्धों पर लेवी वसूली

486. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्त समिति द्वारा सहकारी समितियों द्वारा विकसित भूखण्डों पर योजना बनाने हेतु घरेलू भूखण्डों पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं व्यावसायिक भूखण्डों पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि लेकर सहभागिता योजना बनाने हेतु स्वीकृति दी थी? क्या सरकार द्वारा पूर्व में विकसित योजना/ बांडीवेसिन के तहत बरकत नगर, श्याम नगर एवं अन्य योजनाएं जहां कई वर्षों से नियमित जल योजना चल रही है वहां पर भी नये जल सम्बन्धों पर उक्त लेवी ली जा रही है? यदि हां, तो किन आदेशों के तहत? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त लेवी भूखण्डधारियों द्वारा निजी खर्चों पर डाली गई पाइप लाइनों, सहभागिता योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत भूखण्डधारियों द्वारा एवं 70 प्रतिशत जिला कलक्टर द्वारा दी गई ग्रामीण

(श्री उदय सिंह राठौड़)

विकास के मद से पाइप लाइन की कीमत जमा कराने पर या विधायक/लोक सभा सदस्यों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास मद से दी गई राशि से डाली गई लाइनों के नये जल उपभोक्ताओं से उक्त लेवी ली जा रही है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी समितियों द्वारा विकसित भू-खण्डों की नियमन राशि जमा कराने पर दिये गये पट्टों, जयपुर विकास प्राधिकरण के अस्तित्व के पूर्व ग्राम पंचायतों द्वारा दिये पट्टों यथा रूपारामपुरा, मानसिंहपुरा, झोटवाड़ा, सिरसी जो अब जयपुर प्राधिकरण क्षेत्र में आते हैं, उनसे भी लेवी ली जा रही है? यदि हां, तो किन आदेशों के तहत किस दिनांक से उक्त लेवी नये जल सम्बन्धों पर ली जा रही है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। निर्णय एवं आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। निर्णय एवं आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) जी, हां। निर्णय एवं आदेश की प्रति संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीरमानिया खदानों (जैसलमेर) की निजी क्षेत्र में खनन की स्वीकृति

487. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में बीरमानिया खदानों में 5.5 लाख मीट्रिक टन राकफास्फेट का भण्डार है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भण्डार के दोहन हेतु आर.एस.एम.डी.सी. को वर्ष 1998-1999 में लीज दी थी तथा उसका दिनांक 29.7.2000 तक नवीनीकरण किया था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राजकीय उपक्रम ने आज तक खनन नहीं किया।

(4) क्या सरकार की नीति अनुसार राजकीय उपक्रम को ही खनन की स्वीकृति है।

(5) क्या उक्त उपक्रम खनन नहीं करता तो निजी क्षेत्र को खनन की स्वीकृति देने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में बीरमानिया क्षेत्र में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सम्भावित राकफास्फेट के भण्डार 4.89 मिलियन टन है। जिसमें से 3.49 मिलियन टन राकफास्फेट के भण्डारों को छिद्रण कार्य द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(2) जी, यह सही है कि उक्त भण्डार के 400 हैक्टेयर क्षेत्र में 30.7.1998 से 29.7.1999 तक पर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया, जिसका नवीनीकरण 29.7.2000 तक के लिये किया गया।

(3) पूर्वेक्षण के बाद इस क्षेत्र के लिये खनन कार्य हेतु कार्यानुमति दिनांक 6.1.2001 के शासन द्वारा स्वीकृत की गयी। कार्यानुमति के बाद निगम द्वारा 20 पिट्स खुदवाकर खनिज की गुणवत्ता व मात्रा का पता लगाया।

(4) जी हां, राज्य सरकार की नीति अनुसार राजकीय उपक्रम को ही खनन की स्वीकृति दी गयी है।

(5) निजी क्षेत्र में देने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

जिला बाड़मेर एवं जालौर में ग्रेनाइट पत्थर के लम्बित लीज आवेदन–पत्र

488. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर एवं जालौर में ग्रेनाइट पत्थर के लीज हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आवेदन-पत्रों के आधार पर लीज आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कुछ आवेदकों ने वन क्षेत्र में आवेदन किया है? क्या सरकार उन्हें लीज आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर एवं जालौर में 6 खनिज ग्रेनाइट के लीज के आवेदन-पत्र लम्बित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) भारत सरकार द्वारा ग्रेनाइट कन्जर्वेशन एण्ड डवलपमेंट रूल्स, 1999 लागू करने के पश्चात् इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ग्रेनाइट नीति की संशोधित अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया जायेगा।

(3) जी, नहीं। वन क्षेत्र में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति से पूर्व वन विभाग से आवेदित क्षेत्र के वन रहित होने की पुष्टि प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। उक्त 6 लीज के आवेदन पत्रों में से दो आवेदन-पत्र (33/98 व 35/98) के तहत क्षेत्र की वन रहित होने की पुष्टि हो चुकी है, शेष की पुष्टि होना अपेक्षित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

तहसील धरियावद (उदयपुर) की खानों में मृत श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा

489. श्री नगराज (लसाड़िया) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर की तहसील धरियावद में किस-किस खनिज की कितनी खानें हैं? उक्त में कितने आदिवासी पट्टाधारी और कितने अन्य लोग हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खानों पर कितने श्रमिक कार्यरत हैं और न्यूनतम वेतन के तौर पर कितना दैनिक भुगतान इनको किया जाता है?

(3) गत दो वर्षों में खानों में दब कर मारे गये श्रमिकों की संख्या कितनी रही? उक्त में से किन-किन को कितना मुआवजा दिया गया? क्या सरकार जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला उनको मुआवजा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला उदयुपर की तहसील धरियावद में विभिन्न खनिजों के निम्न खनन पट्टे हैं :—

क्र.सं.	खनिज का नाम	संख्या
1.	घीया पत्थर	28
2.	मार्बल	36
3.	लाइमस्टोन	13
	कुल	**77**

उक्त में कोई भी आदिवासी पट्टाधारी नहीं है। सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) उक्त खानों पर प्राप्त मासिक आंकड़ों के आधार पर प्रतिदिन औसतन 735 श्रमिक कार्यरत रहते हैं। श्रमिकों को दैनिक मजदूरी का भुगतान, मजदूरी अधिनियम के अर्न्तगत पट्टाधारी द्वारा किया जाता है।

(3) गत 2 वर्षों में खानों में दबकर मरने वाले श्रमिकों की संख्या–6 है। सभी मृतकों का आपसी सहमति के आधार पर रुपये 04.30 लाख का मुआवजा दिया गया है। मुआवजा देना शेष नहीं है। भुगतान किये गये मुआवजा राशि की सूची परिशिष्ट "ब" पर स्थित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम गिरुडी (अलवर) में दलित दूल्हे के साथ मारपीट

490. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 13.2.2001 को ग्राम गिरुडी तहसील

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बानसूर (अलवर) निवासी एक हरिजन की पुत्री के विवाह में दलित दूल्हे व बारात के साथ सवर्ण जाति के व्यक्तियों के द्वारा मारपीट, गाली-गलौज की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बारात व दूल्हे के साथ की गई मारपीट में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या उक्त प्रकरण में मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त मुलजिमानों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) उक्त सम्बन्ध में पुलिसकर्मियों द्वारा बरती गई ढ़िलाई में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 13.2.2001 को ग्राम गिरुडी थाना बानसूर में अलवर निवासी श्री रामस्वरूप हरिजन की पुत्री के विवाह में दूल्हे व बारात के साथ सवर्ण जाति के मात्र एक व्यक्ति राजेन्द्र पुत्र शगुन सिंह राजपूत निवासी गिरुडी ने गाली-गलौज की थी।

(2) उक्त प्रकरण में बारात व दूल्हे के साथ गाली-गलौज करने पर पुलिस द्वारा तत्काल श्री राजेन्द्र पुत्र शगुन राजपूत को धारा 151 जा.फो. में गिरफ्तार किया गया था। तत्पश्चात् प्रकरण के संबंध में दर्ज अ.सं. 37/2001 धारा 341, 504 भादसं व 3 एससी/एसटी एक्ट में दिनांक 14.2.2001 को पंजीबद्ध होने पर अभियोग में दिनांक 16.2.2001 को आरोपी राजेन्द्र को पुनः गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार पुलिस द्वारा समय पर तत्परता से कार्यवाही की गई है।

(3) उक्त अभियोग का सत्यापन अति. पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी द्वारा कराया जा रहा है, शीघ्र ही अंतिम निर्णय लेकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(4) उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई ढ़िलाई नहीं बरती गई है। इसलिए किसी भी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

थाना कूंविया कलां जिला भीलवाड़ा में दर्ज मुकदमा नम्बर-253/2000

491. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या थाना कूंविया कलां जिला भीलवाड़ा में मुकदमा नम्बर 253/2000 दर्ज हुआ ? यदि हां, तो कब व किस-किस के विरुद्ध किन-किन धाराओं में ?

(2) क्या उक्त में धारा 164 के बयान किसी ने दर्ज करवाये ? यदि हां, तो किसने व किस-किस के विरुद्ध कब ?

(3) उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना फूलिया कलां जिला भीलवाड़ा पर अभियोग सं. 253/2000 दिनांक 22.10.2000 को श्री छोटू पुत्र

(गृह मंत्री)
रामदेव, ऊंकार पुत्र राजू गुर्जर निवासी बचखेड़ा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363, 366, 342 भा.द.स. में पंजीबद्ध किया गया है।

(2) उक्त अभियोग की पीड़िता मुस्ममात मैना वैष्णव निवासी ग्राम बचखेड़ा के बयान 164 जा.फौ. के तहत दिनांक 22.1.2001 को न्यायालय शाहपुरा में लेखबद्ध कराये गये हैं। मुस्ममात मैना ने छोटू गुर्जर व ऊंकार गुर्जर के विरुद्ध उसे फरार कर बलात्कार करने बाबत बयान किये हैं।

(3) उक्त अभियोग पंजीबद्ध होने पर थानाधिकारी फूलिया कलां ने अनुसंधान प्रारम्भ किया दौराने अनुसंधान प्रार्थी व गवाहान के कथन लेखबद्ध किये। निरीक्षण घटना स्थल किया। दिनांक 5.1.2001 को मुस्ममाम मैना को दस्तयाब कर उसका मेडिकल मुआयना उम्र व बलात्कार बाबत कराया गया। मुस्ममात के कथन 164 जा.फौ. दिनांक 22.1.2001 को न्यायालय शाहपुरा में कराये गये। अनुसंधान से छोटू गुर्जर एवं ऊंकार गुर्जर के विरुद्ध अपराध धारा 363, 366, 344, 376 ता.हि. का प्रमाणित पाये जाने से गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात् परिवाद प्रस्तुत होने पर अनुसंधान का सत्यापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से कराया गया जिन्होंने भी अनुसंधान से अभियुक्त छोटू एवं ऊंकार गुर्जर के विरुद्ध धारा 363, 366, 344, 376 भादसं का अपराध प्रमाणित पाया है। अभियोग में कानूनी राय सहायक निदेशक अभियोजन से प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

थाना बस्सी (जयपुर) का हिस्ट्रीशीट प्रकरण

492. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर ग्रामीण के थाना बस्सी के ग्राम घाटा निवासी श्री रामकिशन गुर्जर के विरुद्ध तत्कालीन थानाधिकारी बस्सी ने अपने उच्चाधिकारियों को उसके विरुद्ध दर्ज 14 मुकदमों की सूची प्रेषित कर उक्त आधार पर हिस्ट्रीशीट खुलवाई थी? क्या उक्त सूची में मुकदमा नं. 230/88, 210/84 व 143/86 उसके विरुद्ध दर्ज हुए थे? यदि नहीं, तो किस आधार पर सूची में भेजे गये? क्या गलत सूचना देने वाले तत्कालीन थानाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) थाना बस्सी में ऐसे अन्य कितने व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध 14 अथवा उससे अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं? क्या उक्त सभी के विरुद्ध भी हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 6.3.1996 को पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को सूची प्रेषित की गई थी,

(गृह मंत्री)

जिसमें श्री रामकिशन गुर्जर के विरुद्ध 13 अभियोग भादंसं की विभिन्न धाराओं में दर्ज शुदा थे एवं दो इस्तगासे धारा 107, 116 (3) जा.फौ. व एक रोजनामचा आम की रिपोर्ट धारा 129 जा.फौ. के उल्लेख के साथ भिजवाया था। जिनमें अ.सं. 230/88, 210/84 एवं 143/86 दर्ज शुदा अभियोगों में सम्मिलित थे। रामकिशन के विरुद्ध 9 अभियोगों में चालान व 4 में एफ.आर. दी गई। उक्त सूची के आधार पर पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण द्वारा रामकिशन के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोलने व गतिविधियों पर निगरानी रखने के आदेश जारी किये गये। थाना प्रभारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सही होने से उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(2) थाना बस्सी में श्री देवबक्स गुर्जर पुत्र श्री भौंरी लाल निवासी बेनाड़ा एवं श्री ईश्वर पुत्र श्योनाथ गुर्जर निवासी भोजपुरा के विरुद्ध 14 अभियोग से अधिक दर्ज हैं। देवबक्स गुर्जर के खिलाफ 16 अभियोग दर्ज हैं, जिनमें 6 में चालान एवं 10 अभियोगों में एफ.आर. दी गई है। ईश्वर गुर्जर के खिलाफ 14 अभियोग दर्ज हैं, जिनमें 5 में चालान एवं 9 में एफ.आर. दी गई है। जिनके विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण द्वारा पत्रांक 6431-32 दिनांक 7.4.2001 द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर दर्ज प्रकरण संख्या-133/82

493. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेमाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा इण्डियन मेडिसिन बोर्ड राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में हुए बोर्ड की राशि के गबन के मामले की प्राथमिक जांच संख्या 133/82 दायर की थी ?

(2) उक्त जांच में किसको कितनी राशि के लिये दोषी पाया गया था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट में बोर्ड के भवन निर्माण सहायतार्थ प्राप्त होने वाली राशि का आडिट कराने के निर्देश भी दिये गये थे ? क्या उसमें लाखों रुपये के गबन, फ़र्जी संदेहास्पद भुगतान एवं अन्य गम्भीर अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? उसमें किसको कितनी राशि के लिए दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) उक्त जांच में श्री प्रभुनारायण शर्मा, वरिष्ठ लिपिक को 1,31,982.23 पैसे, श्री राधेश्याम शर्मा को 21,565 रुपये, श्री मंगल चन्द, स्टेनो को 2400 रुपये व 2217 रुपये 38 पैसे का दोषी पाया गया है। ब्यूरो से प्राप्त अभिशंसा के आधार पर

(गृह मंत्री)

बजाज नगर थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

(3) जी, हां। श्री प्रभुनारायण शर्मा, वरिष्ठ लिपिक को 1,31,682.23 पैसे का गबन करने के मामले में सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच करवाई गई। जांच अधिकारी ने श्री प्रभुनारायण शर्मा, वरिष्ठ लिपिक को 92,930.23 पैसे का गबन करने का दोषी पाया गया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक अधिकारी, बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान, जयपुर द्वारा श्री प्रभुनारायण शर्मा, वरिष्ठ लिपिक को आदेश दिनांक 26.10.98 के द्वारा बहाल करते हुए निम्न दण्ड दिया गया :–

1– गबन की प्रमाणिक राशि जी.पी.एफ. एवं सी.पी.एफ. की राशि में से 92,930.23 पैसे जब्त किये गये।

2– निलम्बन अवधि ड्यूटी नहीं मानी जावेगी।

3– निलम्बन अवधि में निर्वाह भत्ता जो प्राप्त किया जा चुका है उसके अतिरिक्त और कोई परिलब्धियों के हक़दार नहीं होंगे।

गबन की राशि 92,930.23 पैसे की वसूली दिनांक 2.11.98 को रसीद सं. 6784 एवं 6785 के द्वारा कर ली गई है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7.1.1999 के आधार पर आरोपी श्री प्रभुनारायण शर्मा के विरुद्ध गबन के संबंध में बोर्ड के पत्र दिनांक 13.1.1999 द्वारा बजाज नगर थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना बजाज नगर, जयपुर में श्री प्रभुनारायण शर्मा, वरिष्ठ लिपिक (सेवानिवृत) को 1,26,522.23 पैसे का गबन करने का दोषी मानकर जरिये चार्जशीट 203 से न्यायालय ए.सी.जे. जयपुर शहर में दिनांक 7.12.2000 को चालान पेश कर दिया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

राज्य सरकार ने अनुशासनिक अधिकारी (बोर्ड अध्यक्ष) के आदेश दिनांक 26.10.1998 को सी.सी.ए. नियम 32 के अन्तर्गत रिव्यू कर आदेश क्रमांक प.8 (2) आयु./86 दिनांक 22.9.1999 के द्वारा श्री प्रभुनारायण शर्मा, वरिष्ठ लिपिक के द्वारा श्री प्रभुनारायण शर्मा, वरिष्ठ लिपिक को सेवानिवृति पर उन्हें देय परिलाभों में से 5 प्रतिशत की राशि और काटे जाने के आदेश देकर गबन प्रकरण को समाप्त कर दिया है।

राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक : प. 8 (2) आयु./86 दिनांक 15.7.1999 द्वारा गबन की शेष राशि का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर को आदेश दिए थे। उक्त जांच रिपोर्ट में बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री भागीरथ जोशी पर 3337 रुपये, श्री मंगल चन्द शर्मा, स्टेनो को 2321 रुपये एवं श्री रामशरण शर्मा, क.लि. को 16,339 रुपये का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। आरोपी कर्मचारी श्री मंगल चन्द शर्मा, स्टेनो व श्री रामशरण शर्मा, क.लि. को सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 24.3.2001 को आरोप पत्र दे दिए गये हैं। श्री भागीरथ जोशी, भू.पू. अध्यक्ष का निधन हो चुका है।

(गृह मंत्री)

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : एफ. 11(168)आयु./82 दिनांक 10.12.82 के आधार पर श्री राधेश्याम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध 14,565 रुपये एवं 7000 रुपये के गबन के मामले में बोर्ड के पत्र क्रमांक : 5199 दिनांक 7.1.1983 एवं क्रमांक : 74 दिनांक 14.4.1983 को पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क.ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 जयपुर ने आदेश दिनांक 8.6.1995 द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा को धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप का दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल का साधारण कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है, जिसकी अपील सैशन न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री राधेश्याम शर्मा ने गबन की राशि बोर्ड में दिनांक 17.1.1983 एवं 24.3.1983 को जमा करा दी थी। श्री राधेश्याम शर्मा को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बोर्ड के आदेश क्रमांक : 1348-54 दिनांक 1.10.1988 द्वारा बोर्ड सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।

श्री मंगल चन्द शर्मा, क.लि. (हाल स्टेनो) को 2400 रुपये के गबन के आरोप में सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत एवं 2217 रुपये के गबन के लिए सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच करवा कर आदेश दिनांक 23.3.1983 एवं 30.7.1998 द्वारा क्रमशः एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तथा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक कर दण्डित किया जा चुका है।

श्री मंगल चन्द शर्मा से गबन की राशि वसूल कर ली गई है।

पूर्व पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर (दक्षिण) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

494. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग को शासन सचिव, कार्मिक विभाग का पत्र क्रमांक 104 दिनांक 12.2.2001 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पत्र के सम्बन्ध में पूर्व पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर (दक्षिण) ने उक्त घटना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को क्या सूचना दी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त प्रकरण में उल्लिखित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध वायरलैस सैट के सम्बन्ध का प्रकरण तथा अन्य प्रकरण भी विभाग में विचार हेतु आये थे? यदि हां, तो समस्त प्रकरणों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(गृह मंत्री)

(3) प्रश्न में कहीं भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का नाम नहीं आया है।

पूर्व वृत्त अधिकारी थाना, पल्लू के विरुद्ध जांच

495. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री रिछपाल सिंह पूनिया, उप अधीक्षक, पुलिस में किस वर्ष कितनी तारीख को किस पद पर चयनित हुए? चयन एवं प्रशिक्षण के बाद इनकी तैनाती कहां-कहां रही? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उप अधीक्षक के विरुद्ध वर्ष 1977 से फरवरी, 2001 तक कोई आपराधिक मामला पंजीबद्ध हुआ है? यदि हां, तो उक्त अपराधों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्री पूनिया के विरुद्ध किन्हीं अपराधों का न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया है? यदि हां, तो मय तारीख प्रसंज्ञान अदालत सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त उप अधीक्षक पुलिस ने अपने सेवाकाल में किसी चल या अचल सम्पत्ति क्रय करने या बेचने की स्वीकृति राज्य सरकार या विभाग से ली है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त उप अधीक्षक के विरुद्ध वर्ष 1992 में पुलिस विभाग के सतर्कता पुलिस अधीक्षक ने जांच की थी? यदि हां, तो जांच साधारण की या किसी पंजीबद्ध अपराध के सम्बन्ध में थी और इसका परिणाम क्या रहा?

(6) क्या यह सही है कि श्री रिछपाल सिंह ने वृत्त अधिकारी के रूप में थाना पल्लू में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाया था? यदि हां, तो उक्त प्रकरण का नतीजा क्या रहा?

(7) क्या उक्त उप अधीक्षक ने नोहर थाना में बलात्कार प्रकरण में स्वजातीय मुलजिमान को नियम विरुद्ध तरीके से आरोपियों को बचाया और शिकायत होने पर जांच हुई? यदि हां, तो उक्त जांच का नतीजा क्या रहा?

(8) क्या उक्त उप अधीक्षक के विरुद्ध कोई जांच पुलिस विभाग में विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त जांच का नतीजा क्या रहा?

उत्तर

(1) श्री रिछपाल सिंह पूनिया उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 9.9.1975 को उप निरीक्षक पुलिस के पद पर चयनित हुए चयन एवं प्रशिक्षण के बाद इनकी तैनाती की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) उक्त उप अधीक्षक पुलिस के विरुद्ध वर्ष 1977 से फरवरी, 2001 तक चार अपराध दर्ज हुए जिनका विवरण इस प्रकार है :—

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	अभि. सं.	धारा	थाना	नतीजा
1.	117/99	342, 307, 323, 504	भादरा	एफ.आर.अदमवर्कू
2.	421/2000	302, 34 भादस	भादरा	अन्वेषणाधीन है।
3.	441/2000	307, 366 भादस	भादरा	अन्वेषणाधीन है।
4.	462/2000	307, 325, 120बी, 323, 324, 342 भादस	भादरा	अन्वेषणाधीन है।

(3) जी, नहीं।

(4) राज्य सरकार एवं पुलिस विभाग से कोई स्वीकृति नहीं ली गई।

(5) जी, हां। वर्ष 1991-92 में पुलिस अधीक्षक सतर्कता राजस्थान जयपुर द्वारा जांच की गई थी। थाना, सूरतगढ़ के आकस्मिक निरीक्षण में पाई अनियमितताओं के संबंध में साधारण जांच की। जांच के पश्चात् श्री पूनिया को 17 सी.सी.ए. का नोटिस दिया गया एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर दोषमुक्त किया गया।

(6) जी, हां। श्री पूनिया ने थाना, पल्लू में अभियोग संख्या-32 दिनांक 27.6.2000 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट में दर्ज करवाया था। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण दर्शन सिंह, जयवीर, नरेन्द्र कुमार, पवन कुमार के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(7) जी, नहीं। अभियोग संख्या-25/99 धारा 363, 342, 354, 376, 34 भा.द.सं. थाना, नोहर का अनुसंधान विधान सभा में मामला उठाये जाने पर पुलिस अधीक्षक महिला अत्याचार निवारण, सी.आई.डी. (सी.बी.) द्वारा किया गया। जिन्होंने श्री पूनिया द्वारा अभियोग के अनुसंधान में सही सुपरविजन नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण से संतुष्ट होने पर नोटिस फाइल किया गया।

(8) जी, हां। अभियोग संख्या-130/2000 थाना, रावतसर के अनुसंधान में अनियमितताएं करने में श्री रिछपाल सिंह पूनिया उप अधीक्षक पुलिस से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। मामला विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जयपुर शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कार्यरत कर्मी

496. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में सहायक उप निरीक्षक, उप-निरीक्षक व हैड कांस्टेबल कितने-कितने वर्षों से कार्यरत हैं? उक्त कर्मियों में तीन

(श्री हीरासिंह चौहान)

वर्ष से कौन-कौन अधिक समय से एक ही पुलिस स्टेशन पर कार्यरत हैं? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुलिस विभाग में सर्तकता एवं क्षेत्र संवेदनशील होने से लम्बे समय तक एक ही स्थान पर रखने से प्रशासन में शिथिलता जन सम्पर्क अधिक बढ़ जाने से पैदा नहीं होती है? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिये कोई स्थानान्तरण नीति तय कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के विभिन्न थानों में 14 उप निरीक्षक, 22 सहायक उप निरीक्षक तथा 116 हैड कानि. कुल 152 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो एक ही थाने में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित हैं। थानावार नामजद सूची "अ, ब, स, द, न" संलग्न है।

संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

जयपुर शहर	जयपुर शहर (उत्तर)	जयपुर शहर (दक्षिण)	कुल योग
उप निरीक्षक	5	9	14
सहा. उप निरीक्षक	9	13	22
हैड कानि.	50	66	116
योग			152

(2) पुलिस विभाग में सतर्कता एवं क्षेत्र संवेदनशील होने से लम्बे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने तथा जन सम्पर्क बढ़ने से पुलिस सूचना तंत्र मजबूत होता है। लोगों से समन्वय बेहतर होता है तथा इलाके का ज्ञान बेहतर होता है तथा आपातकालीन स्थिति में बेहतर कार्य करने की क्षमता पैदा होती है, अगर इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति विशेष स्वयं की कमियों के कारण होता है, तथा उसका सीधा संबंध तैनाती की अवधि से न होकर स्वयं के आचरण से होता है। स्थानान्तरण नीति राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

पुलिस में उप निरीक्षक भर्ती के लिए खेलकूद में दक्ष खिलाड़ियों को आरक्षण

497. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस में उप निरीक्षक भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त/खेलकूद में दक्षता प्राप्त खिलाड़ियों के लिए क्या मानदण्ड तय किये हुए हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती कर रही है? यदि हां, तो कब तक? क्या उक्त भर्ती में दक्ष खिलाड़ियों के लिए आरक्षण किया जा रहा है?

(श्री महादेव सिंह)

(3) क्या यह सही है कि आर.पी.एस.सी. में अभी उप निरीक्षक चयन के सीधी भर्ती हेतु दक्ष खिलाड़ियों के लिए स्थान नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के दक्ष खिलाड़ियों के प्रोत्साहान एवं अग्रणी बनाने हेतु अभी आर.पी.एस.सी. में भेजे गये नियमों में दक्ष खिलाड़ियों का आरक्षण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर खेलकूद कोटे में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम, 17 के अन्तर्गत भर्ती की कार्यवाही की जाती है। नियम 17 के उद्धरण की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग के पत्र संख्या पं. 29(109)गृह-1/90 दिनांक 9.2.2001 के द्वारा 200 उप निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, को सूचना एवं अर्थना भिजवाई जा चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति जारी होने पर परीक्षा सम्पन्न होगी। इस भर्ती में खिलाड़ियों के लिये आरक्षण नहीं है।

(3) उप निरीक्षक की प्रस्तावित सीधी भर्ती में खिलाड़ियों के लिये आरक्षण नहीं है, क्योंकि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 17 (ए) में ऐसा प्रावधान नहीं है। नियम में केवल यह प्रावधान है कि महानिदेशक पुलिस रिक्त पदों के 10 प्रतिशत पदों पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ऐसे खिलाड़ियों को भर्ती कर सकते हैं, जो नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करते हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

आदिवासी सहकारी समितियों को तेन्दूपत्ता संग्रहण हेतु यूनिट आबंटन

498. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने गत वर्षों में राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य हेतु आदिवासी तेन्दूपत्ता संग्रहण सहकारी समितियों की यूनिट आरक्षित की थी? यदि हां, तो कितने वर्षों से आरक्षित की जा रही थी?

(2) क्या तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य आदिवासी सहकारी समितियों को यूनिट आबंटन के पश्चात् सरकार को पूर्व के मुकाबले राजस्व की हानि हो रही थी? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 2001 में आदिवासी तेन्दूपत्ता संग्रहण सहकारी समितियों को तेन्दूपत्ता संग्रहण हेतु यूनिट का आबंटन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार द्वारा आदिवासी तेन्दूपत्ता संग्रहण सहकारी समितियों को संग्रहण यूनिट आबंटित नहीं करने पर ठेकेदारों द्वारा आदिवासियों का शोषण नहीं किया जावेगा?

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(5) क्या सरकार दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी तेन्दूपत्ता संग्रहण समितियों को तेन्दूपत्ता संग्रहण हेतु यूनिट आबंटित करने के लिए पुनर्विचार करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1998 में वर्ष 2000 की अवधि यथा तीन वर्ष में कुछ तेन्दूपत्ता इकाइयां आदिवासी तेन्दूपत्ता सहकारी समितियों हेतु आरक्षित की गई थीं।

(2) राज्य सरकार को कम आय प्राप्त हुई तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट "क" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। तीन वर्षों से तेन्दूपत्ता यूनिटों के आरक्षण प्राप्त कर कार्य करने से आदिवासी सहकारी समितियों का कार्य अनुभव/वित्तीय स्थिति खुली प्रतिस्पर्धा में भाग लेने योग्य हो गई, इसलिये तेन्दूपत्ते के विक्रय को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रदान करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये 2001 में यूनिटों का सीधे ही सहकारी समितियों के लिये राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नहीं किया गया। खुली प्रतिस्पर्धा में सहकारी समिति द्वारा उच्चतम बोली देने की स्थिति में उसे 10 प्रतिशत राशि कम कर इकाई देने की व्यवस्था की गई है जिससे अन्य प्रतिस्पर्धाकर्ताओं के मुकाबले समिति को 10 प्रतिशत राशि कम देने पर भी इकाई आबंटित की जा सकेगी।

(4) ऐसे किसी शोषण की कोई संभावना नहीं है।

(5) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

ग्राम-रूपपुरा (झालावाड़) में वन भूमि पर क्लोजर निर्माण

499. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम रूपपुरा (वीरान) ग्राम पंचायत बैरागढ़ (झालावाड़) में वन विभाग की कितनी आराजी किस-किस खसरा नम्बरान की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वन भूमि में कितनी भूमि पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वन हेतु आरक्षित भूमि में से कितनी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है? सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या सरकार उक्त भूमि में किये गये अतिक्रमणों को अतिक्रमियों को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या ग्राम रूपपुरा (वीरान) की वन भूमि में सरकार द्वारा क्लोजर बनाने की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो किन कारणों से क्लाजेर नहीं बनाया गया? उक्त संबंध में कौन अधिकारी दोषी है तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जिला–झालावाड़ की ग्राम पं.–बैरागढ़ से ग्राम रूपपुरा वीरान में खसरा नम्बर–1, 2 एवं 3 की कुल 1408 बीघा 2 बिस्वा भूमि वन विभाग के अधीन है। खसरावार वन भूमि की सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त वन भूमि में से 1361 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर धोक, खैर, ढाक एवं छोटी-छोटी बैर की झाड़ियां हैं जो प्राकृतिक पौधे हैं। इस क्षेत्र में विभाग द्वारा किसी प्रकार का वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) उक्त वन भूमि में से 47 बीघा वन भूमि पर 23 व्यक्तियों द्वारा गत वर्ष अतिक्रमण किया गया था जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है। अतिक्रमियों के विरुद्ध राज.. भू. राजस्व अधि., 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण पंजीकृत किये जाकर अतिक्रमियों को न्यायालय सहायक वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा वन भूमि से बेदखल करने एवं 5800/- रुपये की शास्ति राशि से दण्डित किया गया। राजस्व/वन/पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समन्वित कार्यवाही कर वन भूमि से अतिक्रमियों को दिनांक 2.7.2000 को बेदखल किया गया। अतिक्रमियों द्वारा पुनः अतिक्रमण करने के फलस्वरूप जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सहयोग से उन्हें पुनः बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

बीड़ फतेहपुर (सीकर) की वन भूमि का अधिग्रहण

500. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बीड़ फतेहपुर (सीकर) की वन भूमि भेड़ व ऊन विभाग को लीज पर दी हुई है? यदि हां, तो कितनी, कब से, कितने वर्षों के लिए दी गई थी?

(2) क्या अब भेड़ ऊन विभाग को पशुपालन विभाग में मर्ज कर देने के उपरान्त उक्त भूमि वापस वन विभाग अपने अधीन लेने का विचार रखता है? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गयी और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि पर किसानों/पशुपालकों के क्या-क्या अधिकार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। बीड़ फतेहपुर की रक्षित वन भूमि केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थापना हेतु भेड़ एवं ऊन विभाग को निम्न विवरण अनुसार लीज पर दी गयी थी :–

(राज्य मंत्री, वन)

आदेश दि. जिससे भूमि लीज पर दी गयी	लीज पर दी गयी भूमि का रकबा
7.7.72	7500.00 एकड़
20.10.72	1200.00 एकड़
11.12.75	680.312 एकड़
कुल	**9,380.312**

लीज की शर्त के अनुसार फार्म का कार्य समाप्त होने तक भूमि संभलायी गयी थी।

(2) जी, नहीं। भेड़ एवं ऊन विभाग का नवसृजित पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग में समावेश हो जाने पर भी नवसृजित विभाग के द्वारा उक्त फार्म का प्रबन्ध एवं संचालन किया जावेगा। अतः लीज की शर्त अनुसार सरकार का भूमि वापस लेने का विचार नहीं है।

(3) रक्षित वन घोषित करने हेतु जारी राज्य सरकार की विज्ञप्ति अनुसार ग्रामवासियों को इस भूमि पर निम्न अधिकार प्राप्त है :—

(क) वन खण्ड में महन्तजी की गढ़ी रामगोपालजी का जोहड़ा, मुरारकों का कुआ व धर्मशाला व गढ़ी के पास की धर्मशाला व कस्बा फतेहपुर के नजदीक तालाब व धर्मशाला कुआ है। इनको आम जनता को काम में लेने का अधिकार रहेगा।

(ख) इस वन खण्ड में निम्नलिखित रास्तों पर जनता को आवागमन का अधिकार रहेगा। फतेहपुर से सीकर, फतेहपुर से जलालसर, सारिण्डा से रिलाऊ जाने के आम रास्ते हैं।

(ग) इस वन खण्ड में निम्नलिखित ग्रामों के श्मशान हैं उनमें वाशिण्ट गांव को मुर्दा जलाने का अधिकार रहेगा। कस्बा फतेहपुर, रिणाऊ, रूगनाथपुरा।

तहसील–बामनवास के दोषी केरोसिन डीलर्स के विरुद्ध कार्यवाही

501. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम–भंवरकी, सुन्दरी, बैराड़ा एवं पिपलाई (बामनवास) के केरोसिन डीलर्स को अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 तक कब-कब कितना केरोसिन दिया गया व डीलर्स ने उसका किस प्रकार वितरण किया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डीलर्स की शिकायत होने पर फरवरी, 2001 में प्रवर्तन अधिकारी, गंगापुर सिटी द्वारा जांच की गयी है?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रवर्तन अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में उक्त डीलर्स को दोषी पाया? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध कब क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

(4) क्या यह सही है कि पुख्ता सबूत व जांच रिपोर्ट के बावजूद दोषी डीलर्स के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर अब भी केरोसिन की सप्लाई की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रकरण में डीलर्स व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम- भंवरकी, सुन्दरी, बैराड़ा एवं पिपलाई (तह.-बामनवास) के केरोसिन डीलर्स को माह अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 तक डीलर्स को निम्नानुसार केरोसिन दिया गया :—

नाम माह	भंवरकी	सुन्दरी	बैराड़ा	पिपलाई
4/2000	–	3500	6360	4300
5/2000	–	4200	7500	13000
6/2000	2500	4500	3800	10000
7/2000	1000	4000	6000	11620
8/2000	2000	3000	–	7980
9/2000	2000	4000	2000	9560
10/2000	3780	3000	3000	500
11/2000	2000	3000	3000	8500
12/2000	1500	3000	3000	5040
1/2001	420	2500	4040	5720
2/2001	1500	3000	4500	4500

(2) जी, हां। उक्त डीलर्स की शिकायत होने पर माह फरवरी, 2001 में प्रवर्तन अधिकारी, गंगापुर सिटी द्वारा जांच की गयी।

(3) जी, हां। दोषी पाये जाने पर डीलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। ग्राम पिपलाई के डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 5.2.2001 को निलम्बित किया गया। डीलर्स द्वारा कलक्टर, सवाईमाधोपुर से निवेदन करने पर जांच पुनः तहसीलदार, बामनवास से करवाई गयी। उन्होंने जांच कर पिपलाई के डीलर का लाइसेंस बहाल किया तथा आंशिक अनियमितताएं पाये जाने पर 500/- प्रतिभूति राशि जब्त की, जांच की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है तथा शेष तीनों डीलर्स के विरुद्ध जांच कार्यवाही जारी है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) जी, नहीं। प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीलर्स को कारण बताओ नोटिस दिये गये तथा उनमें से पिपलाई के डीलर का प्राधिकार पत्र भी दिनांक 5.2.2001 को निलम्बित किया गया था।

परन्तु चारों डीलर्स तथा सरपंच, ग्राम पिपलाई तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर से निवेदन कर तहसीलदार, बामनवास द्वारा पुनः जांच करवाई गयी, जिसके फलस्वरूप ग्राम पिपलाई के डीलर को आंशिक दोषी पाये जाने पर उसकी प्रतिभूति राशि 500/- जब्त कर उसके प्राधिकार-पत्र को बहाल किया गया तथा शेष तीनों डीलर्स के विरुद्ध जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने तथा उनका प्राधिकार पत्र निलम्बित नहीं होने के कारण उन्हें केरोसिन की सप्लाई की जा रही है।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि डीलर्स को दोषी पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चूंकि इस प्रकरण में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जालौर सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. में अधिकारी/कर्मचारियों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रकरण

502. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. में अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति कब-कब की गयी?

(2) क्या विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रिक्त पदों की वर्गवार सूचना, योग्य आशार्थियों की सूचियां नियमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रखी गयी?

(3) क्या हर वर्ग में पदोन्नति उसी संवर्ग से दी गयी व विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किये गये निर्णय की पालना हर केस में की गयी? यदि हां, तो किस-किस केस में किस-किस निर्णय की क्या-क्या पालना की गयी और नहीं, तो क्यों तथा इसके लिये कौन मुख्य कार्यकारी जिम्मेदार है?

(4) क्या यह भी सही है कि अधिकारी/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन हर वर्ष लिखे जाते हैं? उक्त बैंक में अंतिम विभागीय पदोन्नति समिति तक लिखे गये हर गोपनीय प्रतिवेदनों को किस वर्ष में किस अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग, समीक्षा व स्वीकार किया गया?

(5) क्या यह सही है कि डी.पी.सी. में उक्त गोपनीय प्रतिवेदन रखने से पूर्व अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिकूल गोपनीय

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

प्रतिवेदन की लिखित सूचना दी जायेगी? उक्त बैंकों में किस-किस के प्रतिकूल टिप्पणी थी व कब-कब सूचना दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि विचाराधीन विभागीय जांच या सी.सी.ए. 17 की सूचना भी डी.पी.सी. के समक्ष रखी जावे? उक्त बैंकों में डी.पी.सी. से पूर्व किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही विचाराधीन थीं व उनका क्या-क्या विवरण डी.पी.सी. में रखा गया?

(7) डी.पी.सी. से तत्काल पूर्व इस प्रकार के अनुशासनिक कौन-कौनसे मामले निपटाये गये व उन पर क्या निर्णय व किस अधिकारी की अनुशंसा पर किस अधिकारी द्वारा लिये गये?

(8) उक्त बैंक में डी.पी.सी. बैठकों के बाद या पूर्व में किस-किस अधिकारी/कर्मचारियों ने आपत्ति/ज्ञापन पेश किया व उन पर क्या निर्णय लिया गया?

(9) वरिष्ठता सूची व डी.पी.सी. से सम्बन्धित कितने ज्ञापन या न्यायालय में केस विचाराधीन हैं? उक्त संबंध में तात्कालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने क्या-क्या निर्णय लिये?

उत्तर

(1) जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। दिनांक 23.07.85 की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा "सी" श्रेणी अधिकारियों के दो पद जिसमें से कि एक पद अनुसूचित जाति एवं एक पद अनुसूचित जनजाति से भरा जाना था, को सामान्य वर्ग से भरा गया, क्योंकि उक्त पदों के लिए क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का योग्य आशार्थी उपलब्ध नहीं था।

वर्ष 26.07.97 की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा "सी" श्रेणी के अधिकारी का अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पद के स्थान पर सामान्य वर्ग से पद भरा गया, चूंकि अनुसूचित जाति का योग्य आशार्थी उपलब्ध नहीं था।

23.07.85 की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा लिये गये प्रत्येक निर्णय की पालना की गयी है। परन्तु दिनांक 26.07.97 की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा लिये गये प्रत्येक निर्णय की पालना नहीं की गयी है। इस विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि "सी" श्रेणी में अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद हेतु इस वर्ग में अन्य कोई योग्य आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य वर्ग से वरिष्ठता सूची में अगले अधिकारी श्री कालचन्द को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश इस शर्त के साथ की जाती है कि इस प्रकरण में पदोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे। परन्तु बैंक द्वारा विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं करने के कारण उक्त निर्णय की पालना नहीं की

(सहकारिता मंत्री)

गयी। इसी प्रकार "डी" श्रेणी में सामान्य वर्ग पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति में यह निर्णय लिया गया था कि "श्री विजय कुमार भोजक के आदेश "सी" श्रेणी में एक अधिकारी (अनुसूचित जनजाति वर्ग) की रजिस्ट्रार महोदय से चाही गयी स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर ही पदोन्नति आदेश जारी करने की सिफारिश की जाती है। परन्तु बैंक द्वारा उक्त विभागीय स्वीकृति प्राप्त नहीं करने के कारण उक्त निर्णय की भी पालना नहीं हुई है।

विभागीय पदोन्नति समिति दिनांक 23.07.85 एवं 26.06.97 के द्वारा लिये गये निर्णय एवं उनकी पालना की स्थिति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं। बैंक ने अधिकारी/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन 1981-82 से प्रतिवर्ष लिखे जा रहे हैं। बैंक में अंतिम विभागीय पदोन्नति समिति हेतु विचारार्थ रखे गये गोपनीय प्रतिवेदनों के वर्गवार एवं वर्षवार रिपोर्टिंग समीक्षक एवं स्वीकारकर्त्ता अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) जी, नहीं। विभागीय पदोन्नति समिति में गोपनीय प्रतिवेदन रखने से पूर्व अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिकूल गोपनीय प्रतिवेदन की लिखित सूचना देने का चयन/पदोन्नति के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक ने 23.07.85 की विभागीय पदोन्नति समिति से पूर्व किसी कर्मचारी/अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थीं, परन्तु 26.06.97 की डी.पी.सी. से पूर्व 11 अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टिप्पणी थी एवं समस्त 11 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना दिनांक 24.06.97 को दी गयी। प्रतिकूल टिप्पणी का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(6) जी, हां। यह सही है कि विचाराधीन विभागीय जांच या सी.सी.ए. 17 की सूचना डी.पी.सी. के समक्ष रखी जाये। जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक में दिनांक 23.07.85 की डी.पी.सी. से पूर्व किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच या सी.सी.ए. 17 के मामले विचाराधीन नहीं थे। दिनांक 26.06.97 को डी.पी.सी. से पूर्व कुल 11 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच अथवा सी.सी.ए. 17 के मामले विचाराधीन थे एवं इनका विवरण डी.पी.सी. में रखा गया। इन मामलों की सूची एवं उनका डी.पी.सी. में रखा गया विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(7) जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक ने दिनांक 23.07.85 की डी.पी.सी. से तत्काल पूर्व कोई अनुशासनिक मामला नहीं निपटाया गया। परन्तु डी.पी.सी. दिनांक 26.06.97 से पूर्व 4 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुशासनिक मामले निपटाये गये। अनुशासनिक मामले का विवरण, उन पर किया गया निर्णय तथा उन पर की गयी अनुशंसा का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(8) जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक की डी.पी.सी. दिनांक 23.07.85 से पूर्व एक कर्मचारी ने आपत्ति/ज्ञापन पेश किया एवं उक्त डी.पी.सी. के बाद किसी अधिकारी/कर्मचारी ने ज्ञापन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। इसी प्रकार डी.पी.सी. दिनांक 26.06.97 से पूर्व एक कर्मचारी द्वारा तथा उक्त डी.पी.सी. के बाद 3 कर्मचारियों ने आपत्ति/ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इन सब आपत्ति/ज्ञापन तथा उन पर लिये गये निर्णय का विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(9) वरिष्ठता सूची से संबंधित ज्ञापन या न्यायालय में केस विचाराधीन नहीं है। परन्तु डी.पी.सी. से संबंधित 3 ज्ञापन विचाराधीन हैं एवं डी.पी.सी. से संबंधित न्यायालय में कोई केस वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त ज्ञापनों का विवरण तथा उनके संबंध में तात्कालिक मुख्य कार्यकारी के निर्णय का विवरण परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक एवं बूंदी जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की साधारण सभा की बैठकें

503. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक एवं बूंदी जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की साधारण सभा की गत बैठकें कब-कब आयोजित की गई थीं?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक सहकारी संस्था की बैठक वर्ष में एक बार बुलाना आवश्यक है? यदि हां, तो सरकार उक्त संस्थाओं की साधारण सभा की बैठकें बुलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और अब बैठक कब तक बुला ली जायेगी।

(3) बूंदी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की साधारण सभा की बैठक के बुलाने के लिए, गत साधारण सभा की बैठक के बाद, किस-किस सदस्य, संस्था एवं अन्य व्यक्तियों ने बैंक को कब-कब, क्या-क्या लिखा और उस पर बैंक ने क्या-क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या बैंक की साधारण सभा की बैठक समय पर नहीं बुलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि बूंदी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक आर.बी.आई. एक्ट धारा-II के अन्तर्गत अधिसूचित हो गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि गत साधारण सभा बैठक के बाद के कुछ वर्षों

(श्री घासीलाल मेघवाल)

में बैंक के लेखों में अपेक्स को-आपरेटिव बैंक को देय ब्याज को अंकित नहीं कर, हानि को कम कर दिखाकर सरकार को गलत सूचनाएं देकर धोखा दिया? क्या तत्कालीन आडिटर ने भी आडिट में उक्त अनियमितताओं का उल्लेख नहीं कर इसमें सहयोग किया? क्या उक्त ब्याज बाद के वर्ष में एक साथ अंकित करने से उक्त वर्ष में हानि अधिक हो गयी? यदि हां, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन प्रबन्ध-संचालक एवं आडिटर के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बूंदी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक एवं बूंदी जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की साधारण सभा की आयोजित गत बैठकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। विभाग द्वारा बूंदी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक एवं बूंदी जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को अनिवार्यतः अगस्त, 2001 तक आम सभा आयोजित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

(3) बैंक की गत साधारण सभा की बैठक के बाद किसी भी सदस्य संस्था अथवा अन्य व्यक्तियों ने बैंक की साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए नहीं लिखा है।

(4) जी, नहीं। बैंक की वर्ष 1998-99 तक की साधारण सभा दिनांक 19.10.2000 को आयोजित की जा चुकी है। आगामी साधारण सभा की बैठक अगस्त, 2001 तक बुलाये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(5) जी, नहीं।

(6) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसलमेर के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनियमितताएं

504. श्री रूपाराम (डीडवाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसलमेर में वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में डेयरी, पशुपालन, नलकूप, नवकूप, फव्वारा संयंत्र, पम्प हाउस के उद्देश्यों हेतु कितने सदस्यों को सहकारी समितियों अथवा नोमिनल सदस्यों के मार्फत ऋण स्वीकृत किया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नलकूप पम्प एवं सामग्री फव्वारा संयंत्र चांदन स्थित चांदन इर्रिगेशन, प्रेम इर्रिगेशन एवं इंजीनियरिंग कम्पनी के मार्फत ही आपूर्ति किये गये हैं? उक्त फर्मों द्वारा उक्त अवधि में उक्त बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों के विरुद्ध नलकूप पम्प व सामग्री एवं फव्वारा संयंत्रों की आपूर्ति कितने-कितने सदस्यों को की गयी है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपाराम)

(3) क्या यह भी सही है कि ऋणी सदस्य की मांग कोटेशन से जिस नलकूप पम्प हार्स पावर की थी, जितने हैक्टेयर फव्वारा संयंत्र की जिस व्यास के पाइप की जिस फर्म की थी, उसके विपरीत अश्वशक्ति के पम्प भिन्न हैक्टेयर एवं भिन्न-भिन्न व्यास के फव्वारा संयंत्र के पाइप अन्य विभिन्न फर्म से पूर्ति करवाये? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उक्त कार्यवाही करने में ऋणी सदस्य ने फर्म बदली के प्रार्थना-पत्र बैंक अधिकारियों को लिखित में दिये हैं? यदि हां, तो ऋणी सदस्यों से सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त ऋण वितरण में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, निरीक्षक एवं उसके पुत्र की फर्मों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/फर्म में लिप्त पाये गये?

(6) क्या सरकार अनियमितताओं में लिप्त अधिकारी/कर्मचारियों/फर्मों के विरुद्ध जांच करवाकर फौजदारी मुकदमा दायर करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसलमेर ने वर्ष 1996-97, 1997-98 में सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण स्वीकृत नहीं किया। वर्ष 1996-97 में 112 एवं वर्ष 1997-98 में 42 कृषकों को नोमिनल सदस्यता प्रदान कर ऋण स्वीकृत किया गया। संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। इन फर्मों के अलावा अन्य फर्मों द्वारा भी नलकूप, पम्प व सामग्री, फव्वारा संयंत्र आपूर्ति किये गये हैं। चांदन इर्रिगेशन, प्रेम इर्रिगेशन एवं इंजीनियरिंग फर्मों द्वारा उक्त अवधि में स्वीकृत ऋणों के विरुद्ध आपूर्ति किये गये नलकूप, पम्प व सामग्री, फव्वारा संयंत्र का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी, हां। इन कारणों की जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत की जा रही है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां। विभाग को दिनांक 27.3.2001 को शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच की जा रही है।

(6) अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के तहत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनियमितताओं में लिप्त पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी/फर्मों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

शीर्ष बैंक के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक, आंतरिक अंकेक्षण को नोटिस

505. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा दिनांक 11.8.99 को पत्र लिखने पर शीर्ष बैंक द्वारा सी.सी.ए. 17 के अन्तर्गत दिनांक 24.3.2000 को श्री आर. सी. माथुर, तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक, आन्तरिक अंकेक्षण को नोटिस जारी किया गया एवं उनके विरुद्ध आरोपों की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया? यदि हां, तो क्या उक्त जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तद्नुसार कार्यवाही अमल में लायी जानी थी? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर विभाग ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों और क्या कार्यवाही नहीं करने के लिए विभाग किसी अधिकारी को उत्तरदायी मानता है?

(3) क्या उक्त जांच रिपोर्ट ही प्राप्त नहीं हुई या विभाग द्वारा तद्नुसार कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो अब कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी, हां।

जी, नहीं। उक्त जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। क्योंकि श्री आर. सी. माथुर द्वारा जांच हेतु आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां चाहे जाने पर केन्द्रीय सहकारी बैंक, सिरोही द्वारा उन्हें उक्त दस्तावेज दिनांक 27.3.2001 को उपलब्ध कराये हैं। तत्पश्चात् जांच अधिकारी को शीघ्र जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(2) जी, हां। उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तद्नुसार कार्यवाही अमल में लायी जानी थी, परन्तु जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही शीर्ष बैंक द्वारा की जावेगी।

(3) उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

जिला जालौर में संचालित महिला सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता

506. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15.1.2001 को "सहकार आपके द्वार" की घोषणा की गई थी?

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

(2) क्या महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु महिला सहकारी समितियों का अधिक से अधिक गठन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जालौर शहर में दिनांक 25.2.96 से महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार कार्यरत है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की आर्थिक स्थिति खराब है?

(5) क्या सरकार उक्त महिला सहकारी भण्डार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये मार्जिन मनी, अनुदान, ऋण, दृष्टिबंधक ऋण, सी.सी. लिमिट योजना के तहत और एक लाख अथवा अधिक बैंकों से राज्य स्तरीय परिवर्तित योजना अथवा समग्र विकास के तहत और राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां।

(5) वर्तमान में भण्डार का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

किशनगढ़-शाहबाद में स्थापित कोटा सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की बन्द शाखाएं

507. श्री शिव नारायण (बारां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला बारां में केन्द्रीय बैंक स्थापित करने का विचार रखती है? उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) जिले के सहरिया बहुल क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में कोटा सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की कितनी शाखाएं क्यों बन्द की गयी?

उत्तर

(1) जी, नहीं। क्योंकि राजस्थान सरकार (प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग) द्वारा गठित शासन सचिवों की समिति की बैठक दिनांक 22.4.95 में बारां जिले में जहां कि केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है, वहां पर वर्तमान प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक को पुनर्गठित कर उसे जैसलमेर पैटर्न पर एकीकृत बैंक के रूप में विकसित किये जाने एवं उससे अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण दोनों ही कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया था।

(2) कोटा सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अनुसार बारां जिले के सहरिया बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज एवं शाहबाद में 28.10.97 तक

(सहकारिता मंत्री)

भंवरगढ़ व शाहबाद में दो शाखाएं कार्यरत थीं। परन्तु मितव्ययता कमेटी की रिपोर्ट व प्रबन्ध निदेशक बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर एक शाखा शाहबाद सक्षम इकाई बनने की स्थिति में नहीं होने के कारण प्रशासक, बैंक के निर्णयानुसार दिनांक 29.10.97 को बन्द की गयी।

जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों के अवसायन पूर्व प्राप्त शिकायतों का निस्तारण

508. **श्री बंशीलाल गहलोत** (राजसमन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में वर्ष 1991 से 1995 तक किन-किन गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन अवसायन की कार्यवाही की जाकर निरस्त किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अवसायन से पूर्व गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उस पर नियमानुसार क्या कार्यवाही की जाती है?

(3) क्या वर्ष 1991 से 1995 तक जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन अवसायन की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर निरस्त किया गया उनके विरुद्ध अवसायन से पूर्व कोई शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्ष 1991 से 1995 तक निम्नांकित गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन अवसायन की कार्यवाही की जाकर निरस्त किया जा चुका है :—

(1) हरिजन आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(2) शांति गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(3) दयानंदपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(4) सिंधी ब्रह्मक्षत्री गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(5) लाल कोठी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(6) कंकेश्वर महादेव गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(7) कैलाशपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(8) जैन कालोनी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(9) डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच एम्प. को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., जयपुर

(10) इनकम टैक्स गजेटेड गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(11) इन्दिरा श्रमिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(सहकारिता मंत्री)

(12) फतहनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(13) लाखानी की ढाणी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(14) कच्ची बस्ती मालवीय नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(15) बैकुण्ठ नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(16) श्री कृष्ण गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

(2) अवसायन से पूर्व गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन पर नियमानुसार जांच/निरीक्षण कराया जाकर उनकी रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

(3) जी, नहीं।

जिला बीकानेर में अकाल सहायता के तहत व्यय राशि

509. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत अकाल में फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक अकाल सहायता के तहत विभिन्न मदों में कितनी-कितनी राशि माहवार व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक जिला बीकानेर में अकाल सहायता बाबत विभिन्न मदों में किस-किस गांव के लिए क्या-क्या अकाल सहायता कार्य स्वीकृत किये गये? तहसीलवार व्यय की गई राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत अकाल में माह फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक अकाल राहत के तहत विभिन्न मदों में मदवार व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर दिया गया है। विभाग द्वारा माहवार व्यय की सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

(2) माह फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक जिला बीकानेर में स्वीकृत राहत कार्यों की कार्यवार व्यय की गयी राशि सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-2)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला श्रीगंगानगर के अकाल प्रभावित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

510. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में अकाल से प्रभावित कितने ग्राम हैं? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(2) उक्त ग्रामों में क्या पेयजल की व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या-क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में ऐसे कितने ग्राम हैं जहां टैंकरों से पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है?

(4) उक्त अकालग्रस्त ग्रामों में मुख्य समस्या क्या सामने आ रही है तथा उसका सरकार द्वारा क्या हल निकाला गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ के 61 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। उक्त सभी ग्राम विभिन्न प्रकार की पेयजल योजना से लाभान्वित हैं। इन गांवों में से 5 गांव हैण्डपम्प योजनाएं व शेष गांव जल स्रोत योजना से जुड़े हुए हैं। अभी तक इन गांवों में पेयजल की कोई दिक्कत नहीं आई है। पेयजल की समस्या उत्पन्न होने पर टैंकरों से व्यवस्था की जावेगी।

(3) श्रीगंगानगर जिले में अभावग्रस्त क्षेत्रों के 11 गांव हैं जहां निकट भविष्य में टैंकरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी।

1. राइंयावाली 2. कनौर 3. टेठार 4. रतासर 5. चाड़सर 6. गौसाईसर 7. श्योनाथपुरा 8. कमभगढिया 9. मोकलसर 10. फरीदसर 11. भोजवाला

(4) उक्त अभावग्रस्त गांवों में मुख्य समस्या पेयजल की रहेगी, जिन्हें आवश्यकतानुसार टैंकर्स द्वारा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में संचालित जन सम्पर्क कार्यालय का बन्द प्रकरण

511. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जन सम्पर्क कार्यालय काफी समय से प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में संचालित था? यदि हां, तो उक्त कार्यालय को क्यों बन्द कर दिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। कार्यालय अभी चल रहा है।

जन सम्पर्क अधिकारियों की पदोन्नति

512. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988-89 में जन सम्पर्क अधिकारी के कुल कितने पद थे? उक्त पदों पर कितने व्यक्ति कार्यरत थे और कितने पद रिक्त थे? उक्त व्यक्तियों में

(श्री शंकर लाल अहारी)

कितने सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से पदस्थापित थे ?

(2) उक्त अवधि में क्या एक पद निलम्बित जन सम्पर्क अधिकारी के कारण भी रिक्त था ? यदि हां, तो क्या उक्त पद सीधी भर्ती से भरा गया अथवा पदोन्नति से और कब भरा गया ?

(3) क्या यह सही है कि कुल रिक्तियों की गणना के पश्चात् सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की रिक्तियों का विभाजन कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.12.81 के अनुसार किया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1988-89 में सीधी भर्ती से तीन रिक्तियों के स्थान पर आठ व्यक्तियों को तथा पदोन्नति से सोलह व्यक्तियों के स्थान पर नौ व्यक्तियों को ही क्यों नियुक्ति दी गयी ?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1988-89 में जन सम्पर्क अधिकारी के स्वीकृत पचास पदों में से उन्नीस पद रिक्त होने की सूचना लोक सेवा आयोग को भेजी गयी ? यदि नहीं, तो कितने पदों की ?

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 1988-89 में 31 व्यक्ति जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत थे ? क्या उक्त में से 9 व्यक्ति पदोन्नति से तथा 22 व्यक्ति सीधी भर्ती से नियुक्त थे ? यदि नहीं, तो कितने व्यक्ति सीधी से और कितने व्यक्ति पदोन्नति से नियुक्ति के बाद कार्यरत थे ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1988-89 में जन सम्पर्क अधिकारी के 45 पद स्वीकृत थे। उक्त पदों के विरुद्ध 49 व्यक्ति कार्यरत थे, कोई भी पद रिक्त नहीं था। 26 व्यक्ति सीधी भर्ती के तथा 23 व्यक्ति पदोन्नति से कार्यरत थे। इनमें से 4 व्यक्ति भारत सरकार एवं अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर थे।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। सीधी भर्ती की 9 रिक्तियों के स्थान पर 8 व्यक्तियों को तथा पदोन्नति के 9 रिक्तियों के स्थान पर 9 व्यक्तियों को नियुक्ति दी गयी है।

(4) वर्ष 1983-84 से 1988-89 तक के स्वीकृत पदों में से उक्त वर्षों के 19 पद रिक्त होने की सूचना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गयी थी।

(5) जी, नहीं। सीधी भर्ती से 26 व्यक्ति तथा पदोन्नति से 23 व्यक्ति कार्यरत थे। नाम की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

यातायात विभाग के कर्मियों का स्थानान्तरण

513. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में विभिन्न प्रादेशिक परिवहन व जिला परिवहन कार्यालय

(श्री सांवर लाल)

विभिन्न स्थानों पर हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) क्या उक्त कार्यालयों में कई कर्मचारी/अधिकारी गत 5 वर्ष या अधिक समय से कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन किस-किस कार्यालय में किस-किस, पद पर कब से कार्यरत है?

(3) क्या एक ही स्थान पर अधिक अवधि तक कर्मचारियों को कार्यरत रखना जनहित में उचित है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो कब तक इनका स्थान परिवर्तन होगा?

उत्तर

(1) विभाग में प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय जिन स्थानों पर स्थित है, उसकी सूचना परिशिष्ट "क" पर है।

(2) प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित केवल कर्मचारी जो गत 5 वर्ष या अधिक समय से कार्यरत हैं उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर है।

(3) एक ही स्थान पर अधिकारी/कर्मचारी को अधिक समय तक रखा जाना जनहित के विरुद्ध नहीं है। अल्पवेतन भोगी कर्मचारी को उसके गृह जिले या समीप के जिले में ही रखा जाता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आसीन्द (भीलवाड़ा) से जयपुर एवं हरिद्वार हेतु सीधी बस सेवा

514. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय आसीन्द (भीलवाड़ा) से जयपुर एवं हरिद्वार के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है?

(2) क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जनहित में एक बस दिन एवं एक रात्रि में चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। क्योंकि आसीन्द से भीलवाड़ा पंचम् अध्याय का मार्ग होने तथा निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा में निगम वाहनों को पर्याप्त मात्रा में यात्रीभार मिलने की संभावना नहीं है।

आसीन्द से हरिद्वार अन्तरराज्यीय मार्ग है, उक्त मार्ग उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों के मध्य विद्यमान पारस्परिक करार में सहमत मार्ग नहीं है। इस कारण इस मार्ग पर सीधी बस सेवा का संचालन अभी सम्भव नहीं है।

बांसवाड़ा से पीपलखूंट हेतु निगम बस सेवा

515. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बांसवाड़ा से नरवाली तथा बांसवाड़ा से पीपलखूंट वाया दानपुर घोड़ीतेजपुर मार्ग होती हुई राज्य पथ परिवहन निगम की बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। क्योंकि बांसवाड़ा से नरवाली पंचम् अध्याय का मार्ग है तथा इस मार्ग पर निजी वाहनें पूर्व से ही संचालित हैं।

इसी प्रकार बांसवाड़ा से पीपलखूंट वाया दानपुर घोड़ीतेजपुर मार्ग भी पंचम् अध्याय का है जिस पर भी निजी वाहनें संचालित हैं। उक्त दोनों मार्गों पर निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा में निगम वाहनों को पर्याप्त मात्रा में यात्रीभार मिलने की सम्भावना नहीं है।

जोधपुर से उदयपुर वाया माण्डल मार्ग से बस संचालन

516. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जोधपुर से उदयपुर वाया केनपुरा जाने वाली राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को जोधपुर से उदयपुर वाया ग्राम माण्डल पुनाड़िया, पादरली, सिन्धलान से होकर चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त ग्रामों में अधिक आबादी होने से उक्त रूट से निगम को कितनी-कितनी राजस्व प्राप्ति होगी?

उत्तर

(1) जी, नहीं। क्योंकि उक्त ग्राम अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर स्थित है जिन पर वर्तमान में निजी वाहनें संचालित हैं तथा उनकी प्रतिस्पर्धा में निगम वाहनों को पर्याप्त मात्रा में यात्रीभार मिलने की सम्भावना नहीं है।

(2) उक्त ग्राम अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर होने तथा निजी वाहनों के संचालन के कारण प्रतिस्पर्धा में निगम वाहनों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

517. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कुल कितने ग्रामों को विश्व बैंक की तरफ से तथा कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से सड़कों से

(श्री रामस्वरूप)

जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त क्षेत्र के कई ग्रामों की सड़कें अपूर्ण हैं? यदि हां, तो किन कारणों से और उनको कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जो सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो चुकी हैं की मरम्मत करवाने का विचार रखती है?

(4) उक्त क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 में सरकार अब और कितने ग्रामों को सड़कों से जोड़ेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक विश्व बैंक के अन्तर्गत कोई सड़क निर्माण कार्य विपणन बोर्ड द्वारा नहीं कराया गया है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निम्न सम्पर्क सड़कों का निर्माण उक्त अवधि में कराया गया है :

1. स.स. नादोती से भीलापाड़ा।
2. स.स. गीजगढ़ गुढ़ाचन्द्रजी रोड से बाड़ा।
3. स.स. नांद।
4. स.स. राजोली
5. स.स. उर्देन
6. स.स. कुड़ावल
7. स.स. भोटवाड़ा
8. स.स. जैसनी

(2) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क सड़कों के मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है।

(4) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 के लिए कोई सड़क का निर्माण कार्य विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

जिला नागौर की सड़कों की मरम्मत

518. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डियों द्वारा निर्मित सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में जिला नागौर में कौन-कौनसी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को कब-कब सुपुर्द कीं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के रख-रखाव व मरम्मत के लिये विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को कोई राशि दी है? यदि हां, तो उक्त सड़कों के लिये कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क के लिए दी गई?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) उक्त सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने के सम्बन्ध में क्या नीति है और क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? उक्त सम्बन्धी जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द की जा रही हैं। वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में जिला नागौर में मण्डी विकास निधि के अन्तर्गत निर्मित सड़क दाऊसर 3.70 कि.मी. दिनांक 15.8.99 को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गयी है।

(2) जी, नहीं। पूर्व में निर्मित सड़कें जो सही स्थिति में नहीं थी, उन सड़कों को राशि सहित हस्तान्तरित किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के कृषि विपणन विभाग के अन्तर्गत सड़क नीति दिनांक 10.3.95 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों की विशेष मरम्मत होने पर एवं नवीन सड़क का निर्माण होते ही सड़कों का हस्तान्तरण सार्वजनिक निर्माण विभाग को कर दिया जावेगा। सड़क नीति दिनांक 10.3.95 की प्रति परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गयी है। जिन सड़कों का कार्य पूर्ण हो जाता है, उन सड़कों की सूचना तैयार कर संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है तथा उनके द्वारा सड़क का निरीक्षण कर हस्तान्तरण प्राप्त किया जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा (कोटा) की अपूर्ण सड़कें

519. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किन-किन सड़कों का निर्माण किया गया/करवाया जा रहा है?

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? अब अपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पूर्ण हो चुकी एवं अपूर्ण सड़कें एवं उनके पूर्ण होने का विवरण परिशिष्ट

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

"अ" के कालम संख्या 3 में अंकित है, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

कृषि विपणन बोर्ड में ठेकेदारों का निलम्बन

520. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में ठेकेदारों के पंजीकरण नियमों के पैरा 5 के अनुच्छेद (2) के अन्तर्गत, ठेकेदार/फर्म के पंजीकरण को निलम्बित करने के अधिकार हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नियमों के अन्तर्गत बिना नेगोशिएशन मांगें ठेकेदार/फर्म द्वारा नेगोशिएशन दिये जाने पर ठेकेदार/फर्म को निलम्बित किया जाता रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। नियमों की आंशिक प्रति परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। मैसर्स द्वारकादास दोषी, बाड़मेर को बिना नेगोशिएशन मांगें नेगोशिएशन दर देने के कारण एक वर्ष के लिए निलम्बित एवं कार्य की निविदाओं में भाग लेने से पृथक किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

भगवतगढ़ से झौपड़ा (सवाई माधोपुर) सड़क निर्माण में हुई अनियमितता की जांच

521. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भगवतगढ़ से झौपड़ा (सवाईमाधोपुर) तक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त सड़क व पुलियाओं पर अलग-अलग अनुमानित लागत कितनी होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम भगवतगढ़ से झौपड़ा (सवाईमाधोपुर) तक की सड़क निर्माण में छोटी व बड़ी 23 पुलियाओं का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त में ग्राम भगवतगढ़ की पहाड़ी का कच्चा पत्थर लगाया गया है, जो निर्माण कार्यों के लिये सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है? यदि हां, तो उक्त कच्चा पत्थर क्यों लगाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की पुलियाओं में कच्चा पत्थर व घटिया सामग्री लगायी गयी है, जो कभी भी समय से पूर्व टूट सकती है? यदि हां, तो मौके पर निर्माण कार्य क्यों नहीं रोका गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पूर्व में भी स्थानीय् जनप्रतिनिधियों व जनता द्वारा उक्त निर्माण कार्य की शिकायत कई बार की गई है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सम्पर्क सड़क भगवतगढ़ से झौपड़ा का निर्माण कार्य राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.-5 नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत करवाया जा रहा है, जिसमें सड़क व पुलियाओं पर लागत राशि क्रमशः रुपये 61.08 लाख व रुपये 51.13 लाख है।

(2) जी, नहीं। सड़क पर छोटी व बड़ी पुलियाओं की कुल संख्या-21 है, जिनमें से 18 पुलियाओं का निर्माण किया जा चुका है, शेष निर्माणाधीन हैं। यह सही नहीं है कि इनमें कच्चा पत्थर लगाया गया है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी, हां। उक्त निर्माण कार्य की पूर्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कृषि विपणन मंत्री को शिकायत की गयी व जांच में शिकायत को निराधार पाया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बाद... (व्यवधान) श्री हरिश चन्द्र कुमावत.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बहुत गम्भीर मामला है....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी धारा है....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : 167 में कौनसा मुकदमा....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बजट लीक हुआ है, वित्त मंत्री....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, एक तो सरकार की जानकारी में लाये....

श्री अध्यक्ष : किस पर खड़े हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बजट लीक हो गया ....(व्यवधान)

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार की जानकारी में लाये कि बजट लीक हो गया, सरकार उस पर लीपापोती करने में लग रही है। (व्यवधान) जो सूचना दे रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया। जो एक्चुअल दोषी हैं....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक्चुअल दोषी हैं तो वित्त मंत्रीजी....(व्यवधान) यहां बैठे हुए हैं....(व्यवधान) + + + और यह निर्दोषों कि खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है। अपने आपको बचाने के लिये इस प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न कहां से आया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह प्रश्न इसलिए आया कि एफ.आई.आर. दर्ज....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एफ.आई.आर. कहां से आ गयी ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल वहीं से आयी है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एफ.आई.आर. कहां से आ गयी फिर ...(व्यवधान) यह एफ.आई.आर. का प्रश्न नहीं है....(व्यवधान) बिजनेस ही नहीं है हाउस का....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हमारा विषय नहीं है, विषय तो इनका है....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : तीन निर्दोष कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह विषय दबा दिया गया है....(व्यवधान) एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिये....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर.... (व्यवधान) घोषणा की थी कि वहां (व्यवधान) आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराकर जांच कराऊंगा.... (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आप गलत कह रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस तरह की एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

(1) श्री हरीश चन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से तहसील नावां के ग्राम आसनपुरा में कटाण के रास्ते को बंद कर देने के संबंध में।

(2) डा. रतन लाल जाट, सदस्य की ओर से जिला भीलवाड़ा की नगरपालिका गंगापुर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जा रहा है। जो एक्चुअल में दोषी है उसको बचाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के चार दरवाजा बाहर पंच हनुमान मंदिर के पास स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य की ओर से वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अवसर प्रदान करने के संबंध में।

(2) श्री ललित भाटी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में एक निजी टेलीफोन कम्पनी द्वारा मनमाने एवं गैरकानूनी तरीके से सड़कें खोद देने से उत्पन्न समस्या के संबंध में।

(3) श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां के पंचायत मुख्यालय नियाना एवं पलसाना की ग्रेवल सड़क का डामरीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य की ओर से सीमावर्ती जिलों में पंचायती राज विभाग के अध्यापकों को न्यायालय के आदेश की अनुपालना में सेवा से हटाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर के सहकारी काटन काम्पलेक्स को शुरू करने के लिये धन की व्यवस्था करने के संबंध में।

(6) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में विद्युत की समस्या के संबंध में।

(7) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विद्युत व्यवस्था सुचारू करने हेतु जी.एस.एस. का निर्माण करने हेतु।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(8) श्री नन्दलाल पूनियां, सदस्य की ओर से राजगढ़ (चूरू) की नरड़िया जाति

(श्री उपाध्यक्ष)

को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के संबंध में।

(9) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य की ओर से जिला टोंक की ईसरदा बांध योजना का कार्य शीघ्र शुरू करवाने के संबंध में।

(10) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से त्वरित न्यायालय का स्थान रतनगढ़ के स्थान पर चूरू जिला मुख्यालय में करने के संबंध में।

(11) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से सीकर शहर में ड्रेनेज एवं सीवरेज नहीं होने से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के संबंध में।

(12) मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से राज्य के कई स्थानों पर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री हरीश चन्द्र कुमावत। श्रीमती सुमित्रा सिंह, बोलें आप....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या करूं मैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें...(व्यवधान) आप बोलें, रिकार्ड हो जायेगा।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : + + + (व्यवधान)

श्री त्रिलोक पुर्बिया : + + + (व्यवधान)

श्री घनश्याम जैन : + + + (व्यवधान)

श्री त्रिलोक पुर्बिया : + + + (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें न। (व्यवधान) माननीय सुमित्रा सिंहजी, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्रीमति सुमित्रा सिंह : आप बात को सुनिये, इसका निराकरण निकालिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : + + + (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : + + + (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाएं।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-22 देखें)

+ + + नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.10 बजे, 15.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

15.00 बजे

पुनः समवेत होने पर

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सूचना प्राप्ति प्रश्न

बजट लीक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने सम्बन्धी गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : कौन बोलेगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट लीक प्रकरण में...

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बड़े लोग बच रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं।

श्री सांवर लाल : छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट...

एक माननीय सदस्य : जो असली माल खा गये उनके नाम हटा दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन में वाद-विवाद होने के पश्चात् ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जो छोटे कर्मचारी थे उनको इससे मार दिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी इस एफ.आई.आर. से यों लगता है कि सरकार इतने बड़े प्रकरण को, जिस प्रकरण की चर्चा पूरे हिन्दुस्तान में हुई...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हो या ये बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? (व्यवधान) नहीं, क्या बोल रहे हो आप?

श्री मदन दिलावर (अटरू) : जो आप नहीं चाहते वही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काहे पर बोलना चाहते हो आप? आप काहे पर बोलना चाहते हो?

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : जो आप नहीं बोलने दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजनेस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सब्जेक्ट बताओ न आप पहले। आप पहले मुझसें इजाजत लो फिर

(श्री उपाध्यक्ष)

बोलो। (व्यवधान) Seek the permission from the Chair. I have not given you the permission.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, ठीक बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किस पर बोलना चाहते हो आप, बताओ न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवेदन करूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you. मंत्रीजी की सुनिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारी बात तय हो चुकी है, सभी पार्टियों के नेता वहां मौजूद थे और 10 तारीख तक का बिजनेस तय कर लिया गया है। अब उसके बाद में फिर वापस यह बात शुरू करने का कोई अवसर नहीं है। इस प्रकार से आप अपने नेताओं को जिनको आपने भेजा था....

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : आप यों ही कह रहे हैं, बात तो सुनिए आप। आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात तो यही हुई थी कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी सिर्फ बजट पर और बजट को आपको...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहस हो रही है, बजट पर ही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बजट पर ही है। बजट पर ही बोल रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बात नहीं हुई थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बजट पर बोल रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सुनिए तो सही। सुनिए आप पहले। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यही तो चर्चा है बजट पर। बजट आउट हो गया और जो छोटे कर्मचारी थे उनको मार दिया आपने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बजट के जनरल डिस्कशन पर बोलिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर I will not allow any discussion.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आप औरों को तो भले ही मत अलाउ करो ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल रहे हो, जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा है, जो बिजनेस वहां तय हुआ है उसको शुरू करने दीजिए। Please cooperate and let the House function. (व्यवधान) और क्या कर रहे हो आप?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, जो गिल्टी पर्सन थे उनको बचा दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कोई सैंक्टिटी है या नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का विषय है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब सारी बात तय हो गई उसके बाद क्या है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उनको बचाया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतना गतिरोध होने के बाद ...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये + + + नेता हैं, वहां पर खुद मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं मौजूद थे वहां इनके साथ में, फिर क्या कर रहे हो?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनके सामने सारी बात तय हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई दूसरा कहे तो समझ में आता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और यहां पर फिर उठकर खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : You were present there. आप एग्री करके आये हो। आपकी माननीय सदस्या मौजूद थीं, वो एग्री करके आयी हैं। अब क्या बोल रहे हो आप?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : No please, I will not allow you. श्री आर.पी.शर्मा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा। बजट पर बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस सदन के अन्दर एक ऐसे गम्भीर विषय पर...(व्यवधान) इस सदन में 15 दिन से गतिरोध था... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सारा विषय अब आपके सामने डिस्कस हो चुका है, समाप्त हो चुका, अध्यक्ष महोदय के सामने आप सारी बात स्वीकार कर चुके...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस विषय पर सरकार कुछ कहना चाहती है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस सदन के अन्दर जिस तरह का आश्वासन सरकार ने दिया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह अंकित न हो।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी बात कर चुके हो, Why are you repeating it? यह सारी बात आप कर चुके न, अब इसके रिपीटिशन से क्या फायदा यहां पर?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : Nothing is going to be recorded.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 29 मार्च को जो बजट पेश किया गया है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समझने की कोशिश करिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलाल जी शर्मा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई सैंक्टिटी है? इनकी कोई लीडरशीप है? इन्होंने स्वयं ने आकर यह तय किया था कि हाउस चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हाउस चलाना चाहते हैं या नहीं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो, उनको बोलने दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय भंवरलालजी शर्मा, आप बताएं कि आप हाउस चलाना चाहते हैं या नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं भंवरलालजी शर्मा को बुला रहा हूं, आप विराजो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी शर्मा, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपने स्वयं ने जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के माननीय

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्यों को कंट्रोल मे रखकर हाउस को आर्डर में लाकर बिजनेस चालू करने दीजिए। And nothing more than that. मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : Nothing will be recorded. आपकी माननीय सदस्या वहां मौजूद थीं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। आप क्या बोल रहे हो? She has agreed with the business.

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : वहां पर जो बिजनेस एग्री किया वही चलेगा, nothing more than that. नहीं, नहीं चलेगा। चलेगा ही नहीं। नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड ही नहीं हो रहा है, आप बोले जाओ। It is not going to be recorded.

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आर.पी. शर्मा जी, बोलिये आप।

श्री आर.पी. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : No, nothing will be recorded. I have not allowed you. आप यों ही बोले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। माननीय सदस्य; विराजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करके विराजिये। यह सब्जेक्ट खतम हो गया, इस सब्जेक्ट पर कोई चर्चा नहीं होगी अब हाउस में। आप विराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ज्वलंत समस्या का समाधान निकल चुका।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : निकल चुका न। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो चुका यह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री आर.पी. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने 29 मार्च को जो बजट पेश किया है उस चर्चा के संबंध में मैं अपने को सम्मिलित करते हुए उस

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री आर. पी. शर्मा)

संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री आर. पी. शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने लगातार तीन वर्ष अकाल आने के बाद भी तथा आज के आर्थिक उदारीकरण के कारण से जो... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर.पी. शर्माजी, एक मिनट। आप याचिका का उपस्थापन करो। बोलो। (व्यवधान) विराजिये प्लीज। आप विराजिये। (व्यवधान) श्री अमरारामजी, बोलो आप।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :—

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद जिला सीकर के ग्राम गुवादु से सुजानपुरा की सड़क को पूर्ण कराने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

(2) धोद विधान सभा क्षेत्र की डामरीकृत सड़कों की हालत दयनीय होने से क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानी दूर करने के क्रम में तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आर.पी.शर्मा, बोलिए।

श्री आर. पी. शर्मा : राजस्थान सरकार ने जो बजट रखा है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय यहां आ गये हैं, मैं चाहूंगा आप विपक्ष के नेता महोदय से यह पूछ लीजिये कि हाउस चलाना चाहते हैं? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो अपनी बात हो गई, जो निर्णय लिये गये उनके आधार पर इस हाउस को आगे चलाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, माननीय विरोधी दल के नेता महोदय फरमाएं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री आर. पी. शर्मा : राजस्थान के बजट में आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा, तीन बार लगातार अकाल व सूखे की मार व भारत सरकार की उदारीकरण की नीति के कारण उद्योग-धन्धे ठप्प हो गये। इसके बावजूद राजस्थान को

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री आर.पी. शर्मा)

किस तरह से विकास की गति पर ले जाया जाए, इस प्रदेश की जनता के लिए किस तरह से खुशहाली के कार्यक्रम लागू करें इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को हाथ में लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, बहुत जरूरी होता है कि हम आधारभूत ढांचा इस प्रदेश में इस तरह का डवलप करें जिससे कि आर्थिक विकास हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक विकास के लिए चार महत्वपूर्ण वायदों को लेकर राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनायी है जिसमें ऊर्जा, सड़क और सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो आधारभूत ढांचे की सरकार ने योजनाएं ली हैं। (व्यवधान) पिछले बजट की तुलना में सड़कों के क्षेत्र में खतरा लेने का निर्णय लिया है उसी तरह से...

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महादेय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : काहे का? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब हम परेशान हो गये हैं। (व्यवधान) आप हाउस चलाना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी सीटों पर बैठकर खूब जोर से जितना कह सकें, कहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो ऊपर से करते रहें, आपको क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ :अभी आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह निर्णय लिया और उसके बाद यहां आते ही आप बदल गये। धोखा है, धोखा है, काहे का धोखा है? धोखा तो आप दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं। प्लीज आर्डर, एक मिनट सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय मामलात के मंत्री यह समझते हैं कि हाउस नहीं चल रहा है। हाउस चल रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह चल रहा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं बताऊं आपको। हाउस में या तो गवर्नमेंट बिजनेस चलता है या अपोजीशन चलता है। (व्यवधान) एक मेरी बात सुनिये। बिजनेस तो चल रहा है न? अभी हम बिना बुलाये नहीं आये, यह भी आपको मालूम है क्वेश्चन आवर भी हुआ, हाउस चला। उसके बाद भी हाउस चला। लेकिन गलत एफ.आई.आर. दर्ज कराने का हम प्रोटेस्ट करें तो आप यह कहें कि हाउस नहीं चलने दे रहे हो। हाउस नहीं चलने देने की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी नहीं है। आप अगर गलत बात करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमको जनता तनख्वाह इस बात की देती है कि हम सरकार के गलत कारनामों को हाउस में एक्सपोज करें। अगर हम वह तनख्वाह लेकर सिंसियरिटी के साथ जनता की सेवा नहीं करते तो यह धोखा जनता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के साथ करेंगे। आप जितने गलत काम करोगे सब का हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

करेंगे और आप यह धमकी दें कि मैं प्रस्ताव पास करता हूं, यह करता हूं, तो आप पास करके चले जाइये, जनता है उसके पास हम जाएंगे। (व्यवधान) वह बता देंगे। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : हमने कब कहा, आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज हो जाएगी। (व्यवधान) जो जांच की है उसमें सरकार ने एफ.आई.आर. दर्ज करायी है। आप धोखा है, धोखा है, कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं, हो सकता है मेरी यह राय किसी के समझ में आए, नहीं आए। हकीकत यह है कि इस मामले का बिलकुल पटाक्षेप हो चुका है। उसके पीछे यह कारण है, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस बेस के ऊपर + + + आपको इतना उनके ऊपर भरोसा हो गया? उस दिन तो आपने कह दिया कि बहुत दिन हो गये, अब इसको खतम करो, और हम आपकी बात मान गये। यह मामला आपने खतम करवाया। एफ.आई.आर. आपकी तरफ से हो जानी चाहिए थी, क्या दिक्कत थी? जरूरी था वे करवाते? आप नहीं करना चाहते तो क्राइम का केस है 156 (3) में, आप इस्तगासा पेश कर दें अगर कोई बात हो तो। मतलब यह नहीं हो सकता, सांप भी निकल गया और पूंछ रह गयी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह मिली जुली कुश्ती है, इसको मैच फिक्सिंग कहते हैं। (व्यवधान) यह मैच फिक्सिंग है, यह दोनों तरफ से मैच फिक्सिंग है और हम तीसरी शक्ति हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट, आप विराजें।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों शक्तियों के आपस में पक्ष-विपक्ष बन रहे हैं, हम जो तीसरी शक्ति हैं इनसे अलग अपना स्थान चाहते हैं, हम बिलकुल इनके साथ नहीं हैं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इतने भोले हैं क्या कि इनके ऊपर छोड़ दिया कि आप जैसे चाहो एफ.आई.आर. दर्ज करवा दें? और अब जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया? आपने खुद ने अपने ऊपर एक तरीके से यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगवा दिया। आप कैसे कह रहे हैं...(व्यवधान) सांप भी निकल गया और पूंछ रह गयी, पूंछ की लड़ाई हो रही है। यह मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रद्युम्न सिंहजी का मामला था.... (व्यवधान) आप गहराई से इसको सोचें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम लड़ेंगे इसके लिए और अपने दम पर लड़ेंगे। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : यह मिली-जुली कुश्ती नहीं चलेगी। अगर आपको करना ही था तो आप पहले करते। आप कैसे बैठ गये? आप भी पहले वित्त मंत्री थे। आप जनता को सुनाना चाहते हैं कि हम दूध के धोये हैं, इस तरीके से जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जगत सिंह जी, विराजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह जिम्मेदारी किसकी है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हम प्रतिपक्ष के नेता के साथ थे....(व्यवधान) यह मैच फिक्सिंग है, यह मैच फिक्सिंग है, हम जनता को बताना चाहते हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : यह क्या मतलब हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिये। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हम तो परेशान हो गये बैठने के लिए इधर से, उधर से। हम यह कर देंगे, हम यह कर देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : कुछ नहीं कर सकते आप दोनों। आप दोनों ने राजस्थान की जनता को + + + बनाकर वोट ले लिए, बस।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। आर्डर प्लीज। अभी आपने यह कहा है कि हाउस तो चल रहा है और हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। यह बात बिलकुल सही है, लेकिन हाउस आर्डर में नहीं चल रहा है। आपने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो कुछ बात तय की उसके आधार पर हाउस वापस काल अपान हुआ और आपने कहा कि हाउस चलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि इन-आर्डर हाउस चलने दीजिए, बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में जो कुछ बिजनेस तय हुआ है उसके अनुसार हाउस भी चलने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्डर वर्ड बहुत सब्जैक्टिव है। आर्डर मेंटेन कैसे किया जाए, आप करेंगे रूल्स के आधार पर।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ही कोशिश कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, मैं आपकी ही तरफदारी कर रहा हूं। आपको तो इस बात की चिन्ता है कि हाउस रूल्स के आधार पर नहीं चल रहा है और यह चिन्ता होना बहुत स्वाभाविक है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन आप यह बता दीजिए....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात बता दीजिए कि हाउस के अन्दर माननीय गृह मंत्री ने यह एश्योरेंस

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया कि जो हाउस में विवाद चल रहा है उसके आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की जानी चाहिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आगे मैं बता दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। आगे मैं खुद बता देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। अब तो आप अपनी जगह पर विराजो। आपके नेता महोदय बोल रहे हैं, अब तो बैठो। (व्यवधान) अब तो बैठो, कम से कम हाउस को आर्डर में लाओ। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा इस सदन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे इसलिए इनके वक्तव्यों को पूरा पढ़ कर सुना देता हूं। पूरा सुनाऊंगा। इसमें लिखा है—"गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि जो विवाद इस हाउस में चल रहा है उसके सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज करके जांच कराएगी।" आगे आप फिर बोले, मैं बोल रहा हूं न, कोई छिपाता नहीं हूं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैंने यह कहा है कि जिसकी प्राथमिक जांच वित्त विभाग ने करायी है उसकी एफ.आई.आर. दर्ज कर यह कार्यवाही की जाए। क्वेश्चन यह आता है कि इस हाउस में जो विवाद चल रहा था और इस हाउस में कहा जा रहा था...(व्यवधान) मेरी सुनिये, मैं सारी पढ़कर सुना देता हूं आपको। मैं तो टाइम के लिए नहीं कर रहा था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आगे चलिये। आगे बोलिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे एक जगह और है। "गुलाब सिंह शक्तावत : यह अंडरस्टुड है।" आगे फिर आप बोल रहे हैं। गुलाब सिंह शक्तावत : "मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि जो जांच मुख्य सचिव और वित्त सचिव द्वारा की जा रहीं है उसके सम्बन्ध में एक एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।" (व्यवधान) बस यही है न? हां, तो फिर मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) मैंने दोनों बातें बता दीं। क्वेश्चन यह था, मुझे आप यह बता दें कि जिस समय यह बात हुई थी उस समय आपने कहा था क्या कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर केस बनेगा? उस समय यह तय हुआ था चीफ मिनिस्टर के सामने कि जो विवादास्पद विषय है उसके आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। यह प्रूव इसलिए होता है कि आपने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया वह केवल तीन लाइन तक ही सीमित रखा। बाद में लोगों ने क्वेश्चन पूछे उसका आपने जवाब दिया लेकिन ओरिजिनली जो तय हुआ था वह यह तय किया गया था कि इस हाउस में जो डिबेट हुई है उसके आधार पर केस रजिस्टर किया जाए। (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कभी तय नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्रीमेंट है। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, आप जब यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहते हैं कि मैंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या कहा और क्या नहीं कहा, तो मैं आपको भी कह सकता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहना नहीं कहा, मैंने कहा कि जो तय हुआ, जिसको....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निर्णय यह नहीं हुआ था। निर्णय यह हुआ था कि हाउस आर्डर में चलेगा, हाउस के सामने बिजनेस है वह बाकायदा पारित किया जाएगा। आज भी मेरा कमिटमेंट है कि जो हाउस का बिजनेस है वह निकलेगा, टाइम पर निकलेगा। आपकी बात इतनी-सी है कि आप इस हाउस के बिजनेस को चलाने के लिए उन सरकम्स्टांसेज को तो देखिये जिनके कारण से हम विरोध कर रहे हैं। क्लीयरकट कमिटमेंट था कि इस हाउस की डिबेट के आधार पर केस रजिस्टर किया जाएगा, लेकिन केस पूरा रजिस्टर किया है, चीफ सैक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर केस तय करना, जिसको सारा हाउस कंडेम कर चुका था कि चीफ सैक्रेटरी की रिपोर्ट पर हमें किसी प्रकार का विश्वास नहीं हैं।

श्री जुगल काबरा : यह सारा हाउस आपने कैसे कह दिया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बार नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, तीस बार माननीय सदस्यों ने कहा कि चीफ सैक्रेटरी की इन्क्वायरी नहीं हो सकती, उनसे इन्क्वायरी नहीं करायी जा सकती, नहीं होनी चाहिए। माफ करना, वित्त मंत्रीजी बुरा न मानें, जब मांग हो रही थी कि वित्त मंत्री इस्तीफा दें तो दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी बुद्धिमान आदमी बता दे कि उनका मातहत जांच करके उनके खिलाफ रिपोर्ट दे देगा क्या? कभी रिपोर्ट नहीं दे सकता। इसलिए हमारा कमिटमेंट केवल एक था, जो कुछ गृह मंत्रीजी ने शुरू में कहा वह बात हुई थी। उस बात के आधार पर एफ.आई.आर. बनती, उसमें कोई कमी रहती तो उस पर अपन चर्चा कर सकते थे।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो वकील हैं, मैं तो कोई वकील भी नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन इतना कह सकता हूं कि जिन धाराओं में केस रजिस्टर हुए हैं, दुनिया का कोई एडवोकेट, विधि शास्त्री बुला लें कि इन धाराओं के अन्तर्गत इस एफ.आई.आर. का कण्टेंट नहीं आता। कोई क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट नहीं था, कोई 167 का मामला नहीं है, फर्जी डाक्यूमेंट नहीं है। अब केस बनाया फर्जी डाक्यूमेंट का। आपने भी डिबेट सुनी है, किसी ने आरोप लगाया है कि डाक्यूमेंट फर्जी है?

एक माननीय सदस्य : लगाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी ने नहीं। आपने कहा होगा, हमने नहीं कहा था। (व्यवधान) मेरी सुन लीजिये। फर्जी डाक्यूमेंट नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हमने तो कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....कोई फर्जी डाक्यूमेंट में इवेजन नहीं है, किसी तरह की काट-छांट नहीं है। यह फर्जी यहां से है? यह फर्जी डाक्यूमेंट की बात कहां से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आयी ? उपाध्यक्ष महोदय, इस आधार पर हमने सरकार से रिक्वैस्ट की है कि यह एफ.आई.आर. गलत है। आप इस बात का एश्योरेंस दे दीजिये इस एफ.आई.आर. को आप चेंज नहीं करना चाहते, आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है तो यह एश्योरेंस दे दीजिये। चीफ सैक्रेटरी की जांच सब इंस्पैक्टर कर लेगा, उसकी जांच एस.पी. कर लेगा ? चीफ सैक्रेटरी का मातहत कोई अफसर चीफ सैक्रेटरी और मिनिस्टर के खिलाफ इन्क्वायरी नहीं कर सकता। इसलिए आप यह एश्योरेंस दे दीजिये हाउस चलेगा, धड़ाके से चलेगा, कि इस मामले की जांच सी.बी.आई. को दे दी जाएगी। कोई विरोध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी-सी, मामूली-सी बात है, यह इतना-सा काम आप करा दें। एफ.आई.आर. जब बन गयी....

श्री उपाध्यक्ष : आप रोज नयी-नयी बात लाओगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नयी-नयी बात नहीं कह रहा हूं। मैं शुरू से ही कह रहा हूं। (व्यवधान) एक मिनट, बैठ जाइये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मुझे क्षमा करेंगे। जब मैंने यह कहा कि राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक सैकण्ड। जब मैंने हाउस में यह घोषणा की थी कि राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि इसकी एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी.... (व्यवधान) एक मिनट। आप में से किसी ने नहीं पूछा कि क्या एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। (व्यवधान) एक मिनट, सुन लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूछने की बात नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सुनिये। फिर उसके बाद में आगे चलकर मैंने यह कहा कि मुख्य सचिव और वित्त सचिव के द्वारा की जा रही जांच के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं कहा है आपने। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कहा है, लिखा हुआ है। कहा है। (व्यवधान) यह लिखा हुआ है। यह रिकार्ड में मौजूद है। यह रिकार्ड है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह रिकार्ड में है, गृह मंत्रीजी, कि...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बैठिये, एक मिनट। मेरे पास है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ....आपने यह नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बाद में प्रोसीडिंग्स पढ़ लीजिये। जब मैंने यह कहा था कि मुख्य सचिव और वित्त सचिव

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

के द्वारा की जा रही जांच के आधार पर एफ.आई.आर. ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं कहा। आपने यह नहीं कहा। (व्यवधान) आपने कहा है उसके सम्बन्ध में....(व्यवधान) आधार पर नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ....आप बाद में कह देना। आप बाद में प्रोसीडिंग्स पढ़ लीजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, आपने आधार नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कहा है। आप बैठ जाइये। (व्यवधान) बीच में डिस्टर्ब मत करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मंत्रीजी, आप इस प्रोसीडिंग्स के खिलाफ नहीं जा सकते। आपने कहा उसके सम्बन्ध में एफ.आई.आर. ....(व्यवधान) आप प्रोसीडिंग्स पढ़ लीजिये। आपने कहा है उसके सम्बन्ध में। आपने यह नहीं कहा कि उसके आधार पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान) आप बाद में बोलना, बोलने दीजिये उनको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बैठिये तो। मैं इसको पढ़कर सुनाता हूं। मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि जो जांच मुख्य सचिव और वित्त विभाग द्वारा की जा रही है उसके सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी, राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसके सम्बन्ध में कहा है, आधार नहीं कहा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसका मतलब यह हुआ कि जो जांच चल रही है उसी के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, यह नहीं कहा आपने। (व्यवधान) यह अलग चीज है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस वक्त आपने एतराज क्यों नहीं किया? (व्यवधान) आप सैटिस्फाइड नहीं थे तो उस वक्त में क्या नींद ले रहे थे आप? उस वक्त आप में से कोई नहीं बोला। हां, यह सब ठीक है और फिर हाउस की प्रोसीडिंग्स चलाते रहे। आज चूंकि आपके वहां बी.जे.पी. की मीटिंग हुई, आपके प्रेसीडेंट आये, वहां आपकी खिंचाई हुई तो आज आप यह वापस लेकर यह कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी ने जो यह जानकारी दी है ऐसी जानकारी यदि सरकार ने रखी तो यह सरकार डूबेगी, यह मैं आपको बता दूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : देखो साहब, सरकार डूबती तो हम 3/4 बहुमत नहीं लाते, + + +

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आपकी उलटी गिनती शुरू हो गयी। विधान सभा में 153 सीटें जीते, छह महीने बाद में जब इलेक्शन हुआ तो 16 सीटें पार्लियामेंट की हमारे पास आईं, 9 सीटें आपके पास गयीं। तो आपकी उलटी गिनती शुरू हो गयी। वोटों को लेकर आप गलती....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : पंचायत चुनाव में क्या हुआ?

डा. के. सी. चौधरी : नगरपालिका, पंचायत चुनावों के नतीजों की तो बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हिण्डौली, लूणकरणसर....(व्यवधान) वे सब चीजें हुई हैं। उन चीजों को याद करने के लिए तो पब्लिक है। इस पब्लिक ने एक बार आपके पक्ष में फैसला दे दिया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : वह तो जाटों की मेहबानी हो गयी। 16 सीटें आयीं क्योंकि जाटों को राजी कर लिया। अब की बार आएंगी 16 आपकी? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन चीजों में कुछ नहीं धरा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : वह तो जाटों की मेहरबानी हो गयी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : दिल्ली में आओ। (व्यवधान) आपका राज आएगा, यह गलतफहमी में हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। जगत सिंह जी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमारा तीसरा मोर्चा अगली बार सत्ता में आएगा। यह दोनों की मिलीजुली हो रही है, इसको जनता अच्छी तरह से समझ गयी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : लिखा लो आप इस बात को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, न दिखाई देगा पंजा, न दिखाई देगा फूल। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने कहा है, आपने उस समय क्यों नहीं टोका। लेकिन मैं यह बता दूं कि आप शुरू की ऊपर की तीन लाइन बोलने के बाद बैठ गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां पकड़ कर बैठे। नहीं, ऐसे ही इंटरप्रिटेशन थोड़े ही है, आपने ही इंटरप्रिटेशन ले लिया? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठो न आप बैठो तो सही, बाद में बोल लेना। (व्यवधान) आप बैठ गये। यह वक्तव्य देकर आप बैठ गये थे। वक्तव्य दिया ऊपर की तीन लाइन का, उसके बाद में बैठ गये। आप बैठ गये, आपका काम पूरा हो गया। पूरा होने के बाद किसी ने जानकारी चाही तो आपने यह और जोड़ दिया....(व्यवधान) आप इंटरप्शन के कारण से नहीं बैठे।

एक माननीय सदस्य : इंटरप्ट किया गया है, फिर बैठे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसा है, बीच में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इंटरप्ट कर दिया इसलिए मुझे बैठना पड़ा और उसका भी जवाब मैंने उनको दे दिया था। (व्यवधान) उसके बाद में फिर स्पष्टीकरण मैंने साथ के साथ और दे दिया.... (व्यवधान) अगर मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य इंटरप्ट नहीं करते तो जो बात मैंने उसके बाद कही थी, इसके साथ कहता मैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इंटरप्शन के कारण से आप उस समय नहीं बैठे थे.... (व्यवधान) नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी समझता हूं....(व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से यह सवाल पूछिये कि जब आपने जवाब दिया, सब का सब अपोजिशन पूरा संतुष्ट हुआ और आपने उसको मान लिया। आप भी संतुष्ट हो गये और आपने आगे की कार्यवाही चलने की इजाजत भी दी। शांति से कार्यवाही हुई (व्यवधान)....अब इतने दिन बाद आपको अचानक वापस क्या सवाल पूछने की जरूरत पड़ी? (व्यवधान) पूरा प्रतिपक्ष संतुष्ट हो गया, उसके बाद में आगे कार्यवाही चली है.... (व्यवधान) जो आप यह सवाल पूछ रहे हैं, उस समय तो किसी ने नहीं पूछा....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो बता दो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उससे तो आज भी संतुष्ट हैं। उससे तो आज भी संतुष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कमलाजी को बताना चाहता हूं—

श्री सुरेन्द्र व्यास : गृह मंत्रीजी के वक्तव्य से तो आज भी संतुष्ट हैं, पर उसके अनुरूप कार्यवाही नहीं हुई न। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमलाजी को बताना चाहता हूं कि जो कुछ गृह मंत्रीजी ने कहा था, हमें यह विश्वास था कि गृह मंत्रीजी उसका अक्षरशः पालन करेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब भी अक्षरशः पालन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुन लीजिये। आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका मन जानता है अक्षरशः पालन।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रिपोर्ट वित्त विभाग की जांच के आधार पर वित्त विभाग ने करवाई है, उसकी जांच पुलिस महकमा कर रहा है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद जानते हैं, उस समय आप थे कुर्सी पर, ये वक्तव्य देकर बैठ गये। बैठने के बाद में क्वैरीज शुरू हुईं। इनका ओरिजिनल स्टेटमेंट तो यह है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो तीन लाइन का इन्होंने पहली बार दिया था....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं-नहीं, वह व्यवधान पैदा होने की वजह से मुझे रुकना पड़ा, यह मेरे पास प्रोसीडिंग्स है (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई इंटरप्शन नहीं था, कोई इंटरप्शन नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं जब बोल रहा था तो माहिर आजाद साहब भी बोले और उसके बाद में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इंटरप्ट किया। मैंने कहा, "मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने यह कहा है कि जिसकी प्राथमिक जांच वित्त विभाग से कराई जा रही है, उसकी एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी। यह पड़ी है, यह पड़ी है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, ठहर जाना। आपके शब्दों में ही, जो इस प्रोसीडिंग में है, आपने यह कभी नहीं कहा है। मैंने कहा, आपने तो कहा कि सदन में जो विवादास्पद मामले हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। एफ.आई.आर. बनेगी उसके सम्बन्ध में। अब बाद में आप कहते हैं कि मैंने यह कहा, कहा कहां था? (व्यवधान) नहीं, यह तो बाद में कहा है।

एक माननीय सदस्य : पढ़ो आप इसको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बाद में क्या, उसी डिबेट के दौरान कहा था। कोई दो दिन बाद कहा था क्या? मैंने दो घंटे बाद नहीं कहा था, उसी डिबेट के बारे में कहा था। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपने "उस आधार पर" नहीं कहा था, "के सम्बन्ध में" कहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर आप इंटरप्ट नहीं करते तो उसको मैं कंटीन्यू ही करता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप लास्ट पढ़ो पहले, "के सम्बन्ध में"। "आधार पर" नहीं कहा था आपने। आपने यह नहीं कहा कि जांच के आधार पर। यह एफ.आई.आर. दर्ज क्या कराई है आपने? पूरी जांच रिपोर्ट उसके सामने रख दी। एक चीफ सैक्रेटरी जिसकी जांच करता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ....राजस्थान का एक थानेदार, उस इंवेस्टीगेशन को आपने पकड़ा दिया कि रिपोर्ट यह है। आपने इंवेस्टीगेशन लाइन पकड़ा दी, आपने फाइंडिंग्स पकड़ा दी। आपने यह कह दिया कि कम्प्यूटर से यह पास वर्ड चुरा कर छोटे-से आदमी ने कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी बात हो गई, अब आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ....कम्प्यूटर का पास वर्ड आपके पास में भी था, कम्प्यूटर का पास वर्ड तो फाइनेंस सैक्रेटरी के पास भी था।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, यह कोई डिस्कशन नहीं है। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। एक मिनट, विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बहुत टैक्नीकल सब्जैक्ट है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये न एक मिनट, मेरी बात सुन लो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ....क्रिमिनल ला का पहला सिद्धान्त यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट विराजिये।

माननीय नेता महोदय, आपके और सरकार के बीच में जो कुछ बात, कन्वर्सेशन ट्रांसफर हुई, उसकी मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन कुलमिलाकर आपकी बात यह हुई थी कि एफ.आई.आर. लाज हो। उस रोज एफ.आई.आर. लाज की बात पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और आपने स्वीकार कर लिया, हाउस चल गया। आज आपने वापस कह दिया कि सी.बी.आई. से जांच कराओ, यह तो नई डिमांड हो गयी। उस रोज तो आपने कहा नहीं कि सी.बी.आई. से जांच कराओ। उस रोज तो आपकी डिमांड थी नहीं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नई डिमांड नहीं थी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नई इसलिए नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ....आप रोज नई डिमांड उठाओ और रोज यह सरकार मानती रहे, यह संभव नहीं है। इसलिए जो कुछ हो गया, जो कुछ आपने एग्री किया, उसके आधार पर कार्यवाही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं हुआ। नहीं, वह बात नहीं हुई....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, अगर आप यह महसूस करते हैं कि सरकार ने कुछ धाराएं गलत.... सरकार क्या, जिसने रिपोर्ट लिखाई, कुछ धाराएं गलत लगाई तो इंवेस्टीगेशन एजेंसी और धाराएं लगा देगी, और कार्यवाही कर देगी। आपने....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, तथ्य गलत दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, तथ्य बदल दिये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। प्लीज आप विराजिये। Don't interrupt please. यह तो आप भी जानते हैं कि जो एफ.आई.आर. लाज होती है उसमें कोई धाराएं लगती नहीं हैं। इंवेस्टीगेशन आफिसर जो होता है वह धाराएं लगाता है। If he is not satisfied with those, तो और धाराएं लगा देगा। कोई मुकदमा चल रहा हो तो कभी धाराएं हटती भी हैं, कभी जुड़ती भी हैं। कोर्ट लगा देगी। इसलिए यह इश्यू तो आप मेहरबानी

(श्री उपाध्यक्ष)

करके समाप्त कीजिये। न तो आपने सी.बी.आई. की डिमांड की थी.... (व्यवधान) तब तक कुछ बात और हुई, तब भी डिमांड नहीं की कि आप जांच सी.बी.आई. से करवाइये। (व्यवधान) या किस धारा में आप केस रजिस्टर करना चाहते हैं, यह भी बात नहीं हुई। आपने सिर्फ एक बात कही कि एफ.आई.आर. लाज करानी चाहिए। एफ.आई.आर. लाज हो गई, आपने स्वीकार कर लिया, उसके बाद हाउस चल गया। अब आज पता नहीं कहां से वापस नई बात उठ गई। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : इनके कंडक्ट के कारण हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, दो लाइन में कहता हूं, दो मिनट और। उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस के अन्दर जो विवाद चल रहा है, उसके आधार पर एफ.आई.आर. बनेगी, एक बात। हमें यह इम्प्रेशन था कि हाउस में विवाद इस बात का चल रहा है कि इस मामले में आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में केस बनाया जाए और केस का इंवेस्टीगेशन सी.बी.आई. को दिया जाए। अब इनके शब्दों में यह नहीं निकलता है कि एफ.आई.आर. बन गई....

श्री उपाध्यक्ष : उस डैडलाक को तोड़ने के लिए ही एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी। यह बात थी उस रोज...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ...उस डैडलाक को तोड़ना ही है, डैडलाक को तोड़ा है और तोड़ने के बाद में आज भी सरकार कह दे कि सी.बी.आई. से जांच कराएंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने बहुत पहले ही कह दिया कि आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में हर्गिज केस रजिस्टर नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने तो यह भी कहा था, खेतसिंहजी, कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कब कहा? खेतसिंह जी, आप तो उस समय बोले ही नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी कोई वकत नहीं है सरकार में। आपने सुबह कहा था कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आपकी क्या वकत है। आपने हां कर दिया, हां करने के बाद में ना करो तो कोई वकत नहीं है। (व्यवधान) वकत सी. पी. जोशी की है। सी. पी. जोशी ने कहा कि मुकदमा दर्ज होगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ...यह तो धन्यवाद दो सी. पी. जोशी को। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : He has asked from juniors. खेतसिंह जी, यह तो आपसे बहुत जूनियर हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन इतना-सा है कि निश्चित तौर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर जिस तरह की घोषणा गृह मंत्रीजी को करनी चाहिए थी, उन्होंने जो कहा सदन में....

श्री उपाध्यक्ष : इसको समाप्त कीजिये प्लीज। अब बहुत हो गया। श्री आर. पी. शर्मा, बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....विवाद चल रहा है इसके बारे में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसको बरदाश्त नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....एफ.आई.आर. की पूरी जांच तो एफ.आई.आर. के कण्टेंट से होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस एफ.आई.आर. को देख लो, इसमें लीपापोती का काम है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा, बोलिये।

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

आप बोलिये, आ जाएगा, रिकार्ड में आ जाएगा। (व्यवधान) आ जाएगा, आ जाएगा, आप बोलो। (व्यवधान)

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था....(व्यवधान) किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक ढांचे को मजबूत करना होगा। नहीं होगा तो कोई प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। (व्यवधान) पूरे प्रदेश में.... स्ट्रगल फार एग्जिस्टेंस.... हर प्रदेश स्ट्रगल है। जो प्रदेश तरक्की करना चाहेगा.... उसके लिए जरूरी है कि सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा एवं सड़कों के विकास के जो कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं.... (व्यवधान)

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ....माननीय गृह मंत्रीजी का जो कुछ वक्तव्य हुआ.... (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : ...माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि किसी प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि.... (व्यवधान)

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

जहां एक ओर जनसंख्या बढ़ रही है वहां हमें ऐसे कार्य हाथ में लेने पड़ेंगे जिनका सीधा सम्बन्ध....(व्यवधान) देश की 73 करोड़ जनसंख्यां कृषि पर आधारित है। जहां पूरे राजस्थान का 10.4 प्रतिशत क्षेत्र.... (व्यवधान) और केवल एक प्रतिशत ही.... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं, गृह मंत्रीजी की बात सुन लें आप। गृह मंत्री महोदय बोल रहे हैं, कृपया बैठ कर सुनें। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. से इस संबंध में जांच की मांग कर रहे हैं माननीय सदस्य। विपक्ष के नेता महोदय के सी.बी.आई. के संबंध में क्या विचार हैं, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सुनिये तो सही।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सुनने की क्षमता तो रखिये। सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भैरोंसिंह शेखावत, सुनिये। सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तो सौभाग्यशाली हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तो सौभाग्यशाली हूं इस सदन में...(व्यवधान) मैं तो सौभाग्यशाली हूं, इस सदन में इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि रोहिताश्व कुमार के लड़के का नाम लिया गया। मैंने पूछा रोहिताश्वजी से, रोहिताश्वजी के लड़के की बात की और लड़के की बात करके बाकी पुलिक अनुसंधान देखा। देखने के बाद विश्वास से कह सकता हूं कि लड़का उस तेजाब फेंकने वाले में नहीं है। लेकिन एक चर्चा चली, रोहिताश्वजी के लड़के के कारण अनुसंधान नहीं हो रहा है, आज इस प्रकार की चर्चा चलाकर इस मामले को हाईकोर्ट से सी.बी.आई. को दे दिया जाए। आज मैं कहता हूं, यह मामला तो सी.बी.आई. में नहीं जाता तो शिवानी कांड हुआ था, इस कांड को लेकर इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकता था। लेकिन वह नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया कि इस मामले में सी.बी.आई. असल जांच कर रही है और मैं यदि बाकी के क्षेत्र में प्रवेश करके इसको रोकने की कोशिश करूं तो असर नहीं होगा। आज जब परसरामजी ने कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सी.बी.आई. में कोई विलायत से आये हुए आदमी नहीं हैं, कोई आसमान से आये हुए नहीं हैं, राजस्थान पुलिस के लोग सी.बी.आई. में गये हैं, अन्य राज्यों से लोग सी.बी.आई. में हैं। उनका इंवेस्टीगेशन करने का तरीका और स्तर क्या है....(व्यवधान) यह सी.बी.आई. के संबंध में माननीय नेता महोदय के विचार पढ़ कर सुना रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये हैं विचार आपके सी.बी.आई. के बारे में जिससे जांच कराना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आगे और कहा। (व्यवधान) हमारे राजस्थान की पुलिस सक्षम है। आगे और भी कहा, सुनो तो सही। आगे भी तो सुने, राजस्थान की पुलिस सक्षम है, वह उसकी कार्यवाही कर सकती है। इसलिए सी.बी.आई. के संबंध में तो माननीय नेता महोदय के विचार आप इसमें पढ़ लीजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : गृह मंत्रीजी, यह किस संदर्भ में आपने बयान दिया है? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह शिवानी कांड के संबंध में....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी तो चाहती हैं सी.बी.आई. से जांच और नेता महोदय के विचार आपने अभी सुने हैं कि न तो वह कोई आसमान से गिरे हैं और न कोई विलायत से आये हैं, हमारी पुलिस खुद ही सक्षम है। तो फिर आप क्यों खामख्वाह के लिए.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो एक बात कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी के स्टेटमेंट से....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : स्टेटमेंट नहीं, मैं तो रैफरेंस दे रहा हूं, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा स्टेटमेंट आपने पढ़कर सुनाया कि सी.बी.आई. किस तरह की है और किस तरह की नहीं है। आप फिर जांच क्यों नहीं करवा लेते उससे? (व्यवधान) आप जांच क्यों नहीं करवा लेते?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर आप कह दोगे कि किसी और एजेंसी से करवाओ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे यह बता दीजिये कि जो मैंने कहा है उसको आप....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आगे और पढ़ूं क्या? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने सारा पढ़ लिया, मुझे ध्यान आ गया। बिना पढ़े ही मुझे ध्यान आ गया। आप यह बता दीजिये कि जो मैंने कहा है उस बात को आप स्वीकार करते हैं क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, स्वीकार करने का सवाल ही नहीं, मैं तो आपने जिस तरह से राजस्थान पुलिस की प्रशंसा की, उसमें अपने शब्द मिलाता हूं.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, पुलिस की प्रशंसा की लेकिन उस मामले में आपको यह ध्यान होना चाहिए कि चीफ सैक्रेटरी की जांच के बाद में पुलिस को मामला रैफर नहीं किया गया था। बात यह है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह प्राथमिक जांच थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज आपको मैं बताऊं....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह प्राथमिक जांच थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह प्राथमिक जांच नहीं है। कोई मंत्री या सरकार किसी में इन्वाल्व्ड हो, उसकी चीफ सैक्रेटरी जांच करें, जांच करने का हम विरोध करेंगे। चीफ सैक्रेटरी की बात पर हमें विश्वास नहीं है। उस चीफ सैक्रेटरी की रिपोर्ट के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आधार पर कोई थानेदार कार्यवाही कर लेगा....

श्री सुरेन्द्र व्यास : सम्भव ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्टरपोल ही जांच कर सकता है। (व्यवधान) इन्टरपोल ही जांच कर सकता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्टरपोल से ही करवा लेंगे, चिंता मत करो। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इन्टरपोल का और वह नहीं है सवाल। सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल सीधा-सादा है। आप यह व्यवस्था दे दें, आप यह बता दें कि चीफ सैक्रेटरी की जांच में जिस आदमी को वह कहते हैं कि बजट लीकेज नहीं हुआ, कोई दोषी नहीं है, उस आधार के ऊपर आप उससे जांच करवा सकते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, शिवानी कांड में आपने हस्तक्षेप करके मुलजिमों को बचाया, सारी दुनिया इस बात को जानती है। (व्यवधान)

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आर. पी. शर्माजी। शर्माजी, बोलिये। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने 271 करोड़ 27 लाख रुपये इस वर्ष जो खर्च करना प्रस्तावित किया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में हम किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे। उससे हमारे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 115 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान बजट में रखा है जिससे 130 किलोमीटर पक्की लम्बी नहरें बनाने की योजना है। वह भी बहुत महत्वपूर्ण कदम राजस्थान सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में लिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : This House is not the property of....

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में खालों के निर्माण के लिए 59 करोड़ 68 लाख रुपये का जो प्रावधान किया है उससे भी 39 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ-साथ चम्बल क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने 2500 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई के लिए जो योजना हाथ में ली है वह भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, राजस्थान कृषि प्रधान क्षेत्र है....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : This House is not the property of B.J.P. only.

श्री आर. पी. शर्मा : कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते अगर हम उच्च स्तर पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों का, राजस्थान की जनता का, कृषि उत्पादन बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कदम राजस्थान की सरकार ने इस बजट में लिया है। वह निश्चित रूप से बहुत ही तारीफ और भूरि-भूरि प्रशंसा करने योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, सिंचाई के साथ-साथ किसी प्रदेश की तरक्की के लिए बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेना बहुत जरूरी है। आज समय इस बात का आ गया है कि जो प्रदेश सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में अपने को मजबूत करेंगे वही प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अपने को मजबूत कर सकते हैं। बिजली के क्षेत्र में मैंने कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण बात बताई थी। जिस प्रदेश में सत्ता लेने से पहले 3356 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था उस प्रदेश में केवल 2 वर्षों में 750 मेगावाट का अतिरिक्त बिजली का उत्पादन बढ़ा कर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम इस प्रदेश की सरकार ने उठाया है। आगे आने वाले तीन वर्षों में हमारी सरकार ने एक हजार मेगावाट....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

बिजली के उत्पादन के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया है। हमने 50 वर्षों में मात्र 3356 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है लेकिन इस सरकार ने केवल पांच वर्षों में डेढ़ हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन का कार्यक्रम हाथ में लेकर और उत्पादन करके दिखाने का जो संकल्प लिया है, उससे मैं कह सकता हूं कि राजस्थान प्रदेश आगे आने वाले समय में विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के उत्पादन के साथ-साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में हमने विश्व बैंक से 850 करोड़ का ऋण लेकर और एक हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त साधन जुटाकर, हमने कुल मिलाकर दो हजार करोड़ का इस पांच वर्ष में काम करने का कदम उठाया है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने बिजली के उत्पादन में आगे आने वाले तीन वर्षों में तीन हजार करोड़ रुपये का खर्चा करने का संकल्प इस बजट में लिया है और कुलमिलाकर पांच वर्षों में पांच हजार करोड़ रुपये बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खर्च करने का प्रस्ताव किया है जो महत्वपूर्ण कदम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है आज हमारे 226 सब ग्रिड स्टेशन बन चुके हैं और आगे आने वाले तीन वर्षों में 475 सब ग्रिड स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य हाथ में लिया हुआ है।

(श्री आर. पी. शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सिंचाई और बिजली के साथ-साथ सड़कों का विकास भी बहुत आवश्यक है। मुझे आज कहते हुए बहुत दुःख होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 वर्षों से शासन कर रही थी, आपके पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर यह कहा करते थे कि अगर किसी भी सड़क पर गड्ढा दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल पर वह गड्ढा लगा हुआ है। 9 वर्षों में सड़कों पर कोई काम कर नहीं पाये। लेकिन हमारी सरकार ने इस बजट में सड़कों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 144 करोड़ रुपये राजस्थान की सरकार को मिले उसमें से राज्य सरकार द्वारा 288 गांवों के लिए 953 करोड़ रुपये के साथ सड़कों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इसके साथ-साथ....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

(व्यवधान).... ग्रामों के लिए नयी सड़कों के विकास के लिए 348 करोड़ रुपयों की एक योजना प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ली गयी है। इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने सेन्टर रोड फंड के तहत 14 हजार किलोमीटर राजस्थान में स्टेट हाई-वे हैं और डिस्ट्रिक्ट हाई-वे हैं उनके उन्नयन के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनायी है। आगे आने वाले वर्षों में 14 हजार किलोमीटर की सड़कें हमारी सरकार बना कर देगी। इसके साथ-साथ राजस्थान सरकार ने जो सड़कें टूटी हुई हैं, जिन सड़कों पर चलना दूभर है, उनके लिए भी पांच सालों में 24 हजार किलोमीटर सुदृढ़ीकरण और उन्नयन की छह सौ करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी है। एक सौ करोड़ रुपये राज्य सरकार अपने वित्त में से देगी, सौ करोड़ रुपये मार्केटिंग बोर्ड से लेगी। 350 करोड़ रुपये मिलाकर छह सौ करोड़ रुपये खर्च करने की एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में ली गयी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आगे आने वाले तीन वर्षों में राजस्थान में कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा कि सड़कों से वंचित हो। या फिर सड़क स्टेट की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट की हो एक ऐसा नक्शा पेश किया जाएगा कि हिन्दुस्तान अन्य राज्यों के मुकाबले में एक बहुत अच्छी जगह खड़ा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, सड़क, बिजली, सिंचाई के साथ-साथ शिक्षा किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उच्च शिक्षा और शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। राजस्थान की सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर आगामी वर्षों में 3252 करोड़ रुपये का खर्चा करने का जो निर्णय लिया है यह इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने 2003 तक सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य इस बजट में रखा है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रदेश के लिए 2003 तक हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।

(श्री आर. पी. शर्मा)

राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना करके शिक्षा के क्षेत्र में सम्पूर्ण साक्षरता का जो कदम उठाया है, हम कह सकते हैं....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

कि प्रदेश हिन्दुस्तान के उन प्रदेशों में सम्मिलित हो जाएगा जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना इतिहास रचाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक साल तक की— (व्यवधान) —छूट दी है। इसके साथ-साथ अन्य फीसों की भी हमने छूट दी है। इसके साथ-साथ प्राथमिक एवं उच्च शालाओं के भवनों के विकास पर 10 करोड़ 22 लाख रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है जो इस बजट में सबसे....(व्यवधान)....इसके साथ-साथ आगामी तीन वर्षों में हम तीन हजार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं उन गरीब और कमजोर बच्चों के लिए खोलेंगे। जिन्हें शिक्षा का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, हम क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते। हमारी कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों, सभी जातियों को समान समझती है। यह पहला फैसला है.... (व्यवधान) हमारे मुसलमान लोग जिनकी शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं था, उनकी शिक्षा के लिए गांव के मदरसे खोलने का जो ऐतिहासिक फैसला राज्य सरकार ने लिया है, वह एक अनूठा फैसला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला हेतु प्रति पाठशाला पांच सौ रुपये का प्रावधान कर इस आशय से एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में....(व्यवधान) जैसे मैनेजमैंट स्कूल.... (व्यवधान) कम्प्यूटर स्कूल....(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. कांग्रेस धोखा है।

श्री आर. पी. शर्मा : —हम कह सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार किसी से पीछे नहीं रहेगी। आप जानते हैं कि इंफोरमेशन और टेक्नोलाजी का युग है, इस क्षेत्र में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, अलवर, सीकर, हनुमानगढ़ सभी....(व्यवधान)....

श्री जगत सिंह दायमा : बी.जे.पी. कांग्रेस धोखा है। + + +

श्री अमराराम (धोद) : + + +

श्री आर. पी. शर्मा : ....(व्यवधान) छात्रों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा जिला स्तर पर.... (व्यवधान) निश्चित किये हैं। विश्वविद्यालय और कालेज में साइंस और कामर्स के बच्चों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा का कोर्स कंपलसरी किया गया है। इस

+ + + नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री आर. पी. शर्मा)

तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, राजस्थान की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्री अमराराम (धोद) : + + +

एक माननीय सदस्य : दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्री अमराराम (धोद) : + + +

श्री आर. पी. शर्मा : ....(व्यवधान) राज्य सरकार ने जहां 1998-99 में 32 करोड़ रुपये खर्च किये थे, हमने 2001 ....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्री अमराराम (धोद) : + + +

श्री आर. पी. शर्मा : ...(व्यवधान) खर्च का प्रावधान किया है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्री अमराराम (धोद) : + + +

श्री आर. पी. शर्मा : ....(व्यवधान).... इसके साथ-साथ 70 लाख रुपये.... (व्यवधान).... राशि खर्च करने का इस बजट में प्रावधान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु राजस्थान सरकार ने 2001-2002 में 50 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। इसके साथ-साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा तमाम् उपेक्षित बच्चों हेतु संचालित गृहों में 470 बच्चों के रहने की व्यवस्था के लिए व शिक्षा हेतु भी पांच लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। इसके साथ-साथ मुख्य मंत्री रोजगार योजना में उन व्यक्तियों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है....(व्यवधान) 10% कोटे का आबंटन किया गया है। इसके साथ-साथ भूख... (व्यवधान) राशि में 25 लाख रुपये प्रावधान किया गया है। भगवान महावीर की 2600 वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि हम.... (व्यवधान) 25 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित करें। इसके लिए 60 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(16.00 बजे)

एस.सी., एस.टी. और बी.पी.एल. के लोगों के लिये, ओ.बी.सी. के लोगों के लिये आवास

+ + + नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री आर. पी. शर्मा)

सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संभागीय मुख्यालयों पर एक-एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए 2000-2001 के बजट में 4 करोड़ का प्रावधान उन हास्टल के लिये है जिसमें एस.सी., एस.टी. के बच्चे हैं, ओ.बी.सी. के बच्चे हैं, बी.पी.एल. के बच्चे हैं और उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं। उनके आवास के लिये जिला मुख्यालय पर इस सरकार ने 4 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया है जो बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के उत्थान के लिये, उनकी तरक्की के लिये यह पहली सरकार है जिसने हास्टल्स में रहने वाले बच्चों को एक ड्रैस मिलती थी वहां दो ड्रैस का प्रावधान किया है। इसके साथ-साथ सरकारी बसों में 5 हजार अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को प्रवेश सुविधा मिले, इसके लिए भी 3 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. के बच्चों के लिये बर्तन आदि अन्य सामान हेतु 2 करोड़ रुपये की अधिक राशि खर्च करने का प्रावधान इस सरकार ने इस बजट में किया है। उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. के बच्चों को सरकारी खर्चे पर निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक योजना हाथ में ली गयी थी। पूर्व में 388 बच्चे निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा करते थे, इस सरकार ने इस बजट में 800 एस.सी., एस.टी., के बच्चों को सरकारी खर्चे पर निजी स्कूल में पढ़ाने का जो निर्णय लिया है वह एस.सी., एस.टी. के उत्थान के लिए बहुत बड़ा कदम है। जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है। इस पर सरकार ने 82 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा हेतु इस सरकार ने 13 जिला मुख्यालयों पर छात्रावास का निर्माण करने का फैसला लिया है और उस पर 1 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान भी है। उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक रूप से तिरस्कृत महिलाओं की सुरक्षा हेतु उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर में महिला सदनों का निर्माण कर 11 करोड़ 89 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

राज्य में महिलाओं के अल्प ठहराव हेतु व्यवस्थाएं करने हेतु भी इस सरकार ने 52 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। इसके साथ-साथ अपराधी बालकों के लिए संभागीय मुख्यालयों पर सुरक्षा गृहों के निर्माण पर 1 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, मंद बुद्धि बच्चों के लिये संभागीय स्तर पर एक-एक स्कूल खोलना भी इस सरकार की बहुत बड़ी योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, वृद्धों के लिये वर्तमान में 20 जिलों में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय शर्मा जी। आप बजट पर बोलेंगे। श्री सुरेन्द्र व्यास बजट पर बोलेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : जब गृह मंत्री जी बोल सकते हैं तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम इस सदन के माननीय सदस्य नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी स्पीच के दौरान जो भी कहना चाहें बजट के संबंध में, आप कह सकते हो। इसको भी चाहे कहो लेकिन बोलोगे बजट पर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या माइक है यह? हमारी बात सुनते ही नहीं हो आप। (व्यवधान) कभी तो माइक बंद हो जाता है या आप इजाजत नहीं देते हो। सबकी बात सुन लेते हो। तीसरी शक्ति कम जरूर है, उपाध्यक्ष महोदय, + + + इसलिए कम से कम हमारी बात भी सुनो।

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से आप इसको समझने का कष्ट करेंगे, यह बहुत गहन विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बजट पर बोलोगे?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री से पहले बजट मैंने रखा था, मुझे बोलने की इजाजत दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.04 बजे मंगलवार; 24 अप्रैल, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-271 की सूचना)

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	अभियोग संख्या, तारीख धारा एवं नाम थाना	नाम पता अभियुक्तगण	गिरफ्तारी दिनांक	पुलिस अभिरक्षा में भेजने की दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की दिनांक	न्यायालय द्वारा जमानत दिनांक	न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत	
							स्वीकृति दिनांक	पुलिस द्वारा जमानत ली
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	162/11.10.98 धारा 147, 148, 149, 201 भादस व 9, 39, 51, 52 वन्य जीव संरक्षण अधि. तथा 27 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना मथानिया जोधपुर ग्रामीण	1. सलमान खान पुत्र सलीम खान मुसलमान नि. 3-गैलेक्सी अपार्टमेंट, बान्द्रा, मुम्बई-50	15.10.98	1 दिन	16.10.98	17.10.98	—	—
		2. मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री अहमद मुसलमान निवासी मोतीचौक जोधपुर।	12.10.98	1 दिन	13.10.98	15.10.98	—	—
		3. कुलदीप उर्फ पापसा पुत्र भंवर सिंह चौधरी निवासी बालसमन्द जोधपुर।	12.10.98	1 दिन	13.10.98	15.10.98	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. दुष्यंत सिंह पुत्र कर्णसिंह राजपूत नि. बालसमन्द, जोधपुर।	—	—	—	—	9.11.98	21.11.98
		5. यशपाल सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह राजपूत नि. बालसमंद जोधपुर।	—	—	—	—	9.11.98	21.11.98
		6. महेन्द्रपाल सिंह उर्फ राजबन्ना पुत्र नाथूसिंह राजपूत निवासी मंडोर रोड, जोधपुर।	—	—	—	—	9.11.98	21.11.98
		7. महेन्द्र सिंह पुत्र उगम सिंह राजपूत नि. रातनाड़ा, जोधपुर।	—	—	—	—	9.11.98	21.11.98
		8. सतीश रविलाल शाह पुत्र रवि लाल शाह जैन निवासी आनन्द नगर फोरजेट स्ट्रीट थाना ताड़देव मुम्बई-400036	—	—	—	—	9.11.98	20.11.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	163/11.10.98 धारा 143, 144, 149, 201 भादस एवं 9, 39, 51, 52 वन्य जीव संरक्षण अधि. तथा 27 आर्म्स एक्ट पु. थाना मथानिया जिला जोधपुर ग्रामीण	1. सलमानखान पुत्र सलीमखान मुसलमान नि. 3-गैलेक्सी अपार्टमेंट बान्द्रा मुम्बई-50	15.10.98	1 दिन	16.10.98	17.10.98	—	—
		2. गोरधन सिंह पुत्र माधोसिंह राजपूत नि.-हयूण्डी, थाना खेडापा, जोधपुर।	12.10.98	1 दिन	13.10.98	15.10.98	—	—
		3. ओमसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत नि. शेरविलास एयरफोर्स जोधपुर।					28.10.98	21.11.98
		4. दुष्यंतसिंह पुत्र कर्णसिंह राजपूत नि. बालसमंद जोधपुर।					28.10.98	21.11.98
		5. तुलाजी पुत्र शम्भाजीराव आग्रे नि. तीनमूर्ति लेन, नई दिल्ली हाल 40 गोल्फ कोर्स एयरफोर्स जोधपुर।					27.10.98	4.12.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. प्रतापसिंह पुत्र धर्मक्षेत्रपाल राजपूत नि.51 कालकाजी नई दिल्ली					27.10.98	7.3.99
		7. दिनेश गावरे पुत्र शिवराम गावरे नि. प्रथम गैलेक्सी अपार्टमेंट बान्द्रा मुम्बई-50.					16.11.98	173(8) दप्रसं. में अनुसंधानाधीन है।
3.	180/15.10.98 धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट थाना लूणी	1. सलमान खान पुत्र सलीमखान मुसलमान नि.3-गैलेक्सी अपार्टमेंट, बान्द्रा मुम्बई-50	15.10.98	1 दिन	16.10.98	17.10.98		

परिशिष्ट "ब"

नाम पता अभियुक्तगण	न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की दिनांक	किस न्यायालय में ट्रायल चल रही है
1	2	3
अभियोग संख्या 162/11.10.98		
1. सलमान खान पुत्र सलीम खान मुसलमान नि. 3-गैलेक्सी अपार्टमेंट बान्द्रा मुम्बई-50	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
2. मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री अहमद मुसलमान निवासी मोती चौक, जोधपुर।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
3. कुलदीप उर्फ पापसा पुत्र भंवर सिंह चौधरी नि. बालसमंद, जोधपुर।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
4. दुष्यंत सिंह पुत्र कर्ण सिंह राजपूत नि. बालसमंद जोधपुर।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
5. यशपालसिंह सिंह पुत्र महिपाल सिंह राजपूत नि. बालसमंद जोधपुर।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
6. महेन्द्रपाल सिंह उर्फ राजबन्ना पुत्र नाथूसिंह राजपूत नि. मण्डोर रोड जोधपुर।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
7. महेन्द्र सिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत नि. रातानाड़ा जोधपुर।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
8. सतीश रविलाल शाह पुत्र रविलाल शाह निवासी आनन्दनगर फोरजेट स्ट्रीट थाना ताड़देव मुम्बई—400036	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएमओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर

1	2	3
अभियोग संख्या 163/11.10.98		
1. सलमान खान पुत्र सलीम खान मुसलमान नि. 3-गैलेक्सी अपार्टमेंट बान्द्रा मुम्बई-50	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
2. गोरधन सिंह पुत्र माधोसिंह राजपूत नि. हयूण्डी, थाना खेडापा, जोधपुर।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
3. ओमसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी शेर विलास एयरफोर्स जोधपुर।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
4. दुष्यंतसिंह पुत्र कर्णसिंह राजपूत नि. बालसमंद जोधपुर।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
5. तुलाजी पुत्र शम्भाजीराव आग्रे नि. तीनमूर्ति लेन नई दिल्ली हाल 40 गोल्फकोर्स एयरफोर्स जोधपुर।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
6. प्रतापसिंह पुत्र धर्मक्षेत्रपाल राजपूत नि. 51 कालकाजी, नई दिल्ली।	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
7. दिनेश गावरे पुत्र शिवराम गावरे नि. प्रथम गैलेक्सी अपार्टमेन्ट बान्द्रा मुम्बई-50	29.5.99 को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम ओसिया में प्रस्तुत किया।	सीजेएम कोर्ट जोधपुर
अभियोग संख्या 180/15.10.98		
1. सलमान खान पुत्र सलीम खान मुसलमान नि. 3-गैलेक्सी अपार्टमेंट बान्द्रा मुम्बई-50	52/28.7.2000 धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट चालान दि. 16.10.2000 को सीजे एण्ड जेएम जिला जोधपुर में प्रस्तुत किया।	सीजे एण्ड जेएम जोधपुर पिछली तारीख पेशी दि. 16.4.2001 थी। कोर्ट केस जे/एफ नं. 321/2000

परिशिष्ट "स"

फिल्म अभिनेता सलमान ख़ान वगैरह के विरुद्ध जोधपुर जिले में काले हिरणों का शिकार करने के संबंध में वन विभाग द्वारा दर्ज अभियोग के संबंध में सूचना

क्र.सं.	अभियोग संख्या वन विभाग	न्यायालय में इस्तगासा पेश करने की दिनांक	न्यायालय जिसमें पेश किया व जहां प्रकरण पेंडिंग है	न्यायालय का मुकदमा संख्या
1	93/26	17.6.2000	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जोधपुर	352/2000

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-273 का ब्यौरा) परिशिष्ट-1

Scheme of Financing of the Annual Plan 2000-2001

(Rs. in Crores)

Resources	Budget Estimates (B.E.)
1	2
A. State's Own Resources (1 to 10)	2625.40
1. Balance from current revenue (of which ARM)	–2647.04
2. Contribution of Public Enterprises	–902.24
i. State Electricty Board (of which ARM)	–982.32 (779.96)
ii. Road Trasnport Corporation (of which ARM)	–67.50 (85.70)
iii. Other Enterprises (of which ARM)	147.58
3. State Provident Fund	1366.39
4. Miscellaneous Capital Receipts (Net)	–517.59
5. Special Grants under TFC (a+b+c)	101.32
a. Upgradation Grant	19.97
b. Grants for Special Problems	17.50
c. Grants for Local Bodies	63.85
6. Loan against Small Savings	2250.00
7. Net Market Borrowings (SLR based)	839.62

1	2
8. **Negotiated Loans and other finances**	1834.94
a. LIC/GIC	130.08
b. NABARD	120.92
c. REC	91.00
d. IDBI	11.73
e. Others (HUDCO)	498.89
f. RSRTC	
g. RSEB (i)	982.32
9. Debentures/Bonds (Non SLR based)	300.00
10. ARM agreed at Dy. Chairman-CM discussion	
B. Central Assistance (11 to 13)	**1408.41**
11. Normal Central Assistance	584.25
12. Additional Central Assistance for EAPs	419.93
13. Others	404.23
C. Aggregate Plan Resources (A+B)	**4033.81**
D. Approved Plan Outlay	**4146.15**

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

ब्यावर नगर परिषद् में विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण

274. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्यावर नगर परिषद् में कुल कितने वाहन हैं? उक्त वाहनों के रख-रखाव व पैट्रोल में वर्ष 1999-2000 में कितनी राशि व्यय हुई?

(2) क्या नगर परिषद् ब्यावर में आवासीय, व्यावसायिक व अन्य नक्शे पास कराने की कोई निश्चित प्रक्रिया है? क्या उक्त प्रक्रिया की पालना हो रही है? यदि नहीं, तो विलम्ब व जन असुविधा को रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है?

(3) नगर परिषद् ब्यावर में क्या भू उपयोग चाहने वाले प्रार्थियों के लिए एक निश्चित समयावली व प्रक्रिया है? यदि हां, तो उसकी पालना नहीं होने के कितने मामले नगर परिषद् में विचाराधीन हैं? उक्त प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जलदाय विभाग व नगर परिषद् में सड़क कटिंग की स्वीकृति हेतु क्या कोई तालमेल है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त दोनों विभागों में समन्वय करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, ब्यावर में कुल 19 वाहन हैं। इनमें से 7 वाहन चालू हालत में हैं। वर्ष 1999-2000 में इनके रख-रखाव व पैट्रोल, डीजल पर कुल 3,80,664/- रु. की राशि व्यय हुई है।

(2) जी, हां। नगर परिषद् द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

(3) जी, हां। प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। भू उपयोग परिवर्तन हेतु कुल 33 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। विवरण संलग्न है।

(4) जी, हां।

भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	आवेदक का नाम	आवेदन तिथि	आपत्तियां आमंत्रण हेतु		नगर नियोजक को तकनीकी राय हेतु प्रेषित करने की तिथि	नगर नियोजक से प्राप्त तकनीकी राय का दिनांक	जिला स्तरीय बैठक आयोजित करने हेतु पत्र प्रेषित की तिथि	बैठक दिनांक	निर्णय	विवरण
				आवेदक को सूचना तिथि	प्रकाशन दिनांक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1	श्री हजारी पुत्र रहमान वगैरहा	8.5.2000	16.5.2000	21.5.2000	12.7.2000	3.9.2000	18.9.2000	24.11.2000	निरस्त	ट्रस्ट की भूमि होने के कारण (जिला स्तरीय बैठक दिनांक 24.11.2000)
2.	2	श्रीमती निर्मला मेहता पत्नी श्री मनमोहन	16.5.2000	16.5.2000	21.5.2000	12.7.2000	3.9.2000	18.9.2000	24.11.2000	निरस्त	ट्रस्ट की भूमि होने के कारण (जिला स्तरीय बैठक दिनांक 24.11.2000)
3.	3	श्री मुकेश काठात वगैरहा	19.5.2000	24.5.2000	25.5.2000	12.7.2000	3.9.2000	18.9.2000	24.11.2000	निरस्त	ट्रस्ट की भूमि होने के कारण (जिला स्तरीय बैठक दिनांक 24.11.2000)
4.	4	श्री श्रवण काठात	19.5.2000	24.5.2000	25.5.2000	12.7.2000	3.9.2000	18.9.2000	24.11.2000	निरस्त	ट्रस्ट की भूमि होने के कारण (जिला स्तरीय बैठक दिनांक 24.11.2000)
5.	5	श्री सुरेन्द्र नाथ भार्गव	2.6.2000	22.6.2000	2.7.2000	9.2.2001					वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की तकनीकी राय हेतु
6.	6	श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री दुर्गाप्रसाद	5.7.2000 12.2.2001	23.3.2001							विज्ञापन प्रकाशन हेतु आवेदन स्तर पर लम्बित
7.	7	श्री जवरा लाल अमरचन्द	14.7.2000	4.8.2000	8.8.2000	6.10.2000	17.10.2000		24.11.2000	स्वीकृत	जिला स्तरीय बैठक दिनांक 24.11.2000 द्वारा
8.	8	श्री सुरेश चन्द्र लोढ़ा वगैरहा	17.7.2000	4.8.2000	8.8.2000	6.10.2000	21.10.2000		24.11.2000	स्वीकृत	जिला स्तरीय बैठक दिनांक 24.11.2000 द्वारा
9.	9	श्रीमती उमराव कंवर	25.7.2000	14.8.2000							ट्रस्ट की भूमि होने के कारण निरस्त हेतु लम्बित
10.	10	श्री अर्जुन सिंह	2.8.2000	14.8.2000							मास्टर प्लान में व्यावसायिक होने से निरस्त
11.	11	श्री वीरेन्द्र सिंह यादव	19.8.2000	16.9.2000							आवेदक की मांग पर निरस्त
12.	12	श्री वीरेन्द्र सिंह यादव व अन्य	19.8.2000	16.9.2000							आवेदक की मांग पर निरस्त
13.	13	श्री हरिशंकर गर्ग	21.8.2000	16.9.2000	18.9.2000	6.10.2000	21.10.2000	21.11.2000 राज्य स्तर समिति	15.1.2001	स्वीकृत राज्य स्तर समिति द्वारा	
14.	14	श्री सुन्दर सिंह चौधरी	31.8.2000	22.9.2000							आवेदक की मांग पर निरस्त
15.	15	श्री वैंकटेश कुमार	22.8.2000	16.9.2000	21.9.2000						मन्दिर होने से निरस्त हेतु लम्बित
16.	16	श्रीमती इन्दर कौर	11.9.2000	22.9.2000	26.9.2000						संशोधित मानचित्र प्राप्त करने हेतु लम्बित
17.	17	श्रीमती मंजू देवी	20.9.2000	22.9.2000	30.11.2000						कनिष्ठ अभियंता की तकनीकी रिपोर्ट हेतु लम्बित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	18	श्रीमती सुलोचना देवी	20.9.2000	22.9.2000	30.11.2000						कनिष्ठ अभियंता की तकनीकी रिपोर्ट हेतु लम्बित
19.	19	श्री चतुरभुज/हीरालाल	16.9.2000	27.9.2000	29.2.2000						वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की तकनीकी राय हेतु
20.	20	श्री जगदीश प्रसाद/कालूराम	14.9.2000	22.9.2000	23.9.2000						आवेदक से भूमि विवादग्रस्त नहीं होने का शपथ-पत्र प्राप्ति हेतु
21.	21	श्री अनिल कुमार	12.10.2000	31.10.2000							विज्ञापन प्रकाशन हेतु आवेदक स्तर पर लम्बित
22.	22	श्री गोकुल राम/रमेश कुमार	3.10.2000	13.10.2000	26.10.2000						कनिष्ठ अभियन्ता की तकनीकी रिपोर्ट हेतु लम्बित
23.	23	श्रीमती मंगली देवी	12.10.2000	13.10.2000	6.11.2000						मानचित्र सही प्रस्तुत नहीं करने पर मौका निरीक्षण बाबत् लम्बित
24.	24	श्री अशोक कुमार टांक	6.10.2000	13.10.2000	14.10.2000	2.3.2001	29.3.2001	9.4.2001			जिला स्तरीय बैठक में विचाराधीन
25.	25	श्री वीरेन्द्र सिंह	6.10.2000	13.10.2000	14.10.2000	2.3.2001	29.3.2001	9.4.2001			जिला स्तरीय बैठक में विचाराधीन
26.	26	श्री शंकर सिंह	6.10.2000	13.10.2000	14.10.2000	2.3.2001	29.3.2001	9.4.2001			जिला स्तरीय बैठक में विचाराधीन
27.	27	श्री राजेन्द्र सिंह	6.10.2000	13.10.2000	14.10.2000	2.3.2001	29.3.2001	9.4.2001			जिला स्तरीय बैठक में विचाराधीन
28.	28	श्री रामचरण सिंह	6.10.2000	13.10.2000	14.10.2000	2.3.2001	29.3.2001	9.4.2001			जिला स्तरीय बैठक में विचाराधीन
29.	29	श्री अमरचन्द/शिवराज	30.10.2000	6.12.2000							आवेदक की मांग पर निरस्त
30.	30	श्री नवरंग राय जाटव	14.11.2000	30.12.2000	11.1.2001						भू-परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के पीछे गैस गोदाम होने से मौका निरीक्षण हेतु प्रकरण लम्बित
31.	31	श्री अभय कुमार	5.12.2000	25.1.2001	28.1.2001						आवेदक द्वारा सैट-बैक में व्यावसायिक उपयोग चाहे जाने पर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु लम्बित
32.	32	श्रीमती मैना देवी	8.12.2000	25.1.2001	28.1.2001						कनिष्ठ अभियंता की तकनीकी रिपोर्ट व प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु लम्बित
33.	33	श्री मुरलीधर वगैरहा	18.1.2001	3.2.2001	4.2.2001	13.4.2001					नगर नियोजक, अजमेर की तकनीकी राय हेतु लम्बित

बकाया भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	प्रकरण सं.	आवेदक का नाम	लम्बित होने का कारण
1.	06	श्रीमती संध्या देवी	आपत्तियां आमंत्रित हेतु आवेदक स्तर पर लम्बित
2.	09	श्रीमती उमराकंवर	ट्रस्ट की भूमि होने से निरस्त हेतु लम्बित
3.	15	श्री वैंकटेश कुमार	मंदिर की भूमि होने से निरस्त हेतु लम्बित
4.	16	श्रीमती इन्दर कौर	संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु लम्बित
5.	17	श्रीमती मंजू देवी	मौका तकनीकी रिपोर्ट हेतु लम्बित
6.	18	श्रीमती सुलोचना देवी	मौका तकनीकी रिपोर्ट हेतु लम्बित
7.	19	श्री चतरभुज/हीरालाल	वरिष्ठ नगर नियोजक से तकनीकी राय प्राप्त हेतु
8.	20	श्री जगदीश प्रसाद/कालूराम	आवेदक से भूमि विवादग्रस्त नहीं होने का शपथ प्राप्त हेतु
9.	21	श्री अनिल कुमार	आपत्तियां आमंत्रित हेतु आवेदक स्तर पर लम्बित
10.	22	श्री गोकुलराम/रमेश कुमार	मौका तकनीकी रिपोर्ट हेतु लम्बित
11.	23	श्रीमती मंगली देवी	मानचित्र सही प्रस्तुत नहीं करने पर मौका निरीक्षण हेतु लम्बित
12.	30	श्री नवरंग राय जाटव	भू-परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के पीछे गैस गोदाम होने से मौका निरीक्षण हेतु लम्बित
13.	31	श्री अभय कुमार	आवेदक द्वारा सैट-बैक में व्यावसायिक उपयोग चाहे जाने पर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु लम्बित
14.	32	श्रीमती मैना देवी	कनिष्ठ अभियन्ता में तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लम्बित

आयुक्त
नगर परिषद्, ब्यावर

अकाल राहत कार्यों पर स्वीकृत राशि में कटौती

275. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष में अकाल राहत कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या सरकार ने अकाल राहत कार्यों की राशि जुटाने के लिए विभागीय बजट की राशि में कटौती की है ? यदि हां, तो कितनी राशि की कटौती की गयी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों पर व्यय की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं। विभागीय बजट में कटौती नहीं की गयी है।

EXPENDITURE ON RELIEF ACTIVITIES SAMVAT, 2056

(Amount in Lac)

1.	RELIEF WORKS	51364.33
2.	CATTLE CONSERVATION	4200.59
3.	DRINKING WATER	711.49
4.	SUPPLY OF MEDICINES	127.10
5.	GRATUITOUS RELIEF	191.20
	TOTAL	**56594.71**

Note : This includes C. R. F. + R.I.D.F. (Material Component) + P. M. Fund

खान एवं खनिज निगम, उदयपुर द्वारा अस्पताल खोलने हेतु निजी कम्पनी के साथ अनुबन्ध

276. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम, उदयपुर द्वारा किसी निजी क्षेत्र की कम्पनी के साथ उदयपुर में अस्पताल खोलने के लिए अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये हैं ? यदि हां, तो अनुबन्ध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अस्पताल हेतु कोई निविदा प्रकाशित की गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन समाचार-पत्रों में ?

(3) क्या उक्त खनिज निगम उक्त कम्पनी को मात्र एक रुपया की वार्षिक लीज पर 99 वर्षों के लिए उदयपुर के मध्य स्थित भूमि उपलब्ध करा रहा है जो राजकीय उपक्रम होने के नाते अपने कार्यालय एवं आवास हेतु सरकारी दर पर राज्य सरकार से खरीदी थी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की कीमत उक्त चयनित कम्पनी की अंश पूंजी में सम्मिलित नहीं की जाएगी जबकि दूसरे पक्ष की पूंजी सम्मिलित मानी जाएगी ?

(5) क्या उक्त अस्पताल का नामकरण, प्रबन्ध एवं नियंत्रण राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम, उदयपुर का नहीं होगा ?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(6) क्या उक्त प्रोजेक्ट के लिए राजकीय उपक्रम ब्यूरो और राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड एवं मैसर्स अमेरिकन इन्टरनेशनल हैल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, 17, न्याय मार्ग, उदयपुर के मध्य, उदयपुर में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल खोलने के लिए अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये गए हैं। अनुबन्ध की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड कम्पनी ने मैसर्स अमेरिकन इंटरनेशनल हैल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को रुपया एक की वार्षिक लीज पर 99 वर्षों के लिए हास्पिटल बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई है। यह भूमि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार मूल्यांकन के आधार पर खरीदी है। विक्रय संबंधी दस्तावेज परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) यह सही है कि इस भूमि की कीमत चयनित कम्पनी के अंश में सम्मिलित नहीं की जाएगी। यह भी सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा यह भूमि मैसर्स अमेरिकन इन्टरनेशनल हैल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को 99 वर्ष की लीज पर दी गई है एवं इस पर मालिकाना हक राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का ही रहेगा।

(5) इस प्रारम्भ किए जाने वाले हास्पिटल का नामकरण अभी नहीं किया गया है। इस सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का प्रबन्ध एवं नियंत्रण मैसर्स अमेरिकन इन्टरनेशनल हैल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड का रहेगा जो कि हास्पिटल प्रबंधन में सिद्धहस्त है। इस क्षेत्र के गरीब एवं आदिवासी लोगों को निःशुल्क या न्यूनतम दर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड एवं मैसर्स अमेरिकन इन्टरनेशनल हैल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा कार्पस फण्ड बनाया जाकर उसके लिए ट्रस्ट भी बनाया जाएगा जिसमें राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के प्रतिनिधि अध्यक्ष होंगे। ऐसा करने से आदिवासियों व गरीब लोगों तथा राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के कर्मचारियों का हित सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) उक्त प्रोजेक्ट के लिए कम्पनी के बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली गई है जिसका प्रतिलिपि परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। इसी क्रम में हास्पिटल प्रोजेक्ट के संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित करने के निर्णय की सूचना राज्य सरकार को भी प्रेषित कर दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला सिरोही की प्रस्तावित जल प्रदाय योजनाएं

277. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाई बांध से शिवगंज नगर को पेयजल आपूर्ति की योजना किस स्तर पर विचाराधीन है? सहायक अभियन्ता, शिवगंज द्वारा उक्त योजना किस तिथि को प्रेषित की गई थी और उक्त योजना कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी?

(2) बनास बांध से सिरोही शहर को पेयजल आपूर्ति की योजना किस स्तर पर विचाराधीन है?

(3) तहसील सिरोही के कालन्दीजावाल, वेलागिरी, बरलूट की पुनर्गठित जलप्रदाय योजना तथा धांता भांकरोडा योजना किस स्तर पर विचाराधीन है? उक्त को कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा?

(4) तहसील शिवगंज के धुवाणा, गोडाणा, वेरा जैतपुरा को जलप्रदाय योजना से जोड़ने का क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

(5) तहसील सिरोही के वराडा व मोहब्बत नगर की जर्जर टंकियां कब तक गिरा दी जाएंगी?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता, शिवगंज द्वारा जवाई बांध से शिवगंज शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित योजना दिनांक 15.10.2000 को अग्रप्रेषित की गई थी। तकनीकी सदस्य कार्यालय, जयपुर द्वारा उक्त योजना में तकनीकी कमियां बताई गई हैं जिनके निराकरण हेतु सहायक अभियन्ता, उपखण्ड, शिवगंज के स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। तकनीकी परीक्षण के उपरान्त प्राथमिकता, बजट एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार योजना की स्वीकृति सम्भव हो सकेगी।

(2) बनास बांध से सिरोही शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित योजना में मुख्य अभियन्ता कार्यालय, जोधपुर द्वारा तकनीकी कमियां बताई गई हैं जिनके निराकरण हेतु सहायक अभियन्ता, उपखण्ड सिरोही के स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(3) तहसील सिरोही के ग्राम कालन्द्री, जावाल व बरलूट की पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। शेष ग्रामों क्रमशः वेलागिरी एवं धांता- भांकरोडा की पुनर्गठित पेयजल योजनाएं जिन पर मुख्य अभियन्ता कार्यालय, जोधपुर द्वारा तकनीकी कमियां बताई गई हैं, उनके निराकरण हेतु सहायक अभियन्ता, उपखण्ड सिरोही के स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(4) तहसील शिवगंज के ग्राम धुवाणा, गोडाणा व वेरा जैतपुरा हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित ग्राम हैं। इन ग्रामों में वर्तमान में विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पर्याप्त हैण्डपम्प कार्यरत हैं। इन गांवों की आबादी वर्ष 1991 की जनगणनानुसार 1500 से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कम होने के कारण हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित इन ग्रामों को अन्य योजना में विभागीय नीति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है।

(5) तहसील सिरोही के वर्णित गांवों क्रमशः वराडा व मोहब्बत नगर में क्षतिग्रस्त टंकियों को गिराने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। तकनीकी परीक्षण के उपरान्त बजट एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाकर इन ग्रामों की टंकियों को गिराने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

केरोसिन तेल के दामों में वृद्धि

278. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सरकार द्वारा केरोसिन तेल के दाम बढ़ाये जाने के समय राज्य सरकार के पास कुल कितनी मात्रा में केरोसिन तेल का स्टाक था?

(2) भारत सरकार द्वारा केरोसिन की दर बढ़ाये जाने के पश्चात् खाद्य विभाग के पास बचे उक्त तेल को राशन विक्रेताओं को किस दर से आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा केरोसिन तेल के दाम बढ़ाये जाने के समय राज्य सरकार के पास केरोसिन तेल का कोई स्टाक नहीं था।

(2) खाद्य विभाग के पास तेल का कोई स्टाक नहीं रहता है। अतः आबंटन की दर का प्रश्न ही नहीं उठता।

पथ परिवहन निगम में अनुबन्धित बसों से हानि

279. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में राज्य पथ परिवहन निगम को कितना-कितना घाटा हुआ? घाटे के क्या-क्या कारण रहे?

(2) क्या सरकार ने पांच डिपो मैनेजरों को निलम्बित किया था? यदि हां, तो किस-किस को एवं किस कारण से?

(3) पथ परिवहन निगम में वर्तमान में कितनी अनुबन्धित बसें लगी हुई हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से कितनी बसें लाभ/हानि दे रही हैं? क्या सरकार इनको हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 में 4401.36 लाख रुपये एवं 1999-2000 में 7379.14 लाख रुपये का घाटा हुआ। घाटे में रहने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(यातायात मंत्री)

1. दिनांक 1.1.97 से कर्मचारियों को नये वेतनमान का लाभ देने के पश्चात् संस्थापन लागत में प्रतिवर्ष अत्यधिक वृद्धि होना।

2. डीजल की दरों में बार-बार वृद्धि होना।

3. राज्य सरकार द्वारा विशेष सड़क कर की दरों में वृद्धि करना।

4. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के लोगों को निगम की बसों में निःशुल्क एवं रियायती सुविधा प्रदान करवाना।

5. राज्य में लगातार सूखे की स्थिति से यात्रीभार में कमी होना।

6. बड़े रेल लाइनों पर रेल सेवाओं का विस्तार होना एवं रेल यात्री किराया निगम बसों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होने से यात्री भार में कमी होना।

7. अत्यधिक घाटे की स्थिति में रोजमर्रा के खर्चों के लिये भी बाजार से ऋण लिये जाने से ब्याज की राशि का अत्यधिक भार पड़ना।

8. निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण वर्ष 1999-2000 में आवश्यकतानुसार नयी बसें नहीं खरीद पाना।

9. दिल्ली में अन्तरराज्यीय बस अड्डे से निगम की बसों के संचालन पर रोक लगाने से यात्री भार में कमी होना।

(2) जी, हां। निगम द्वारा निम्न 6 मुख्य प्रबन्धकों को उनके आगार में वर्ष 1999-2000 के दौरान 3.5 करोड़ अथवा उससे अधिक घाटा होने के कारण आदेश संख्या–736 दिनांक 30.8.2000 के द्वारा निलम्बित किया गया था :—

1. श्री आर. के. अग्रवाल, सहायक संभाग प्रबन्धक

2. श्री एम.एल. अडालिया, सहायक संभाग प्रबन्धक

3. श्री सुमनदेव गुप्ता, सहायक संभाग प्रबन्धक

4. श्री शुभकरण आढा, आगार प्रबन्धक

5. श्री बसन्त सिंह, सहायक यांत्रिक अभियन्ता

6. श्री एस.पी. कुमावत, सहायक यांत्रिक अभियन्ता

(3) राजस्थान पथ परिवहन निगम में वर्तमान में 235 अनुबंधित बसें लगी हुई हैं। संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) उक्त अनुबंधित बसों में से माह फरवरी, 2001 तक 142 बसें लाभ में और 93 बसें हानि में रही हैं।

निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण आवश्यकतानुसार नई बसों का क्रय नहीं किया जा सका है। पुरानी बसों का प्रतिस्थापन निजी बसों को अनुबंध पर लिया जाकर वाहनों की आवश्यक पूर्ति की जाती है। इन अनुबंधित बसों के राजस्व में वृद्धि हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हुये हैं। इसलिए अनुबंधित बसों को वर्तमान में हटाने का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

दिनांक-31.3.2001 तक अनुबन्ध पर लगी हुई निजी बसों का आगारवार विवरण

क्र.सं.	आगार	बसों की संख्या
1.	गंगानगर	2
2.	बीकानेर	25
3.	हनुमानगढ़	2
4.	अनूपगढ़	4
5.	सरदारशहर	2
6.	अजयमेरू	1
7.	जयपुर	5
8.	वैशाली नगर	1
9.	जोधपुर	25
10.	बाड़मेर	46
11.	जालौर	10
12.	आबूरोड	3
13.	सिरोही	9
14.	पाली	12
15.	फालना	2
16.	फलौदी	16
17.	रेवदर	8
18.	ब्यावर	7
19.	भीलवाड़ा	4
20.	नागौर	8
21.	डूंगरपुर	8
22.	बांसवाड़ा	2
23.	चित्तौड़गढ़	1
24.	सीकर	26
25.	झुंझुनूं	2
26.	चूरू	4
	कुल योग	235

जिला झालावाड़ की वन भूमि पर अतिक्रमण

280. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत—गागरोन, जिला झालावाड़ के ग्रामों में वन भूमि कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम हरिपुरा में वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो अतिक्रमियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या सरकार अतिक्रमियों से भूमि खाली कराकर ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति गठित कर वन भूमि में पेड़ लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत—गागरोन, जिला झालावाड़ के ग्रामों में 13078.89 हैक्टेयर वन भूमि है।

(2) जिला झालावाड़ की ग्राम पंचायत—गागरोन के ग्राम हरिपुरा की भूमि पर दिनांक 23.2.2001 को कुछ व्यक्तियों द्वारा लगभग 40 बीघा वन भूमि में अतिक्रमण किया गया। मौके पर तैनात वन विभाग के स्टाफ ने अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही कर ट्रैक्टर आदि जब्त किये तथा राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 26 के अन्तर्गत मुकदमा बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) उक्त आरक्षित वन भूमि, वन खण्ड मशालपुरा-बी का हिस्सा है। इस वन खण्ड की सुरक्षा हेतु एक वनपाल एवं दो वनरक्षक, एक कार्य प्रभारित कर्मकार पदस्थापित है। जिला स्तर पर गठित गश्ती दल द्वारा समय-समय पर इसकी सुरक्षा हेतु गश्त की जाकर वन भूमि में अतिक्रमण एवं वन सम्पदाओं की क्षति की रोकथाम की जाती है। वन खण्ड की उल्लिखित 40 बीघा वन भूमि पर हुये अतिक्रमण को कानूनी कार्यवाही कर मुक्त कराये जाने के उपरान्त ही इसे विकसित करने की योजना के बारे में विचार किया जा सकता है।

सहकारी भूमि विकास बैंक, सवाई माधोपुर में कार्यरत लिपिकों की पदोन्नति

281. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., सवाईमाधोपुर के पत्र क्र. 93-94/2592 दिनांक 1.11.93 के क्रम में सहकारी विभाग के परियोजना निदेशक, मोनिटरिंग जयपुर के पत्र क्र. 3646 दिनांक 10.12.93 के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लिपिकों में से 2 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिपिकों को बैक लाग पूरा कर शाखा सचिव/सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो अब तक उक्त पदोन्नति क्यों नहीं दी गई?

(2) अब तक पदोन्नति नहीं दिये जाने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या सरकार उक्त लिपिकों की शाखा सचिव/सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति करके बैग लाग को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग द्वारा बैंक की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थिति की समीक्षा कर आदेश दिनांक 17.2.95 के द्वारा बैंक के लिए सुपरवाइजर की स्ट्रेन्थ 9 के स्थान पर 7 कर दिये जाने से पद कम हो जाने के फलस्वरूप एवं शाखा सचिव के 4 ही पद स्वीकृत होने के कारण अब तक पदोन्नति नहीं दी जा सकती है।

(2) अब तक पदोन्नति नहीं दिये जाने के लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(3) बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र खारची में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण

282. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि विपणन बोर्ड मण्डी क्षेत्र में डामर सड़क बनाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र खारची में गत तीन वर्षों में कितनी डामर सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया?

(2) उक्त सड़कों पर कितनी-कितनी स्वीकृत राशि के विरुद्ध कितना-कितना व्यय किया गया? क्या उक्त सड़कों पर निर्माण कार्य घटिया स्तर का होने से मात्र दो वर्षों में ही उक्त सड़कों पर गड्ढे हो गये?

(3) क्या सरकार खिवाडा बाई पास होते गौण मण्डी तक तथा रुगडी से पिलोवनी के 4 किलोमीटर मार्ग पर डामर सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) उक्त क्षेत्र में कितनी डामर सड़कों का कार्य स्वीकृति हेतु विचाराधीन है? क्या सरकार उक्त सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र खारची में गत तीन वर्षों में 6 सम्पर्क सड़कों का निर्माण करवाया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त सड़कों पर स्वीकृत राशि एवं उसके विरुद्ध किया गया व्यय परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 3 एवं 4 पर अंकित है। सड़कों का निर्माण कार्य घटिया स्तर का नहीं था। क्रम संख्या 4 पर अंकित सड़क जो वर्ष 1995-96 में निर्मित हुई थी, में मरम्मत के अभाव में कुछ भाग में खड्डे हो गए हैं।

(3) प्रश्नांकित सड़कें, सड़क वरीयता में आने व वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इन्हें बनाने पर विचार किया जाएगा।

(4) प्रश्न में अंकित सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
1	2	3	4
1.	स. स., सोजत देसूरी रोड 13 कि.मी. से निंबली	4.37	3.12
2.	स. स., उपरला-निंबली	25.40	18.10
3.	स. स., पाली खेरवा रोड से हिंगोलाखुर्द	20.63	10.44
4.	स. स., खारड़ा से जीवनकलां	34.94	30.24
5.	स. स., रामाजी गुढ़ा से कैरली	25.40	21.50
6.	स. स., देसूरी फुलार से मांडपुरा	41.30	34.94

राजस्थान आवासन मण्डल में प्रतीक्षारत आवेदक

283. डा. रतन लाल (सहाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में आवास आबंटन के लिए कुल कितने आवेदक जिलेवार कब-कब से प्रतीक्षारत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रतीक्षारत आवेदकों को कब तक आवास आबंटन की संभावना है?

(3) आवासीय मकानों के निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मण्डल द्वारा क्या-क्या किया जाता है? क्या निर्माण सामग्री प्रतिपादित मानदण्डों के अनुसार काम में नहीं ली जाने के बारे में मण्डल को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त

(डा. रतन लाल)

शिकायतें किस-किस प्रकार की कब-कब प्राप्त हुई हैं तथा उनका निस्तारण किस प्रकार से किया गया है? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में आवास आवंटन के लिए संलग्न सूची के अनुसार 35 शहरों में अभी प्रतीक्षारत है। इन शहरों के आगे अंकित वर्षों में किये गए पंजीकरण में से कुल 25,617 आवेदक हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रतीक्षारत आवेदकों में से जोधपुर, अलवर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, सांगानेर एवं दौसा के सभी आवेदकों को पूर्वग्रहण राशि जमा कराने हेतु आरक्षण पत्र जारी कर दिए गये हैं एवं इनके द्वारा ज्योंही पूर्वग्रहण राशि जमा करा दी जाती है, मण्डल द्वारा मकान आबंटन कर दिए जायेंगे। इसमें से सांगानेर योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों हेतु मकान निर्माणाधीन हैं, इन्हें अगले वित्तीय वर्ष में मकान आबंटित किए जाने की सम्भावना है। किशनगढ़, बालोतरा, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमन्द, टोंक, चौमूं, झालावाड़, कोटा, सीकर, झुंझुनूं, नाथद्वारा, आबूरोड, जोधपुर आदि शहरों के प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों को अगले दो वर्ष में मकान आबंटन किये जाने की सम्भावना है।

जयपुर, जैसलमेर, फलौदी, पाली, सुमेरपुर, फालना, शिवगंज, सिरोही, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। ज्योंही भूमि उपलब्ध होती है तो इन शहरों में प्रतीक्षारत आवेदकों को 2 से 3 वर्षों में आवास आबंटन की सम्भावना है। बारां में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित है एवं गंगानगर में भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अतः उक्त शहरों में भूमि उपलब्ध होने पर दो से तीन वर्षों में आवास आबंटन की सम्भावना है।

(3) आवासीय मकानों के निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मण्डल द्वारा निर्माण के दौरान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्माण सामग्री के मौके पर नमूने लिये जाते हैं एवं उनकी जांच सम्बन्धित खण्ड कार्यालयों की प्रयोगशालाओं तथा गुणवत्ता नियंत्रण की प्रयोगशालाओं में की जाती है। जांच में जो निर्माण सामग्री निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पायी जाती है उसके संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत (बी) श्रेणी के परिणामों हेतु शास्ति स्वरूप राशि ठेकेदार के बिल में से काटी जाती है तथा (सी) श्रेणी के परिणाम आने पर उक्त निर्माण सामग्री सम्पादित कराये गये कार्यों को मौके पर तुड़वाकर दुबारा निर्माण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

निर्माणाधीन मकानों का विभिन्न अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मौके पर निरीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मकानों के निर्माण करवाने के प्रयास किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में आवासन आयुक्त महोदय को आवास संख्या-77/167 एवं 77/167-ए की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें इन आवासों की छत की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत थी, जिसकी जांच उप आवासन आयुक्त, गुणवत्ता नियंत्रण से करवायी गयी। उप आवासन आयुक्त, गुणवत्ता नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार छत में पायी गयी कमियों को ठीक करने हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्देश सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त को दे दिए गये थे एवं उनके द्वारा उक्त शिकायत के अनुसार खराब कार्य को ठेकेदार की लागत पर दुरुस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट "अ"

RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR

DISTRICTWISE / YEARWISE PENDING REGISTRATION

S. No.	District	City	YEAR																							Available Stock of Houses
			1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Ajmer	Kishangarh	0	0	0	0	0	15	0	7	7	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	7
2.	Alwar	Alwar	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	427
3.		Bhiwadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	112	58	11	0	0	0	0	0	57	0	0	243	411
4.	Banswara	Banswara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	51	0	227	735	19
5.	Baran	Baran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	775	4
6.	Barmer	Balotra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	12	0
7.		Barmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0
8.	Bhilwara	Bhilwara	0	4	0	7	0	1	2	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	42	96
9.	Chittorgarh	Chittorgarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	194	0	38	0	237	17
10.	Churu	Churu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	0	0	2	15	0	8	0	0	40	42
11.	Dausa	Dausa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	8	14	7
12.	Dholpur	Dholpur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	76	9
13.	Dungarpur	Dungarpur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	0	129	0	556	10
14.	Jaipur	Chomu	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0
15.		Jaipur	1283	5	4	0	0	0	8	0	28	17	14	22	20	14	0	2	12	65	2	17	7	0	1520	79
16.		Sanganer	0	0	0	5872	0	0	0	0	179	38	8303	136	91	106	0	0	0	0	0	0	0	0	14725	3403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17.	Jaisalmer	Jaisalmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0
18.		Phalodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	70	0
19.	Jhalawar	Jhalawar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	19
20.	Jhunjhunu	Jhunjhunu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	17	46	0	27	124	20
21.	Jodhpur	Jodhpur	0	0	0	12	0	1	3	0	240	12	580	8	26	37	0	0	0	28	0	46	24	94	1111	500
22.	Kota	Kota	0	0	133	212	0	0	207	0	14	5	44	74	47	43	0	0	0	0	0	0	0	16	795	310
23.	Pali	Pali	0	0	0	4	1	22	13	0	9	0	30	4	1	1	0	0	0	63	0	0	46	0	194	17
24.		Phalana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0
25.		Sumerpur	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0
26.	Rajsamand	Nathdwara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	111	0
27.		Rajsamand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	105	0
28.	Shri Ganganagar	Shri Ganganagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0
29.	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
30.	Sikar	Sikar	23	2	45	0	0	68	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	326	4
31.	Sirohi	Abu Road	0	0	0	45	0	0	8	0	4	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	184	16
32.		Shivganj	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0
33.		Sirohi	0	14	0	6	0	0	8	0	1	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	435	3
34.	Tonk	Tonk	0	0	0	10	0	13	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9	107	105	0	252	1
35.	Udaipur	Udaipur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1365	0	0	0	0	0	0	30	0	29	201	1625	111
	Total		1306	25	183	6264	1	120	290	8	484	80	10049	2169	256	1055	0	2	14	178	1430	332	638	733	25617	5532

डकैत उन्मूलन हेतु मध्य प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त कार्य योजना

284. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में चम्बल के बीहड़ों में पुनः मध्य प्रदेश से डकैतों के आने एवं लोगों के अपहरण करने की घटनाओं ने जोर पकड़ा है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर एवं कोटा जिलों की मध्य प्रदेश से सटी हुई सीमाओं पर कितने लोगों का अपहरण अथवा हत्या की गयी तथा उनमें से कितने लोग छूट गये एवं कितने लोग अब तक लापता हैं?

(2) उक्त समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

(3) क्या उक्त समाधान के लिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार से मिलकर कोई संयुक्त योजना बनाने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) राज्य के चम्बल के बीहड़ों में मध्य प्रदेश के डकैतों द्वारा दस्यु प्रभावित जिले धौलपुर एवं कोटा में पिछले तीन वर्षों में अपहरण की कोई घटना कारित नहीं की गयी है। करौली जिले में मध्य प्रदेश के डकैतों द्वारा वर्ष 1998 में शून्य, वर्ष 1999 में एक एवं वर्ष 2000 में अपहरण की दो घटनाएं कारित की हैं, जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1998 एवं 1999 में शून्य तथा वर्ष 2000 में अपहरण की एक घटना कारित की है। उक्त सभी घटनाओं के अपहृत व्यक्ति छूटकर वापस आ चुके हैं, किसी भी अपहृत व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है।

(2) दस्यु प्रभावित क्षेत्र में जगह-जगह पर सशस्त्र गार्ड लगाई हुई है जिसे दस्यु उन्मूलन बल के नाम से जाना जाता है। दस्यु आवागमन के मार्गों पर गश्त एवं नाकाबन्दी कराई जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर आर.ए.सी. की चौकियां लगाई गई हैं।

(3) सीमावर्ती जिलों के थाना अधिकारियों एवं वृत्ताधिकारियों की समय-समय पर गोष्ठियां की जाकर दस्युओं को गिरफ्तार करने की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं उप महानिरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारियों के साथ गोष्ठियों का आयोजन कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है एवं दस्युओं के विरुद्ध कार्य योजना बनाकर उनकी क्रियान्विति की जाती है।

घड़ियाल क्षेत्र को छोड़ चम्बल सैण्ड क्षेत्र में खनन पट्टा

285. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर के चम्बल क्षेत्र से रेत का खनन

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

किया जाता है? क्या उक्त क्षेत्र को घड़ियाल पुनर्वास अभयारण्य घोषित किया गया है? यदि हां, तो उक्त खनन कार्य में लगे हजारों मजदूरों की रोजगार समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है?

(2) उक्त चम्बल सैण्ड खनन क्षेत्र को घड़ियाल पुनर्वास अभयारण्य किन मानदण्ड के अनुसार घोषित किया गया है?

(3) क्या सरकार चम्बल सैण्ड का घड़ियाल क्षेत्र को छोड़कर उसके बाहरी सीमा के सैण्ड का पट्टा/ठेका देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर, के चम्बल क्षेत्र से रेत के खनन हेतु कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया गया है। चूंकि कोई वैद्य खनन पट्टा जारी नहीं है, अतः मजदूरों के पुनर्वास का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी, हां। उक्त क्षेत्र को राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.11(12) रे.वे/ग्रुप-8/78 जयपुर, दिनांक 16.3.83 के द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के तहत घड़ियाल (गेविएलिस गेजेटिक्स) एवं मगर प्रजाति (क्रोकोडिलस पालरिट्रियर्स) व अन्य वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्रों का संरक्षित, प्रजनित एवं विकसित के प्रयोजन से संरक्षित करने के लिए तथा पर्यावरण के लिए परिस्थितीय अनुकूलता और जीव जन्तुओं के प्रजनन व स्वच्छन्द विचरण सम्बन्धी महत्व को ध्यान में रखते हुए अभयारण्य घोषित किया गया है।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में चम्बल सैण्ड घड़ियाल क्षेत्र को छोड़कर उसके बाहरी सीमा में सैण्ड का पट्टा/ठेका वर्तमान में देने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि घड़ियाल क्षेत्र के बाहर सैण्ड की उपलब्धता नगण्य है।

जिला अजमेर में मृतक आश्रितों को नियुक्ति

286. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार के समक्ष मृतक आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 31 मार्च, 2000 तक कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं?

(2) क्या राज्य सरकार के जारी निर्देशों में अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रितों को आवेदन के एक माह के अन्दर नियुक्तियां दे दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक उक्त नियुक्तियां दे दी जावेंगी।

(3) जिला अजमेर में विभाग में अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रितों के कितने प्रार्थना-पत्र नियुक्ति हेतु लम्बित हैं? नाम व प्रार्थना-पत्र दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त व्यक्तियों को कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में मृतक आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 31 मार्च, 2000 तक 72 प्रार्थना-पत्र लम्बित थे।

(2) अधिकतर प्रकरणों में पूर्ण सूचना के साथ प्राप्त आवेदनों पर एक माह की अवधि में नियुक्ति दे दी गयी। अन्य प्रकरणों में आश्रितों को नियुक्ति में विलम्ब के मुख्यतया कारण आवेदन-पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करना, आश्रितों का अवयस्क होना, न्यायालयिक विवाद, उत्तराधिकार का विवाद, प्रार्थना-पत्र की पूर्तियां समय पर नहीं होना इत्यादि रहे हैं। संबंधित कारणों का निराकरण प्रक्रिया में है, जिसके पश्चात् ही नियुक्तियां देना सम्भव हो सकेगा।

(3) जिला अजमेर के विभाग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पांच प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) प्रार्थना-पत्रों में सम्बन्धित कमियों का निराकरण एवं पात्रता हेतु आवश्यक शर्तें एवं प्रविष्टियां पूर्ण होने पर ही नियुक्ति देना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "क"

जिला अजमेर में जन स्वा. अभि. विभाग में अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रितों के नियुक्ति हेतु दि. 31.3.2000 को लम्बित प्रार्थना-पत्र की सूची

क्र.सं.	नाम/पद	प्रार्थना-पत्र प्रस्तुति दिनांक	लम्बित रहने का कारण
1.	श्रीमती उर्मिला कंवर, सहायक	17.7.97	निर्धारित समय के पश्चात् प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ तथा उत्तराधिकारी का प्रकरण अनिर्णित है।
2.	श्री मंगल सिंह	12.10.98	आश्रित अव्यस्क है।
3.	श्री विनोद सिंह	22.2.2000	आश्रित अवयस्क है।
4.	श्री हंसराज	24.8.1999	मृतक कर्मचारी के सेवा से लगातार 7 वर्ष की अनुपस्थिति का प्रकरण विचाराधीन है।
5.	श्री मुकेश कुमार सैन	4.4.1996	आश्रित अवयस्क है।

निगम की बसों के यात्रियों को पेयजल सुविधा

287. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीलक्स बसों के सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान पेयजल उपलब्ध कराया जाता है? यदि नहीं, तो ऐसा भेदभाव क्यों ?

(2) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सभी मार्गों पर संचालित डीलक्स/साधारण बसों में गर्मी के मौसम में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी, हां। पेयजल की सुविधा पूर्ण रूप से जयपुर से दिल्ली डीलक्स तथा वातानुकूलित किराये पर संचालित बस सेवाओं के यात्रियों को ही प्रदान की जा रही है। अन्य सेवाओं के किराये में अन्तर के कारण ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही है, अतः किसी प्रकार का भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है।

(2) जी, नहीं।

सरिस्का सैंक्चुरी क्षेत्र में अवैध निर्माण

288. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि "सरिस्का नेशनल पार्क" एवं "सरिस्का सैंक्चुरी" वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 से शासित होता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के नहीं किये जा सकते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरिस्का सैंक्चुरी क्षेत्र में सरिस्का होटल के मालिकों द्वारा वर्तमान में निर्माण कार्य किया गया है या किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त कर होटल के मालिकों को निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की है ? केन्द्र सरकार की अनुमति एवं राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में अवैध निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो अवैध निर्माण को न रोकने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। सरिस्का नेशनल पार्क एवं सरिस्का सैंक्चुरी पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 लागू होता है।

जी, नहीं। पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा, 23 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.11.99 के द्वारा बाघ परियोजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का

(राज्य मंत्री, वन)

निर्माण बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकता है।

(2) जी, हां। सरिस्का पैलेस होटल के पुराने भवन का नवीनीकरण करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है।

जी, नहीं। पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा, 23 के तहत प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.99. के अन्तर्गत राज्य सरकार से अनुमति लेने का दायित्व होटल/इकाई का है। इस संबंध में इकाई ने राज्य सरकार से वांछित अनुमति प्राप्त नहीं की है।

(3) जी, हां। अवैध निर्माण को रोकने हेतु बाघ परियोजना के क्षेत्र निदेशक द्वारा दिनांक 5.3.2001 को सरिस्का पैलेस होटल प्रबन्धक को पाबंद किया जा चुका है। उक्त कार्य को रुकवाने हेतु क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना सरिस्का द्वारा दिनांक 5.3.2001 को जिला कलक्टर, अलवर को भी लिख दिया गया है और अग्रेतर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में त्वरित न्यायालय की स्थापना

289. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में लम्बे समय से विचाराधीन फौजदारी मुकदमों के शीघ्र निस्तारण करने हेतु त्वरित न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) वर्तमान में टोडाभीम न्यायालय में कितने-कितने मामले कब से विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में लम्बे समय से विचाराधीन फौजदारी मामलों का निस्तारण करने हेतु 40 स्थानों पर त्वरित न्यायालय खोले जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। क्योंकि राज्य में चालीस त्वरित गति न्यायालयों (फास्ट ट्रेक कोर्ट) की स्थापना दिनांक 31.3.2001 को मा. उच्च न्यायालय के परामर्श पर प्रस्तावित स्थानों पर की जा चुकी है।

मा. उच्च न्यायालय द्वारा टोडाभीम में त्वरित गति (फास्ट ट्रेक) न्यायालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। टोडाभीम में एकमात्र सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना दिनांक 20.3.2001 को अधिसूचना क्रमांक : 1(1)न्याय/2000 द्वारा की गयी है। उक्त न्यायालय ने अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।

(3) जी, हां। राज्य में चालिस त्वरित गति न्यायालयों (फास्ट ट्रेक कोर्ट) की स्थापना अधिसूचना क्रमांक : 1 (1) न्याय/2001 दिनांक 31.3.2001 द्वारा की जा चुकी है।

न्यायालयों की सूची हेतु परिशिष्ट "क" संलग्न है।

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्र.प.1(1)न्याय/2001 जयपुर, दिनांक :31.03.2001

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय, अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा–7 की उपधारा (1) धारा-10 की उपधारा (1) एवं धारा–16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद् द्वारा दिनांक 1.4.2001 से कालम संख्या–2 में उल्लिखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने हेतु कालम संख्या–3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कालम संख्या-4 के अनुसार नियत करती है :—

क्र. सं.	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला न्यायाधीश, अजमेर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), अजमेर	अजमेर
2.	जिला न्यायाधीश, अलवर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), अलवर	अलवर
3.	जिला न्यायाधीश, अलवर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), किशनगढ़वास	किशनगढ़वास
4.	जिला न्यायाधीश, बालोतरा	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), बालोतरा	बालोतरा
5.	जिला न्यायाधीश, बांसवाड़ा	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
6.	जिला न्यायाधीश, बारां	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), बांरा	बारां
7.	जिला न्यायाधीश, भरतपुर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं.-1, भरतपुर	भरतपुर
8.	जिला न्यायाधीश, भरतपुर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), क्र.सं.-2, भरतपुर	भरतपुर
9.	जिला न्यायाधीश, भरतपुर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं.-3, भरतपुर	भरतपुर

1	2	3	4
10.	जिला न्यायाधीश, भीलवाड़ा	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
11.	जिला न्यायाधीश, बीकानेर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), बीकानेर	बीकानेर
12.	जिला न्यायाधीश, बूंदी	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं.-1, बूंदी	बूंदी
13.	जिला न्यायाधीश, बूंदी	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं.-2, बूंदी	बूंदी
14.	जिला न्यायाधीश, चूरू	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), रतनगढ़	रतनगढ़
15.	जिला न्यायाधीश, दौसा	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), बांदीकुई	बांदीकुई
16.	जिला न्यायाधीश, धौलपुर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं.-1, धौलपुर	धौलपुर
17.	जिला न्यायाधीश, धौलपुर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं.-2, धौलपुर	धौलपुर
18.	जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), अनूपगढ़	अनूपगढ़
19.	जिला न्यायाधीश, हनुमानगढ़	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
20.	जिला न्यायाधीश, जयपुर शहर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं.-1, जयपुर शहर	जयपुर शहर
21.	जिला न्यायाधीश, जयपुर शहर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), क्र.सं.-2, जयपुर शहर	जयपुर शहर
22.	जिला न्यायाधीश, जयपुर जिला	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), जयपुर जिला	जयपुर
23.	जिला न्यायाधीश, जालौर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), जालौर	जालौर
24.	जिला न्यायाधीश, झालावाड़	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं.-1, झालावाड़	झालावाड़
25.	जिला न्यायाधीश, झालावाड़	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), क्र.सं.-2, झालावाड़	झालावाड़
26.	जिला न्यायाधीश, झुंझुनूं	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), झुंझुनूं	झुंझुनूं

1	2	3	4
27.	जिला न्यायाधीश, जोधपुर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), जोधपुर	जोधपुर
28.	जिला न्यायाधीश, करौली	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), हिण्डौन	हिण्डौन
29.	जिला न्यायाधीश, कोटा	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं.-1, कोटा	कोटा
30.	जिला न्यायाधीश, कोटा	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं.-2, कोटा	कोटा
31.	जिला न्यायाधीश, मेड़ता,	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), नागौर	नागौर
32.	जिला न्यायाधीश, पाली	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), पाली	पाली
33.	जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ़	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
34.	जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ़	जिला न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
35.	जिला न्यायाधीश, राजसमंद	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), राजसमंद	राजसमंद
36.	जिला न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी
37.	जिला न्यायाधीश, सीकर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), सीकर	सीकर
38.	जिला न्यायाधीश, सिरोही	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), सिरोही	सिरोही
39.	जिला न्यायाधीश, टोंक	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), टोंक	टोंक
40.	जिला न्यायाधीश, उदयपुर	अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), उदयपुर	उदयपुर

नोट— उपरोक्त न्यायालयों को अपर सेशन न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा, 9 (3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।

आज्ञा से
ह०/-
(हरबंस लाल)
शासन सचिव

कृषि उपज मण्डी, खैरथल द्वारा प्रस्तावित सड़कें

290. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक कृषि उपज मण्डी, खैरथल की कुल कितनी आय थी? उक्त आय का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हुई?

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण कराया? उक्त सड़कों का निर्माण कब कराया और उनकी मरम्मत पर कब कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? अब उक्त सड़कों की हालत कैसी है?

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण के कोई प्रस्ताव मण्डी खैरथल ने भेजे हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़क के और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की आय एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण कराई गयी सड़कों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। मरम्मत पर व्यय की गयी राशि एवं सड़कों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या-5 एवं 6 पर अंकित है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत निर्माण की गई सड़कों के संदर्भ में कृषि विभाग की सड़क नीति के अनुसार सड़कों की मरम्मत का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है।

(4) जी, नहीं। मण्डी समिति, खैरथल की काफी देनदारियों के भुगतान का दायित्व तथा मुख्य मण्डी प्रांगण परियोजना से संबंधित चालू निर्माण कार्यों को पूरा कराने के कारण मण्डी समिति के पास नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल की वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक की आय-व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मद	वर्ष			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	Total
1	2	3	4	5	6
आय :					
1.	मण्डी शुल्क से आय	150.77	182.86	233.24	
2.	अन्य मदों से आय	28.49	28.80	61.11	
3.	नाबार्ड से परियोजना ऋण	250.00	106.66	—	
4.	विपणन बोर्ड से परियोजना ऋण	—	150.00	—	
	योग	**429.26**	**468.32**	**294.35**	**1191.93**
व्यय मद :					
1.	सचिव व कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि	37.62	33.96	37.44	
2.	कार्यालय व्यय आवर्तक एवं अनावर्तक	2.64	2.32	2.88	
3.	मण्डी प्रांगण व्यय आवर्तक	12.29	12.73	13.94	

1	2	3	4	5	6
4.	विपणन बोर्ड अंशदान	33.06	50.38	—	
5.	ऋण एवं अग्रिम	3.31	0.29	4.48	
6.	भूमि क्रय	—	0.06	—	
7.	परियोजना ऋण बानसूर की वापसी	—	25.00	—	
8.	नाबार्ड को परियोजना ऋण व ब्याज का भुगतान	—	18.00	90.82	
9.	अमानता एवं अग्रिम भुगतान	12.40	19.95	5.64	
10.	खैरथल मण्डी परियोजना निर्माण पर व्यय	248.66	311.85	62.80	
11.	विशेष मरम्मत की सड़कों पर व्यय	17.87	0.89	—	
12.	विपणन बोर्ड को ऋणात्मक शेष का भुगतान	10.00	13.20	16.00	
13.	सा.नि.वि. को सड़कों की मरम्मत के लिए	42.70	5.00	—	
	योग	**420.55**	**493.63**	**234.00**	**1148.18**

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र बानसूर में विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गयी सड़कों का विवरण

क्र. सं.	नाम सम्पर्क सड़क	निर्माण वर्ष	लम्बाई (कि.मी.)	मरम्मत पर व्यय	सड़कों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
(अ)	**मरम्मत राशि सहित सा. नि. वि. को हस्तान्तरित सड़कें**				
1.	स.स. शाहपुर से मोठूका	1989	3.00	—	वर्मस कटे हुए हैं, सड़क पर पेच है, कारपेट क्षतिग्रस्त है।
2.	स.स. नयाबास से करनावात वाया बास शेखावत	1991	5.3	—	वर्मस कटे हुए हैं, सड़क पर पेच है, कारपेट क्षतिग्रस्त है।
3.	स.स. बावरिया से माजरा वाया ढाकोरा	1992	1.5	0.50	वर्मस कटे हुए हैं, सड़क पर पेच है, कारपेट सही है।
4.	स.स. काकरिया से लोहती	1992	2.0	0.48	वर्मस कटे हुए हैं, सड़क पर पेच है, कारपेट सही है।
5.	स.स. नवलपुरा से बास दयाल	1992	5.6	0.49	वर्मस कटे हुए हैं, सड़क पर पेच है, कारपेट क्षतिग्रस्त है।
6.	स.स. हाजीपुर से चूलाका	1993	1.0	5.69	वर्मस कटे हुए हैं, सड़क पर पेच है। कुछ जगह पर कारपेट क्षतिग्रस्त है।
7.	स.स. नारायणपुर से लेकड़ी	1993	4.0	—	वर्मस कटे हुए हैं, सड़क पर पेच है, कारपेट लगभग 2.0 कि.मी. क्षतिग्रस्त हैं।
8.	स.स. गूता बबेड़ी से माछीमीरापुरा	1993	3.0	—	वर्मस कटे हुए हैं, सड़क पर पेच है, कारपेट क्षतिग्रस्त है।

1	2	3	4	5	6
9.	स.स.अलवर बहरोड रोड़ से किशोरपुरा	1994	3.0	1.97	काजवे क्षतिग्रस्त है।
10.	स.स. फुटा जोहड़ से बास दयाल	1994	5.0	0.50	काजवे क्षतिग्रस्त है।
11.	स.स. लाखा का नांगल इस्काबाद रोड़ से बबेरा	1994	2.0	—	काजवे क्षतिग्रस्त है।
(ब)	**बिना मरम्मत राशि के सा.नि. विभाग को हस्तान्तरित सड़कें**				
12.	स.स. श्यानपुरा कराना से बिलाली	1983	1.5	—	वर्मस कटे हुए हैं, सड़क पर पेच है कारपेट क्षतिग्रस्त है।
13.	स.स. हमीरपुर से जयसिंहपुरा	1992	1.4	0.84	वर्मस कटे हुए हैं, सड़क पर पेच है कारपेट क्षतिग्रस्त है।
14.	स.स. टेहड़की नर्सरी से लाडपुर	1996	3.0	1.98	वर्मस कटे हुए है, सड़क पर पेच है कारपेट क्षतिग्रस्त है।
(स)	**विपणन बोर्ड के मण्डी विकास फण्ड से बनाई गई सड़कें जो विपणन बोर्ड द्वारा ही बनाई गई**				
15.	स.स. बानसूर कोटपूतली रोड़ से आलमपुर	1999	1.55		सड़क सही स्थिति में है।
16.	स.स. बाबरिया से माजरा ढाकोरा	2001	3.9		सड़क सही स्थिति में है।
(द)	**कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत**				
17.	स.स. हमीरपुर से छींद	1998	5.40		सड़क सही स्थिति में है।
18.	स.स. लागू का बास	1998	213		सड़क सही स्थिति में है।

जयपुर विकास प्राधिकरण में सीमेन्ट पाइप खरीद में हुई अनियमितता की जांच

291. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में कोई घटिया सीमेन्ट पाइप क्रय घोटाला पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि करोड़ों रुपये की उक्त अनियमितता में अब तक किसी भी अधिकारी को निलम्बित नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? निलम्बित किये गये अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्राधिकरण ने पूर्व में पाइपों का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने भारतीय मानक ब्यूरो को उक्त सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त घटिया पाइपों को प्राधिकरण ने कहां-कहां काम में लिया ? क्या जमीन के अन्दर डाले गये घटिया पाइपों को सरकार बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसका खर्चा कौन वहन करेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फरवरी, 2001 में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा किये गये गुणवत्ता परीक्षण में कतिपय पाइपों में लोहे की मात्रा निर्धारित मानकों से कम पाई गई जिसके सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गई।

1. इन पाइपों की जयपुर विकास प्राधिकरण में आने वाली सप्लाई रोक दी गई।
2. जो पाइप आ गये थे वे काम में नहीं लिये गये थे उन्हें लौटा दिया गया है।
3. जो पाइप काम में आ चुके हैं उनके बारे में निर्णय विचाराधीन है तथा उनका शेष भुगतान रोक दिया गया है।
4. सम्बन्धित फैक्ट्रियों के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो को लिख दिया गया है।

(2) माल की जांच करके उसकी गुणवत्ता मानकों से कम होना पाया है। उक्त कार्य के लिए दोषी अधिकारियों का चिन्हिकरण किया जा रहा है। बाद में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर चिन्हित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

(3) समय-समय पर परीक्षण किया जाता रहा है।

(4) जी, हां। प्रति सदन के पटल पर रखी जा रही है (परिशिष्ट "अ")

(5) जिस व्यास के पाइप की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई उस व्यास के पाइपों को चालू कार्यों में काम में लिये जा चुके हैं का विवरण एकत्रित किया जा रहा है, जिसके बाद इस बाबत समुचित निर्णय किया जाएगा।

परिशिष्ट "अ"

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

No. JDA/LE/Er./01/D-/68
Director & Head
B.I.S., Jaipur.

Dated : 24.3.2001

Sub :– Regarding Testing of ISI mark RCC hume pipes.

Dear Sir,

Addl. Chief Engineer, JDA along with his quality control wing & Zonal Engineer (PHE) have check RCC hume pipe of different diameter, ISI Mark manufactured by different companies on 24.2.2001 at different works sites. On breaking of pipes it was found that the steel reinforcement in the pipes are very less than as specified in the IS Code. The site wise details where the pipes was checked are as under :

S. No.	Name of site	Pipe procurred by Agencies	Manu-facture Name	Dia. & Class of pipe	Steel as per IS Code	Actual Steel found in kg.	% Less	Re-marks
1.	Jawahar Nagar bye-pass near Roadways Depot.	M/s. Rajasthan Const.	Rishi Sons pipe JPR.	1200 mm NP-4 ISI	147.77	30	80%	Checked at site
2.	Ajmer Road Near Sodala	M/s. Gandhi Const. Co.	Natani pipe JPR	600 mm NP-3 ISI	20.68	11.50	44.39%	Checked at site
3.	Tonk Road Near Gopalpura Flyover	M/s. Surya Const.	S.G.G. pipe Newai	900 mm NP-4 ISI	76.42	35.00	54%	Checked at site
4.	Sewer line work at Mahesh Nagar	M/s. Vinod Kumar Goyal	Spun pipe Mfg. Works Newai	450 mm NP-2	7.565	5.600	26%	Tested at Factory. (Copy enclo sed)

Looking to the above it is very clear that all pipes which are manufactures by different company have very much less steel as compaired to IS Code these pipes were procurred by different agencies from different manufacturers as indicated above. You are requested to kindly, take necessary as this provision in the matter at your level.

Director (Engineering)
Jaipur Development Authority,
Jaipur

देवली (टोंक) में दर्ज मुकदमा नं. 453/2000

292. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना देवली, जिला टोंक में दिनांक 8.11.2000 को श्री रविन्द्रपाल सिंह, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली द्वारा मुकदमा नं. 453/2000 धारा 420, 467, 511, 120 के अन्तर्गत दर्ज कराया गया था? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मुकदमे में फर्जी हस्ताक्षर कर करीब पैंतीस लाख की राशि का मामला सामने आया था, जिसे ट्रेजरी कार्यालय देवली ने यह लिख कर लौटा दिये थे कि चैकों पर हस्ताक्षर मूल हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं जो "प्रधान" द्वारा ट्रेजरी में नमूने के दिये हुए हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में श्री रमेश मीणा मूल रूप से दोषी है और प्रधान भी लिप्त है? क्या उक्त सम्बन्ध में "ट्रेजरी कार्यालय" देवली से भी जानकारी की गई है?

(4) क्या यह भी सही है कि चैक संख्या-724547 से 724597 तक की राशि के पैंतीस लाख के चैक पुलिस थाना देवली ने बरामद कर जब्त कर लिये हैं? यदि हां, तो कब?

(5) क्या यह सही है कि पुलिस थाना देवली टोंक द्वारा अभी उक्त प्रकरण में कुछ भी कार्यवाही नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या उक्त मुकदमें का चालान प्रस्तुत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी?

(7) क्या पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में जानबूझकर देरी की जा रही है? अब कब तक उक्त प्रकरण में दोषियों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली श्री रविन्द्रपाल सिंह द्वारा अभियोग संख्या-453/2000 थाना देवली पर प्रधान पंचायत समिति श्रीमती रामकुरी मीणा व उसके लड़के रमेश के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) जी, हां।

(3) प्रकरण का अनुसंधान जारी है, अनुसंधान पूर्ण होने पर ही बताया जा सकता है कि इसमें कौन दोषी है। इस संबंध में उप कोषाधिकारी, देवली से अनुसंधान किया गया है।

(4) चैक नं. 724541 से 724547 तक 35 लाख रुपये के 7 चैक पुलिस थाना देवली द्वारा दिनांक 9.11.2000 को जब्त किये गये हैं।

(गृह मंत्री)

(5) जी, नहीं। पुलिस थाना देवली द्वारा मुस्तगीस श्री वीरेन्द्रपाल सिंह विकास अधिकारी, श्री कौशल किशोर कैशियर, श्री अम्बालाल उप कोषाधिकारी, देवली से अनुसंधान कर बयान लिये गये हैं। चैक संख्या-724541 से 724547 तक जब्त किये गये हैं।

(6) जी, नहीं। अनुसंधान शीघ्र पूर्ण कर नतीजा दिया जावेगा।

(7) जी, नहीं। परिवादी पक्ष व पंचायत समिति देवली के कर्मचारियों द्वारा सहयोग न करने के कारण ही अनुसंधान में विलम्ब हुआ है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होने पर अंतिम नतीजे के बारे में निर्णय लिया जाना सम्भव है।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गयी)

करौली में रायल्टी ठेका

293. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करौली क्षेत्र की रायल्टी वसूली का ठेका दिया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 में रायल्टी वसूली का ठेका कितने में उठा?

(2) क्या वर्ष 2000-2001 का रायल्टी वसूली का ठेका दिया गया था? यदि हां, तो अन्तिम बोली कितनी थी और नहीं, तो क्या रायल्टी कलेक्शन का कार्य खनिज विभाग द्वारा किया गया? यदि हां, तो उससे कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिये पुनः रायल्टी वसूली का ठेका दिया गया है? यदि हां, तो कितने का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि करौली क्षेत्र में खनिज सैण्ड स्टोन व खण्डा, मेसनरी स्टोन, बजरी, कंकड़ व ग्रेवल की रायल्टी वसूली के ठेके दिये जाते हैं। वर्ष 1999-2000 में संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार 4 ठेके नीलाम किये गये। जिसमें से एक ठेका उठा अर्थात् स्वीकृत किया गया।

(2) जी, हां। वर्ष 2000-2001 की रायल्टी वसूली के ठेके विभिन्न खनिजों के दिये गये सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। अन्तिम बोली की राशि भी परिशिष्ट "ब" पर दर्शायी गई है। इन क्षेत्रों में जब ठेके प्रभावी नहीं थे तब विभागीय नाके लगाकर रायल्टी की वसूली की गई। आय का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। खनिज सैण्ड स्टोन खण्ड करौली (कोटरी जगर को छोड़ कर) का अधिक रायल्टी वसूली का ठेका 25.2.2001 से 31.3.2003 तक के लिये रुपये 1,71,77,777/- वार्षिक पर स्वीकृत किया गया है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि. अभियन्ता, करौली (राज.)
दिनांक 1.4.1999 से 31.3.2000 तक नीलाम किये गये ठेकों का विवरण

क्र. सं.	ठेका क्षेत्र का विवरण	नीलामी तिथि	पद्धति	उच्चतम प्राप्त बोली	खनिज	ठेके का प्रकार	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	करौली खण्ड (कोटरी जगर क्षेत्र व सपोटरा तहसील मेसनरी स्टोन के क्षेत्रों को छोड़ कर)	22.3.2000	नीलामी	1,54,00,000	सैण्ड स्टोन व खण्डा	ERCC	बोली कम प्राप्त होने से निदेशालय द्वारा अस्वीकृत किया गया।
2.	राजस्व सीमा कोटरी जगर क्षेत्र	30.3.2000	नीलामी	No Bid	सैण्ड स्टोन व खण्डा	RCC	कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।
3.	तहसील सपोटरा का मैसेनरी स्टोन का क्षेत्र मांच, अस्तल, पाटोर आदि गांव	30.3.2000	नीलामी	17,61,000	मेसनरी स्टोन	RCC	ठेका 19.5.2000 से प्रारम्भ हुआ। किस्त जमा नहीं कराने से आदेश दिनांक 2.2.2001 द्वारा खण्डित किया गया कब्जा 3.2.2001 को लिया।
4.	तहसील हिण्डौन के समस्त नदी नाले	30.3.2000	नीलामी	30,000	बजरी, कंकड़, ग्रेवल	RCC	कम बोली आने से खनि. अभियन्ता द्वारा अस्वीकृत किया गया।

ह०/-
खनि. अभियन्ता
करौली

राजस्थान सरकार

निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

वर्ष 2000-2001 में प्रभावी रायल्टी के ठेकों का विवरण

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	नाम ठेका क्षेत्र	ठेके के प्रकार	ठेका अवधि	ठेका राशि (अन्तिम बोली)	खनिज
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्व सीमा तहसील सपोटरा जिला – करौली	आर.सी.सी.	6.4.1999 से 31.3.2001 तक	63,250/-	बजरी, कंकड़, ग्रेवल
2.	राजस्व सीमा ताजपुर छावा तहसील गंगापुर	ई.आर.सी.सी.	31.5.1999 से 30.5.2001 तक	78,875/-	मेसनरी स्टोन
3.	राजस्व सीमा तहसील हिण्डौन	आर.सी.सी.	9.4.1999 से 31.3.2001 तक	1,10,000/-	बजरी, कंकड़, ग्रेवल
4.	राजस्व सीमा तहसील करौली चम्बल नदी को छोड़ कर	आर.सी.सी.	3.4.1999 से 31.3.2001 तक	1,37,000/-	बजरी, कंकड़, ग्रेवल
5.	राजस्व सीमा तहसील टोडाभीम	आर.सी.सी.	9.4.1999 से 31.3.2001 तक	1,40,000/-	बजरी, कंकड़, ग्रेवल
6.	सपोटरा क्षेत्र मांच, अस्तल, बगैरह गांव का	आर.सी.सी.	19.5.2000 से 18.5.2002 तक	17,61,000/-	मेसनरी स्टोन, मोरम
7.	खण्ड करौली (कोटरी जगर क्षेत्र को छोड़ कर)	ई.आर.सी.सी.	25.2.2001 से 31.3.2003 तक	1,71,77,777/-	सैण्ड स्टोन खण्डा

ह०/-
अधीक्षण खनि. अभियन्ता (तृतीय)

राजस्थान सरकार

परिशिष्ट "स"

कार्यालय खनिज अभियन्ता करौली (राज.)

विभागीय नाकों से प्राप्त आय का विवरण

क्र.सं.	नाका क्षेत्र का नाम	खनिज	अवधि	आय	विशेष विवरण
1.	करौली खण्ड (कोटरी जगर क्षेत्र को छोड़ कर)	सैण्ड स्टोन व खण्डा	27.3.2000 से 24.2.2001	71,72,020	दिनांक 25.2.2001 से ठेका प्रभावशील है तथा 27.3.2000 से पूर्व भी ठेका था।
2.	कोटरी जगर क्षेत्र	सैण्ड स्टोन व खण्डा	1.7.2000 से 31.3.2001	3,49,703/-	दिनांक 30.6.2000 तक ठेका प्रभाव में था तत्पश्चात् अब तक विभागीय नाकों से वसूली की जा रही है।
3.	सपोटरा तहसील का क्षेत्र	मेसनरी स्टोन	2.2.2001 से 28.2.2001	11,685/-	वर्तमान में विभागीय चैक पोस्ट लगायी हुई है।

ह०/-
खनि. अभियन्ता, करौली

ग्राम पंचायत पारोली पंचायत समिति कोटड़ी की जनता जल योजना

294. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पारोली पंचायत समिति कोटड़ी को जनता जल योजना दी गई है? यदि हां, तो कब किन शर्तों पर?

(2) क्या पंचायत ने उक्त योजना के तहत उपभोक्ताओं से राशि प्राप्त की है? यदि हां, तो कितनी-कितनी किस हिसाब से?

(3) क्या पंचायत ने जनता जल योजना में विभाग द्वारा प्राप्त राशि व उपभोक्ताओं से ली गई राशि उसके संधारण/रख-रखाव हेतु व्यय की है? यदि हां, तो उसके आय और व्यय का क्या हिसाब है?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग द्वारा उक्त जनता जल योजना दिनांक 23.12.95 को ग्राम पंचायत पारोली को संकल्प पत्र की शर्तों के आधार पर सुपुर्द की। संकल्प पत्र में वर्णित शर्तें परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। पंचायत द्वारा फ्लैट रेट की दर से (वर्तमान में रुपये 26/- प्रतिमाह प्रति जल संबंध) उपभोक्ताओं से राशि वसूल की जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा वसूली की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। ग्राम पंचायत द्वारा विभाग एवं उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि में से संधारण हेतु व्यय किया है। पंचायत का आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट "ब" व "स" में दर्शाया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अधिकारियों द्वारा लालबत्ती का दुरुपयोग

295. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मोटर वाहन पर "लालबत्ती" लगाने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियमों की अवहेलना करते हुए प्रदेश में कई अधिकारी और राजनेता वाहनों पर लालबत्ती का दुरुपयोग करते हैं?

(3) क्या सरकार अभियान चला कर उक्त दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि जिला राजसमन्द के अतिरिक्त कलक्टर विकास एवं राजस्व भी अनधिकृत रूप से लालबत्ती का दुरुपयोग करते हैं?

(5) क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 के अन्तर्गत राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। नियम एवं अधिसूचना की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "क" व "ख" पर उपलब्ध है।

(2) वाहनों पर लालबत्ती के अनधिकृत उपयोग की बात सरकार के ध्यान में आने पर ऐसी अनधिकृत लाल लाइटों के तत्काल हटाने बाबत परिवहन अधिकारियों को स्थाई निर्देश जारी किये हुए हैं।

(3) जी, नहीं। इस तरह का अभियान चलाने का कोई विचार नहीं है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा पर्याप्त निर्देश पूर्व में ही जारी किये हुए हैं।

(4) जी, नहीं। अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व) राजसमन्द का कोई पद नहीं है। अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं (विकास) का पद है। अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) राजस्व अनुभाग के प्रभारी अधिकारी हैं, जो जिला कलक्टर, राजसमन्द की सूचना अनुसार लालबत्ती का उपयोग नहीं करते हैं।

(5) इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु पूर्व में ही समुचित निर्देश जारी किये हुए हैं।

परिशिष्ट "क"

108. Use of red or white light : No motor vehicle shall show a red Light to the front or light other than red to the rear :

Provided that the provision of this rule shall not apply to :

(i) the internal lighting of the vehicle; or

(ii) the amber light, if displayed by any direction indicator or top light.

(iii) a vehicle carrying high dignitaries as specified by the Central Government or the State Government from time to time or a vehicle escorting such vehicle.

(iv) the blinker type of red light with purple glass fitted to an ambulance van used for conveying patients; or

(v) to a vehicle having a lamp fitted with an electrical bulb, if the power of the bulb does not exceed 7 watts and the lamp is fitted with a frosted glass or any other material which has the effect of diffusing the light :

(vi) while light used while reversing.

(vii) white lights illuminating the rear number plate :

(viii) plough light provided in agricultural tractors of illuminating the implement's working area on the ground in agricultural field operations.

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक : प.13(11)परि/2000/

जयपुर, दिनांक : 12.4.2001

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना सं. 13 (14) परि/90 दिनांक 22.10.94 में उल्लिखित उच्च पदस्थों की सूची में विद्यमान प्रविष्टि "19-समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक राजस्थान" के पश्चात् एतद् द्वारा निम्नांकित प्रविष्टियां जोड़ी जाती हैं :—

20. समस्त जिला प्रमुख राजस्थान

21. नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा के महापौर।

राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
उप शासन सचिव

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग सचिवालय

क्रमांक : प.13(14)परि/90

जयपुर, दिनांक : 22.10.94

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.7.94 के अतिक्रमण में राज्य सरकार केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 108 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उच्च पदस्थों को ले जाने वाले या उनका अनुरक्षण करने वाले यानों के सामने लालबत्ती के उपयोग को अनुज्ञात करती है :—

1. राज्यपाल, राजस्थान
2. मुख्य मंत्री, राजस्थान
3. मुख्य न्यायमूर्ति, राजस्थान उच्च न्यायालय
4. लोकायुक्त, राजस्थान
5. अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा
6. मंत्रिमण्डलीय सदस्यगण, राजस्थान
7. मुख्य सचेतक
8. माननीय नेता, प्रतिपक्ष
9. न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
10. राज्य मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान सरकार
11. माननीय उपाध्यक्ष
12. माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक
13. मुख्य सचिव, राजस्थान
14. आयुक्त/राज्य निर्वाचन आयोग
15. एडवोकेट जनरल
16. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान
17. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान
18. सम्भागीय आयुक्त/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज
19. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान

सरकार यह आदेश भी करती है कि चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा और रैडक्रास के एम्बुलेंस यान के सामने बैंगनी रंग के कांच से ढकती हुई लालबत्ती का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

सरकार यह आदेश और करती है कि गश्ती ड्यूटी के लिए प्रयुक्त पुलिस और परिवहन विभाग के यान के सामने नीलीबत्ती का उपयोग कर सकते हैं।

ऊपर जैसा आदिष्ट किया गया है उसके सिवाय कोई भी यान, यान के सामने लाल या नीली बत्ती का उपयोग नहीं करेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(गौतम मुखर्जी)
उप शासन सचिव

संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम

296. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले के जमवारामगढ़ अभयारण्य तथा बारां जिले के अटरू तहसील के शेरगढ़ अभयारण्य तथा बारां जिले के सोरसन अभयारण्य में राज्य सरकार द्वारा वैध खनिज पट्टे दिये हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस को कहां-कहां कब-कब किस-किस माप के?

(2) क्या उक्त क्षेत्रों में अभी अवैध खनन भी किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से किस-किस के द्वारा किस माप में अवैध खनन किया जा रहा है? अवैध खननकर्ताओं के नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1992 में सरिस्का अभयारण्य अलवर में खनन के मामले में दायर एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि जो भी इलाका एक बार संरक्षित वन क्षेत्र घोषित हो जाए तो उसमें खनन नहीं हो सकता? यदि हां, तो उक्त संरक्षित वन क्षेत्रों में खनन हेतु पट्टे आबंटित व उनका नवीनीकरण क्यों किया जा रहा है? क्या उक्त पट्टों का आबंटन व नवीनीकरण नियमानुसार उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद भी न्याय संगत है? उक्त संबंध में संरक्षित वन क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 क्या कहते हैं?

(4) क्या उक्त क्षेत्रों में खनन हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति ले ली गई है या राज्य सरकार को ही इसमें अधिकार प्राप्त है? यदि हां, तो ऐसे अधिकारों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले के जमवारामगढ़ अभयारण्य तथा बारां जिले के अटरू तहसील के शेरगढ़ अभयारण्य में राज्य सरकार द्वारा कोई वैद्य खनिज पट्टे नहीं दिये हुए हैं।

बारां जिले में कोई सोरसन अभयारण्य नहीं है बल्कि सोरसन शिकार निषिद्ध क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत ग्राम मऊ जागीर के खसरा नं. 74, 75 एवं 78 में जिला खनिज अभियन्ता, कोटा द्वारा निम्नलिखित अनुसार खनन पट्टे स्वीकृत किये गये थे :—

(राज्य मंत्री, वन)

क्र. सं.	खनन पट्टाधारी का नाम	खनन पट्टा स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	खनन पट्टे का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर	भूमि की किस्म
1.	श्री शिवप्रताप सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी–कोटा	103(99)5552 दिनांक 18.12.99	100 × 100 वर्ग मीटर	74, 75 ग्राम मऊ	सिवाय चक राजस्व भूमि
2.	श्रीमती अनुराधा सिंह पत्नी श्री मधुसूदन सिंह नि. मऊ जागीर, तह. अन्ता	101(99)5529 दिनांक 18.12.99	100 × 100 वर्ग मीटर	74, 75 ग्राम मऊ	सिवाय चक राजस्व भूमि
3.	श्रीमती अनुराधा सिंह पत्नी श्री मधुसूदन सिंह नि. मऊ जागीर, तह. अन्ता	100(99) 5541 दिनांक 18.12.99	100 × 100 वर्ग मीटर	74, 75 ग्राम मऊ	सिवाय चक राजस्व भूमि
4.	प्रधुमन्यु सिंह पुत्र मूल सिंह नि.–कोटा	99 (99) 5535 दिनांक 18.12.99	100 × 100 वर्ग मीटर	75, 78 ग्राम मऊ	सिवाय चक राजस्व भूमि
5.	प्रधुमन्यु सिंह पुत्र मूल सिंह नि.–कोटा	98(99)5547 दिनांक 18.12.99	100 × 100 वर्ग मीटर	75, 78	सिवाय चक राजस्व भूमि

(2) जी, नहीं। बारां जिले की तहसील अन्ता में सोरसन निषिद्ध क्षेत्र में मऊ राजस्व गांव की सिवायचक भूमि के खसरा नम्बर 74, 75 में दो खनन पट्टों पर श्रीमती अनुराधा सिंह पत्नी श्री मधुसूदन सिंह, निवासी मऊ जागीर, तहसील अन्ता द्वारा मुन्सिफ न्यायालय, अन्ता से स्थगन आदेश प्राप्त कर चिनाई पत्थर का खनन कार्य जारी कर रखा है तथा उक्त पट्टाधारी द्वारा 100 × 100 वर्ग मीटर साइज के दो खनन पट्टों में चिनाई पत्थर (मेसनरी स्टोन) का खनन किया जा रहा है। खनन क्षेत्र में खनन पट्टों की मीनारे हटाकर खनन कार्य करने के कारण दिनांक 24.11.2000 द्वारा जिला कलक्टर बारां एवं खनिज अभियन्ता, कोटा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। शेरगढ़ अभयारण्य में मौका पाकर कभी-कभी आस-पास के गांव वाले चिनाई पत्थर और फर्शी पत्थर अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु छोटे-छोटे खड्डे खोदकर निकालते हैं जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा लगातार प्रयास कर

(राज्य मंत्री, वन)

मुकदमे दर्ज किये जाते रहे हैं। वर्ष 2000-2001 में अब तक शेरगढ़ अभयारण्य में अवैध खनन के 49 वन अपराध मुकदमे दर्ज कर खननकर्ताओं से 1,19,503/- रु. की राशि अर्थदण्ड के रूप में वसूली गई है। अवैध खननकर्ताओं के नाम व पतों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं। वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय में खनन के संबंध में एक जनहित याचिका संख्या 500/91 दायर हुई थी जिसमें माननीय न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि सरिस्का अभयारण्य में संरक्षित वन क्षेत्रों में खनन अथवा गैर वानिकी कार्य नहीं किया जा सकता है।

सरिस्का अभयारण्य के संरक्षित वन क्षेत्र में खनन हेतु कोई पट्टे नहीं दिये गये हैं और न ही ऐसे किसी पट्टे का नवीनीकरण किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा लागू वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार किसी भी संरक्षित वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य बिना केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के किया जाना वर्जित है।

(4) जब उक्त वन क्षेत्रों में खनन की कोई स्वीकृति ही नहीं दी गयी है तो केन्द्र सरकार से अनुमति लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है व राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से पूर्वानुमति के बिना खनन हेतु स्वीकृति देने का कोई अधिकार नहीं है।

बारां जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में वर्ष 2000-2001 में अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों जिनके विरुद्ध वन अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं उनके नाम एवं पते

क्र.सं.	नाम	पता
1	2	3
1.	श्री दीनदयाल	साकिन ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
2.	श्री महावीर	साकिन ग्राम नयागांव, तहसील खाड़ीपुर, जिला झालावाड़
3.	श्री इश्हाक मोहम्मद	साकिन ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
4.	श्री लतीफ भाई	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
5.	श्री मुमताज मोहम्मद	साकिन ग्राम खानपुर, तहसील खानुपर, जिला झालावाड़
6.	श्री दयाराम	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
7.	श्री शेखर एवं श्री प्रभु	साकिन ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

1	2	3
8.	श्री घासीलाल एवं बृजराज सिंह	साकिन ग्राम नयागांव, तहसील खाड़ीपुर, जिला झालावाड़
9.	श्री महमूद	साकिन ग्राम अमरपुरा, तहसील दिगोद, जिला कोटा
10.	श्री रमेश चन्द्र नागर	साकिन ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
11.	श्री जगदीश	साकिन ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
12.	श्री प्रहलाद	साकिन ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
13.	श्री दयाराम	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
14.	श्री जुल्फकार	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
15.	श्री समद	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
16.	श्री साबिर हुसैन	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
17.	श्री रतन लाल	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
18.	श्री अब्दुल कय्यूम	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
19.	श्री सुरेन्द्र	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
20.	श्री इश्हाक	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
21.	श्री समसू	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
22.	श्री राममुरारी	साकिन ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
23.	श्री छीतर भाई	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
24.	श्री भंवर लाल, रामस्वरूप, भैरूलाल, गोपाल, महावीर	साकिन ग्राम किशनपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
25.	श्री निजामुद्दीन, मुन्ना भाई	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
26.	श्री मोइनुद्दीन	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
27.	श्री जमील अहमद	साकिन ग्राम वडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
28.	श्री अब्दुल रसीद	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
29.	श्री मुन्ना खां	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
30.	श्री अब्दुल सत्तार	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां

1	2	3
31.	श्री दीनदयाल	साकिन ग्राम भौरां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
32.	श्री मुकेश	साकिन ग्राम भौरां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
33.	श्री अब्दुल हमीद	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
34.	श्री मो. पूनम	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
35.	श्री घासीलाल	साकिन ग्राम अमलावदा, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां
36.	श्री राधेश्याम	साकिन ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
37.	श्री कालू सिंह	साकिन ग्राम नयागांव, तहसील खाड़ीपुर, जिला झालावाड़
38.	श्री तेजमल	साकिन ग्राम कंवल्दा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
39.	श्री घासी लाल	साकिन ग्राम अमलावदा, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां
40.	श्री फखरूद्दीन	साकिन ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
41.	श्री शंभूदयाल	साकिन ग्राम लुकट, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
42.	श्री जमील अजमद	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
43.	श्री रामकरण	साकिन ग्राम नयागांव, तहसील खाड़ीपुर, जिला झालावाड़
44.	श्री भूरे खां उर्फ अब्दुल हनीफ	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
45.	श्री कल्याण सिंह	साकिन ग्राम सूरपा, तहसील अटरू, जिला बारां
46.	श्री सीताराम गुर्जर	साकिन ग्राम खेडली, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां
47.	श्री अब्दुल लतीफ एवं श्री छोटू	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
48.	श्री राजू	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां
49.	श्री अशफाक मोहम्मद एवं अन्य	साकिन ग्राम बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां

सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, जालौर द्वारा ऋण/अनुदान में अनियमितताएं

297. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1994-95 से 1996-97 में जालौर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. जालौर ने अनुदान पर फव्वारा ऋण वितरण किया? क्या इसके लिये राज्य सरकार द्वारा अनुदान ऋण वितरण के लक्ष्य वर्षवार तय थे और कोई नियम व निर्देश जारी किये थे? यदि हां, तो वर्षवार लक्ष्य व उनके विरुद्ध वितरित ऋण व अनुदान कितना-कितना रहा तथा अनुदान लक्ष्यों से कितना ऋण वितरण अधिक क्यों किया गया?

(2) क्या यह सही है कि अनुदान से अधिक ऋण वितरण की मनाही थी व परिपत्र द्वारा उसकी प्रक्रिया निश्चित थी फिर भी उक्त बैंक ने उक्त वर्षों में निजी हित में आदेशों की अनदेखी कर ऋण वितरण किया? क्या इसके लिये बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रक्रिया की अवहेलना के लिये तात्कालिक कृषि अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई व निलम्बन आदि भी किया गया जबकि बैंक के मुख्य अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध उक्त बाबत शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है?

(4) क्या यह सही है कि लक्ष्यों से अधिक फव्वारा ऋण वितरण के कारण किसानों को अब तक अनुदान का लाभ नहीं मिला जिससे वसूली में भी परेशानी हो रही है? उक्त कितने काश्तकार अनुदान से वंचित रहे? क्या सरकार उक्त समस्या को उत्पन्न करने वाले बैंक के मुख्य कार्यकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्षों में प्रचलित पुरानी अनुदान योजना के अन्तर्गत अन्य बैंकों की भांति उक्त बैंक में भी गलत ऋण वितरण कर किसानों के साथ अन्याय हुआ है? यदि हां, तो किस प्रकार की व क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त वर्षों के फव्वारा ऋण वितरण की गहन जांच कराने व लक्ष्यों से अधिक ऋण वितरण से प्रभावित किसानों को अनुदान से लाभान्वित करने का विचार रखती है? क्या सरकार काश्तकारों को हुए ब्याज की क्षतिपूर्ति का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(7) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में जिम्मेवार मुख्य कार्यकारी को प्रोत्साहित किया गया है जबकि इसी तरह की अनियमितताओं वाले अन्य सी.सी. बैंक व भूमि विकास बैंक में पदस्थापित अधिकारियों के विरुद्ध निलम्बन व आरोप-पत्र की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं? क्या सरकार अब उक्त बैंक के मुख्य कार्यकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिये वर्ष 1994-95 से 1995-96 तक फव्वारा ऋण वितरण व

(सहकारिता मंत्री)

अनुदान के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 में बैंक को फव्वारा सैट हेतु 620 कृषकों को अनुदान वितरण के लक्ष्य तय किये थे, उसी अनुपात में ऋण वितरण भी किया जाना था तथा कृषि विभाग द्वारा फव्वारा ऋण व अनुदान वितरण के नियम व निर्देश जारी किये थे। बैंक द्वारा फव्वारा सैट व ऋण व अनुदान वितरण के वर्षवार लक्ष्य उनके विरुद्ध वितरण ऋण व अनुदान का विवरण तथा कारण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 व 1995-96 में फव्वारा सैट अनुदान हेतु अनुदान के लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। परन्तु 1996-97 में फव्वारा सैट अनुदान हेतु कृषि विभाग के प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश दिनांक 15.10.96 बैंक को दिनांक 15.11.96 को प्राप्त हुए हैं। कृषि विभाग द्वारा बैंक को 1996-97 के लक्ष्य दिनांक 24.12.96 आबंटित किये गये हैं। इन लक्ष्यों के आबंटन से पूर्व 1324 किसानों को बैंक द्वारा फव्वारा सैट ऋण वितरण किया जा चुका था। उक्त लक्ष्य आबंटन के पश्चात् कृषि विभाग द्वारा प्रेषित अस्थाई पंजीकृत 217 पत्रावलियों में उक्त वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा फव्वारा ऋण वितरण अनुदान विवरण किया गया है।

(3) जी, हां। रजिस्ट्रेशन के दौरान उप-खण्ड भीनमाल के सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) के विरुद्ध जिला कलक्टर, जालौर ने शिकायतों के कारण निलम्बित किया था। फव्वारा ऋण वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर से जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।

(4) जी, नहीं। वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक 89 किसानों को कृषि विभाग के अनुसार पत्रावलियां अपूर्ण होने के कारण विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार अनुदान का लाभ देने योग्य नहीं होने के कारण किसानों को अनुदान का लाभ नहीं मिला। बिन्दु स्पष्ट नहीं है।

(5) उक्त वर्षों में फव्वारा ऋण वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच विभाग द्वारा संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर से कराई गई है। जांच रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।

(6) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालौर द्वारा वितरित फव्वारा ऋण से संबंधित अनुदान से वंचित रहे 1510 किसानों को कृषि विभाग से अनुदान प्राप्त कर वितरित किया जा चुका है। शेष 89 कृषकों के मामले में कृषि विभाग के अनुसार पत्रावलियां अपूर्ण होने के कारण विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान स्वीकृति योग्य नहीं होनें से अनुदान देना सम्भव नहीं हो पाया।

(7) जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी को बैंक की अच्छी वसूली कार्य के लिये प्रोत्साहित किया गया था, जबकि अन्य सी.सी.बी. व भूमि विकास बैंक में पदस्थापित अधिकारियों को ऋण वितरण व अन्य मामलों में अनियमितताओं के कारण निलम्बन व आरोप पत्र की कार्यवाही की गई। जांच में दोषी पाये जाने की स्थिति में कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "1"

जालौर में केन्द्रीय सहकारी बैंक को फव्वारा ऋण व अनुदान के वर्षवार लक्ष्य व उनके विरुद्ध वितरित ऋण व अनुदान तथा अनुदान लक्ष्य से अधिक ऋण वितरण का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	अनुदान के लक्ष्य		बैंक द्वारा किया ऋण वितरण		वास्तविक अनुदान का वितरण		लक्ष्य से अधिक ऋण वितरण		लक्ष्यों से अधिक ऋण वितरण के कारण
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1.	1994-95	—	—	561	137.41	3	0.15	—	—	वर्ष 1994-95 में लक्ष्य निर्धारित नहीं थे।
2.	1995-96	—	—	973	283.62	855	62.98	—	—	वर्ष 1995-96 में लक्ष्य निर्धारित नहीं थे।
3.	1996-97	620	—	1541	443.01	618	69.17	921	—	चूंकि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 के लक्ष्य दिनांक 24.12.96 को आबंटित किये हैं तथा उससे पूर्व ही बैंक द्वारा 1324 किसानों को ऋण वितरण किया जा चुका था तथा उसके पश्चात् 217 आवेदन पत्रों का पंजीकरण कृषि विभाग द्वारा कर दिये जाने के कारण ऋण वितरण किया गया।

चन्द्र एवं सूर्या कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा निर्मित सड़कें

298. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में राज्य की कौन-कौनसी सड़कों के निर्माण कार्य की निविदा चन्द्र एवं सूर्या कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में खोली गई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण कार्य डामरीकरण सहित उक्त कम्पनी द्वारा करवाया गया? उक्त कम्पनी के विरुद्ध घटिया निर्माण की शिकायतें कौन-कौनसी सड़कों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कम्पनी ने गत तीन वर्षों में कितना-कितना डामर कौन-कौनसी सड़क के निर्माण के काम में लिया? उक्त कम्पनी को स्वीकृत डामर की सी.आर.सी. की प्रति एवं फील्ड आफिसर द्वारा सत्यापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों (1.4.1998 से 31.3.2001 तक) राज्य की जिन सड़कों की निविदाएं मै. चन्द्र एवं सूर्य कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत हुई है, उनका वर्षवार विवरण (परिशिष्ट-क) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध सूची में से भरतपुर जिले की दो सम्पर्क सड़कें सह से बावेन एवं सिनसिनी से सेती के निर्माण कार्य के अनुबंध को अपखंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त शेष बची सड़कों पर डामरीकरण सहित कार्य करवाया गया है/करवाया जा रहा है। उक्त कम्पनी के जिन निर्माण कार्यों की शिकायत प्राप्त हुई है तथा उन पर जो कार्यवाही की गई है, उसका विवरण (परिशिष्ट-ख) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में निर्मित की गई/की जा रही सड़कों में उपयोग किए गए डामर की मात्रा सड़कवार संलग्न परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 5 पर उपलब्ध है। अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को आबंटित कार्यों में डामरीकरण के कार्य में डामर की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाकर उपयोग में लेने का प्रावधान है। बोर्ड द्वारा भरतपुर जिले की वर्ष 1998-99 में स्वीकृत सम्पर्क सड़क कुम्हेर रोड से बावेन जो कि मण्डी कोष द्वारा निर्मित है, में 52.37 मीट्रिक टन विभागीय डामर की आपूर्ति की गई है। यह विभागीय डामर खण्डीय कार्यालय के इश्यूनोट द्वारा जारी की गई है। इश्यूनोट की प्रति (परिशिष्ट "ग") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मानसरोवर योजना में कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट को आबंटित भूमि का निरस्तीकरण

299. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवासन मण्डल को विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को भूमि आबंटित किये जाने हेतु नियम आदि निर्धारित करने हेतु निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या आवासन मण्डल उसके अनुरूप ही अब तक भूमि आबंटित कर रहा है? यदि हां, तो उक्त तीन वर्षों में किस-किस संस्था को कितनी-कितनी भूमि किस दर से मानसरोवर योजना में आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मानसरोवर योजना में कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट को इंजीनियरिंग कालेज हेतु भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी और किस दर से? क्या उक्त ट्रस्ट द्वारा आबंटित भूमि पर कालेज ही बना कर चलाया जा रहा है? यदि हां, तो किस नाम से? क्या भूमि का उपयोग संस्था द्वारा अन्य उपयोग में किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या नियमों में आबंट निरस्त करने का प्रावधान है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जिन्होंने आबंटित कराई हुई भूमि में निर्धारित उद्देश्यों से अलग उपयोग में ले रखी है?

(3) क्या यह सही है कि कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट को आबंटित भूमि का कब्जा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही दिया गया है? यदि हां, तो क्या बिना राशि जमा किये ही उक्त भू-खण्ड का कब्जा दिया गया? क्या यह भी सही है कि कब्जा राशि का चैक अनादरित होकर मण्डल को प्राप्त हुआ और मण्डल उसका भौतिक कब्जा सम्भला चुका था? यदि हां, तो वह कब्जा किसके द्वारा बिना राशि जमा हुए ही दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अनादरित चैक के लिए पुलिस थाने में मुकदमा चलाया जाता है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में यह कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या मण्डल अब उक्त कार्यवाही करने जा रहा है? इसके लिए दोषी कौन है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या उक्त ट्रस्ट ने आबंटित भूमि पर ही निर्माण कार्य करा रखा है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर? यदि नहीं, तो क्या अवैध निर्माण को तुरन्त ध्वस्त करते हुए इसके आबंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 937/93 न्यू ब्राइट वेज स्कूल समिति बनाम राजस्थान आवासन मण्डल पर दिनांक 22.4.97 को पारित आदेशों में संस्थाओं आदि को भूमि आबंटन हेतु नियमों के निर्धारण का आदेश दिया था। चूंकि

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

मण्डल में सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 लागू है अतः इस आदेश की अपील माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में दायर कर दी गई थी जो अभी लम्बित है। मण्डल की मानसरोवर योजना में विगत तीन वर्षों में जिन संस्थाओं को भूमि आबंटित की गई है उन संस्थाओं की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त सूची में संस्थाओं को आबंटित की गई भूमि के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में भी विवरण अंकित है।

(2) जी, नहीं। कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट को मानसरोवर योजना में इंजीनियरिंग कालेज हेतु भूमि आबंटित नहीं की गई है। कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट को मानसरोवर योजना में प्रथम चरण में 43728.49 वर्ग मीटर भूमि रुपये 545/- प्रति वर्ग मीटर की दर से एवं द्वितीय चरण में 3636.60 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि रुपये 770/- प्रति वर्ग मीटर की दर से स्कूल व कालेज हेतु आबंटित की गई है। कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट को उक्त भूमि जिस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई है, ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि का उसी प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अतः भूमि के आबंटन को निरस्त करना एवं अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मानसरोवर योजना में विगत तीन वर्षों में जिन संस्थाओं को अभी तक भूमि आबंटित की गई है उनमें से एक भी प्रकरण जानकारी में नहीं आया है जिसमें कि संस्था ने भूमि को आबंटित उद्देश्य से अलग उपयोग में लिया हो।

(3) जी, हां। कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट को मानसरोवर योजना में आबंटित की गई भूमि का कब्जा मण्डल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही दिया गया है। यह सही नहीं है कि उक्त ट्रस्ट को आबंटित उक्त भूमि का कब्जा बिना राशि जमा करवाये ही दिया गया है। ट्रस्ट ने मण्डल द्वारा प्रथम चरण में आबंटित भूमि के आबंटन पत्र द्वारा वांछित राशि कुछ विलम्ब अवधि से ज़मा करवाई थी जिसके अनुसार विलम्ब अवधि की देय ब्याज राशि का चैक ट्रस्ट द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त करते समय प्रस्तुत किया गया था जो कि अनादरित हो गया था। उक्त चैक की राशि ट्रस्ट द्वारा बाद में अलग से मण्डल खाते में जमा करवा दी गई थी। ट्रस्ट को आबंटित भूमि का कब्ज़ा सम्बन्धित खण्ड कार्यालय द्वारा दिया गया है परन्तु यह सही नहीं है कि ट्रस्ट को भूमि का कब्जा, बिना राशि जमा करवाये हुए ही दिया गया हो।

(4) जी, नहीं। कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कब्जा प्राप्त करते समय प्रस्तुत विलम्ब अवधि के ब्याज का चैक अनादरित होने के कारण मण्डल द्वारा ट्रस्ट को नोटिस प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में ट्रस्ट ने अनादरित हुए चैक की राशि मण्डल खाते में अलग से जमा करवा दी है। अतः अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(5) कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट ने मण्डल द्वारा आबंटित की गई भूमि पर ही चारदीवारी का निर्माण करवाया है तथा उक्त भूमि की सीमा के अन्दर ही करीब 30 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

सम्पत्ति आवंटन समिति द्वारा वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में मानसरोवर योजना में विभिन्न संस्थाओं को आवंटित भूमि का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	सम्पत्ति आवंटन समिति बैठक की दिनांक	बिन्दू संख्या	आवंटित भूमि (वर्ग मी.)	सैक्टर	प्रयोजनार्थ	टिप्पणी	रु. प्रति वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अमर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट	30.10.99	2	700.00	3	अस्पताल निर्माण हेतु	अतिरिक्त भूमि	
2.	पोद्दार संस्थान	30.10.99	4	2000.00	7	अन्तरराष्ट्रीय व्यापार प्रबन्धक की शिक्षण संस्था हेतु		700.00
3.	स्टेनी मेमोरियल कालेज	16.12.99	4	2250.00	11	नर्सरी/प्राथमिक स्कूल हेतु		700.00
4.	अखिल भारतीय एस.बी.आई. अधिकारी एजूकेशनल सोसायटी	16.12.99	3	5390.00	2	विद्यालय निर्माण हेतु		700.00
5.	कुन्दन मल मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी	14.2.2000	1	14023.00	3	स्कूल निर्माण हेतु		
6.	उपचार मेडिकेयर सोसायटी	14.2.2000	2	3000.00	11	अस्पताल निर्माण हेतु		700.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	प्रान्तीय वैष्णव ब्राह्मण समाज राजस्थान	14.2.2000	4	1460.00	7	सामुदायिक केन्द्र हेतु		(50%) 350.00
8.	साकेत अस्पताल	14.2.2000	5	1207.90	10	अस्पताल निर्माण हेतु		700.00
9.	अरविन्द भारती विद्या समिति	26.2.2000	9	24277.00	7	कालेज निर्माण हेतु		545.00
10.	कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट	26.2.2000	10	43728.49	5	स्कूल.व कालेज हेतु (शिप्रा पथ)		
10.	टैगोर विद्या भवन सोसायटी	28.3.2000	—	3895.00	7	प्राथमिक विद्यालय (बालिका)		700.00
11.	श्री कुन्दन लाल मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी	14.6.2000	3	5960.00	3	स्कूल निर्माण हेतु	अतिरिक्त भूमि	
12.	कपिल स्मारक समिति	14.6.2000	2 (विशेष बिन्दु)	7300.00	1	स्कूल निर्माण हेतु		700.00
13.	कश्मीरी पंडित वेलफेयर सोसायटी	3.8.2000	14	2290.00	7	सामुदायिक केन्द्र हेतु		700.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	सैन्ट एन्सलम स्कूल	3.8.2000	15	4357.00	6	स्कूल निर्माण हेतु		700.00
15.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	3.8.2000	17	1200.00	6	कारगिल युद्ध में शहीद की विधवा को पैट्रोल पम्प हेतु		2800.00
16.	अल्फा बीटा एजूकेशनल सोसायटी	3.8.2000	20	10736.00	7	विद्यालय निर्माण हेतु		700.00
17.	मुस्लिम समुदाय	5.9.2000	3	3848.00	1	कब्रिस्तान हेतु (शिप्रा पथ)		
18.	सैन्ट लारेन्स एजूकेशनल सोसायटी	5.9.2000	10	10812.00	5	स्कूल निर्माण हेतु		770.00
19.	टैगोर विद्या भवन सोसायटी	5.9.2000	19.1	3265.60	7	स्कूल निर्माण हेतु	अतिरिक्त भूमि	700.00
20.	साकेत अस्तपाल	18.10.2000	3	1207.98	10	अस्पताल निर्माण हेतु	अतिरिक्त भूमि	770.00
21.	कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट	18.10.2000	4	3636.60	5	स्कूल व कालेज निर्माण (शिप्रा पथ)	अतिरिक्त भूमि	770.00
22.	स्प्रिंग फील्ड एजूकेशनल सोसायटी	18.10.2000	5	2205.00	3	स्कूल हेतु		770.00
23.	आई.जी.एम. पब्लिक स्कूल	18.10.2000	8	948.00	9	स्कूल हेतु	अतिरिक्त भूमि	770.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	कृष्णा योगाश्रम ट्रस्ट	18.10.2000	9	3026.41	8	स्कूल हेतु	अतिरिक्त भूमि	700.00
25.	सैन्ट्रल एकेडमी एजूकेशनल सोसायटी	18.10.2000	10	2574.00	1	स्कूल हेतु		
26.	राजेन्द्र चैरिटेबल ट्रस्ट	18.10.2000	25	2000.00	3	एस.एफ.एस. अस्पताल हेतु		770.00
27.	कपिल स्मारक समिति	18.10.2000	28	868.00	1	स्कूल हेतु		770.00
28.	महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय संस्थान	27.1.2001	4	6350.00	5	कृषि शोध संस्थान/ सामुदायिक केन्द्र हेतु	आबंटन पत्र जारी नहीं	
29.	जनता शिक्षा समिति	27.1.2001	8	7400.00	11	महिला महाविद्यालय निर्माण हेतु		770.00
30.	माया कुंवर बालिका महिला विकास समिति	5.3.2001	4	11106.00	7	हैल्थ सेन्टर हेतु		770.00
31.	सरस्वती बाल मन्दिर	1998-99	—	7650.00	10	स्कूल निर्माण हेतु	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	341-00

भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय, जैसलमेर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

300. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जैसलमेर में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय खोला गया है? यदि हां, तो उसमें कितना स्टाफ है तथा वार्षिक वेतन पर कितना व्यय हो रहा है।

(2) क्या उक्त विभाग के पास न तो टेलीफोन है न ही कोई आवागमन के साधन हैं?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर कार्यालय से जो फाइलें जांच हेतु इनके पास आयी हैं साधनों के अभाव में उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है?

(4) क्या सरकार उक्त कार्यालय को सक्षम करने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी जैसलमेर पर वर्तमान में निम्न स्टाफ कार्यरत है :—

उप अधीक्षक पुलिस	1
मुख्य आरक्षक	1
आरक्षक	3
कनिष्ठ लिपिक	1

वार्षिक व्यय रु. 7.00 लाख (सात लाख) होंगे।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

(4) वित्तीय संसाधनों की कमी से सम्भव नहीं हो रहा है।

जिला झुंझुनूं व सीकर के राजस्व ग्रामों में बजरी अधिशुल्क ठेके की बकाया राशि की वसूली

301. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं एवं सीकर के राजस्व ग्राम मावता, जाहज, मणकसास, हरिपुरा आदि क्षेत्र की बजरी अधिशुल्क का ठेका वर्ष 1999-2001 का श्री बाबूलाल गुप्ता को दिया गया था? क्या उक्त ठेकेदार में 45,96,258.00 रुपये बकाया है?

(2) क्या उक्त ठेकेदार की नीमकाथाना में कोई जायदाद होना नहीं पाया तथा हैसियत प्रमाण-पत्र मिलीभगत से गलत दिया गया? क्या उक्त पर जमानतदारों की भी जायदाद कुड़क की गई है और कुड़कशुदा जायदाद को नीलाम करने के आदेश जारी किये गये और नीलामी की तारीख तय कर दी गई?

(3) क्या यह सही है कि नीलामी को स्टे कर दिया गया? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा स्टे आदेश दिया गया? स्टे आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल मोदी)

(4) क्या यह भी सही है कि स्टे आदेश ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिये दिया गया है? यदि हां, तो क्या इसके विरुद्ध जांच की जावेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला झुंझुनूं एवं सीकर के राजस्व ग्राम-मावता, जहाज, मणकवास, हरिपुरा आदि क्षेत्र की बजरी अधिशुल्क का ठेका वर्ष 1999-2001 का श्री बाबूलाल गुप्ता को दिया गया था, परन्तु यह ठेका बकाया के दोष पर दिनांक 6.4.2000 को खण्डित किया गया था। ठेकेदार में 45, 96, 644 रुपये बकाया है।

(2) जी, हां। ठेकेदार की नीमकाथाना में कोई जायदाद होना नहीं पाया गया था हैसियत प्रमाण-पत्र गलत पाया गया। बकाया राशि वसूली हेतु जमानतदाता श्री हजारी सिंह की नीमकाथाना एवं गांवड़ी स्थित सम्पत्ति को कुर्क किया जाकर नीलामी दिनांक 10.1.2001 को व नीमकाथाना स्थित सम्पत्ति की नीलामी दिनांक 23.5.2001 को निश्चित की गई है। दूसरे जमानतदार श्री ग्यारसी लाल की ग्राम चला स्थित सम्पत्ति को कुर्क की गई जिसकी नीलामी दिनांक 17.1.2001 एवं 28.3.2001 को निश्चित की गई जिसमें कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

(3) जमानतदार श्री हजारी सिंह की अधिकतर सम्पत्ति आबकारी अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा उसके पक्ष में स्वीकृत ठेका मदिरा समूह पिलानी, सूरजगढ़ के अन्तर्गत रहन रखी हुई थी एवं तत्सम्बन्धी प्रत्यावेदन श्री हजारी सिंह द्वारा शासन को प्रस्तुत करने पर तदनुसार अधीक्षण, खनिज अभियन्ता, जयपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 3.1.2001 (परिशिष्ट-1) से दिनांक 10.1.2001 को नीलामी को स्थगित किया गया।

(4) जी नहीं, भाग-3 के उत्तर के अनुसार किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनिज अभियन्ता, जयपुर वृत्त, जयपुर

क्रमांक : अखअ/जय/सीकर/— दिनांक 3 जनवरी, 2001

प्रेषित :—

खनि. अभियन्ता,
सीकर।

विषय :— खनिज अभियन्ता, सीकर द्वारा की जा रही नीलामी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि प्रार्थी हजारी सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजूपत निवासी गांवड़ी की सम्पत्ति, कृषि भूमि एवं रिहायशी मकान बाबत आप द्वारा जो नीलामी की कार्यवाही दिनांक 10.1.2001 को रखी गयी है, उसके सम्बन्ध में प्रार्थी का मूल प्रत्यावेदन इस पत्र के साथ आपको भेजकर लेख है कि शासन सचिव., खनि. विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार आपको लिखा जाता है कि उक्त प्रत्यावेदन की जांच विधि विभाग से भी करवायी जा रही है। अतः दिनांक 10 जनवरी, 2001 को की जा रही नीलामी को अग्रिम सूचना तक स्थगित रखा जावे।

संलग्न : उक्तानुसार।

भवदीय,
ह0/-
अधीक्षण खनिज अभियन्ता,
जयपुर वृत्त, जयपुर

विधान सभा क्षेत्र रायपुर (पाली) के ग्रामों की पेयजल योजनाएं

302. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 से पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के राजस्व गांव बिराटिया कलां एवं रामगढ़ सेडोतान की पेयजल योजनाएं स्वीकृत होने के उपरान्त उक्त पर लाखों रुपयों की राशि व्यय करने के बावजूद भी उक्त योजनाओं से ग्रामवासियों को अब तक पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1999-2001 में शीघ्र उक्त दोनों योजनाओं से जनता को शीघ्र पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार ने कार्यवाही करना बताया था? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। तहसील रायपुर के ग्राम बिराटिया कलां हेतु एक पुनर्गठित क्षेत्रीय जलयोजना बिराटिया कलां-बिराटिया खुर्द की स्वीकृति माह जनवरी, 1990 में हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम बर में एक नलकूप बनाया गया था तथा बिराटिया कलां से बर की ओर आंशिक पाइप लाइन (लगभग 2820 मीटर) भी बिछाई गई परन्तु बर के स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा विरोध के कारण शेष पाइप लाइन नहीं बिछाई जा सकने के कारण बिराटिया कलां को इस योजना से पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। वर्तमान में ग्राम बिराटिया कलां में 4 हैण्ड पम्प स्थापित हैं जो चालू हैं एवं 4 स्थानीय पारम्परिक बेरियों से भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

तहसील रायपुर के ग्राम रामगढ़ सेडेतान हेतु एक पुनर्गठित क्षेत्रीय जलयोजना मानपुरा - कुराटिया - रामगढ़ सेडेतान की स्वीकृति माह जनवरी, 1990 में हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम रामगढ़ सेडेतान में एक खुले कुएं का निर्माण करवाया गया। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भू-तल जलाशय को स्थानीय ग्रामवासियों के विरोध के कारण नहीं बनाया जा सका। अतः कुएं के पास सार्वजनिक नल लगाकर चालू किया गया। ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जाकर सार्वजनिक नल को भी तोड़ दिया गया। लगातार अकाल पड़ने के कारण अब कुएं में पानी सूख गया है तथा नीचे कठोर चट्टान आने के कारण कुआं गहरा कराना सम्भव नहीं है। वर्तमान में इस ग्राम में 10 हैण्डपम्प स्थापित हैं जो चालू हैं। इस योजना के अन्य दो ग्रामों क्रमशः मानपुरा एवं कुराटिया को सेन्दड़ा पाइप लाइन से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। चूंकि उपरोक्तानुसार वर्णित दोनों योजनाएं ग्रामवासियों के विरोध के कारण पूर्णतया क्रियान्वित नहीं की जा सकी। अतः कोई विभागीय अधिकारी दोषी नहीं है।

(2) जी, हां। ग्राम बिराटिया कलां हेतु ग्राम दागला तहसील जैतारण में स्रोत के रूप में खुला कुआं लिया जाकर एक योजना बनाई गई है, जो वर्तमान में तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। ग्राम रामगढ़ सेडेतान हेतु पर्याप्त क्षमता के स्रोत निर्धारण हेतु भू-जल-वैज्ञानिक की राय ली जा रही है। सफल स्रोत की उपलब्धता के उपरान्त योजना तैयार किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट "क"

(तारांकित प्रश्न संख्या-272 की सूची)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., मेडिकल ब्रांच द्वारा संचालित एलोपैथिक दवाइयों के विक्रय केन्द्रों की सूची

1. बिहारी बाजार
2. बरकत नगर
3. चैस्ट अस्पताल
4. ई.एस.आई.
5. गांधी नगर, प्रथम
6. गांधी नगर, द्वितीय
7. जे.के.लान, प्रथम
8. जे.के.लान, द्वितीय
9. जे.के.लान, तृतीय
10. झोटवाड़ा
11. जवाहर नगर
12. जयपुरिया अस्पताल
13. कांवटिया अस्पताल
14. करधनी
15. मोती कटला
16. मिनी सचिवालय
17. मानसरोवर
18. न्यू कालोनी
19. नाहरी का नाका
20. पुरानी बस्ती, प्रथम
21. पुरानी बस्ती, द्वितीय
22. राजभवन
23. सिरहड्योढ़ी
24. सचिवालय
25. सेठी कालोनी
26. सहकार भवन
27. तिलक नगर
28. वैशाली नगर
29. सांगानेर
30. एस.एम.एस. प्रथम
31. एस.एम.एस. द्वितीय
32. एस.एम.एस. तृतीय
33. एस.एम.एस. 3ए
34. एस.एम.एस. 6
35. एस.एम.एस. 7
36. एस.एम.एस. 8
37. एस.एम.एस. रात्रि, प्रथम
38. एस.एम.एस. रात्रि, द्वितीय
39. एस.एम.एस. काटेज, प्रथम
40. एस.एम.एस., काटेज, द्वितीय
41. एस.एम.एस., काटेज, तृतीय
42. एस.एम.एस. पेंशन
43. जनाना, प्रथम
44. जनाना, द्वितीय
45. जनाना, रात्रि
46. सहादत अस्पताल, टोंक, प्रथम
47. सहादत अस्पताल, टोंक, द्वितीय
48. निवाई
49. चौमूं

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-476 का विवरण)

कार्यालय नगरपालिका, बारां
नवीन बोर्ड गठन के विभागीय स्तर पर करवाये गये कार्य

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	माप	कार्य का माध्यम	भुगतान राशि	बकाया राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डोल मेला में सी.सी. रोड निर्माण रंगमंच के सामने	2.90 लाख	500′×25′	विभागीय	2.70570	—	पूर्ण
2.	डोल मेला मीना बाजार सी.सी. रोड	0.96 लाख	320′×5′	विभागीय	0.90280	—	पूर्ण
3.	डोल मेला चाट बाजार सी.सी. रोड	0.93 लाख	210′×20′	विभागीय	0.73525	—	पूर्ण
4.	पुताई कार्य नगरपालिका भवन	1.10 लाख	—	विभागीय	0.96757	—	पूर्ण
5.	भूमि विकास बैंक से विजय भाई तक सी.सी. रोड व नाली	2.81 लाख	500′×25′	विभागीय	—	2.81 लाख (अनु.)	कार्य प्रगति

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	जनता टाकीज से मंगलम सीमेन्ट तक नाली व सी. सी. रोड वार्ड नं.8	1.37 लाख	220′×8′	विभागीय	—	1.37 लाख (अनु.)	कार्य प्रगति
7.	दल्ला जी की धर्मशाला से पहाड़िया के मकान तक सी. सी. रोड	1.37 लाख	400′×5′	विभागीय	—	1.37 लाख	कार्य प्रगति
8.	नाला जवाहर क्लब से फोरेस्ट नाले तक का सुधारीकरण कार्य	2.93 लाख	700′	विभागीय	—	2.93 लाख	कार्य प्रगति
9.	बबलू के मकान से क्रास तक एवं रेलवे बाउण्ड्री तक नाली निर्माण वार्ड नं.3	1.23 लाख	500′	विभागीय	—	1.23 लाख	कार्य प्रगति
10.	झालावाड़ रोड पर एम. डी. एम. से फूलचन्द पूडी वाले तक नाला	0.70 लाख	220′	विभागीय	—	0.70 लाख	कार्य प्रगति
11.	झालावाड़ रोड पर बापजी नगर रोड मोहन लाल जी से नेमीचन्द तक नाली निर्माण	1.25 लाख	300′	विभागीय	—	1.25 लाख	कार्य प्रगति
12.	बापजी नगर रोड पर परमहंस की बगीची से रपट तक नाला	1.93 लाख	500′	विभागीय	—	1.93 लाख	कार्य प्रगति

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कोटा रोड गुरुद्वारे से चौथमाता तक सी.सी.रोड	1.80 लाख	250′×20′	विभागीय	—	1.80 लाख	कार्य प्रगति
14.	चौथमाता से महेश त्यागी तक सी.सी.रोड	1.40 लाख	500′×5′	विभागीय	—	1.40 लाख	कार्य प्रगति
15.	महेश त्यागी से हास्पिटल रोड तक सी.सी.रोड	1.20 लाख	300′×5′	विभागीय	—	1.20 लाख	कार्य प्रगति

नोट :— 1. उपरोक्त कार्यों को विभागीय स्तर से सम्पन्न कराया गया।

2. विभागीय कार्यों के लिए सामग्री क्रय की निविदा दिनांक 20.1.2001 को आमंत्रित की गई।

3. जिसमें संवेदक मै. विनोद कुमार विजय, मै. मोहित कुमार रोहित कुमार, भार्गव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, हिम एन्टरप्राइजेज, मै. हेमराज ब्रजेश कुमार एण्ड कम्पनी ने भाग लिया।

4. उक्त टेण्डरों में मै. विनोद कुमार विजय कुमार, भार्गव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी तथा मै. हेमराज ब्रजेश कुमार के टेण्डर स्वीकृत किये गये।

ह०/-
(अधिशासी अधिकारी)
नगरपालिका, बारां

कार्यालय नगरपालिका, बारां
नवीन बोर्ड गठन के बाद टेण्डर/ठेकेदारी से करवाए गये कार्य

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	नाप	कार्य का माध्यम	भुगतान राशि	बकाया राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वार्ड नं.4, रामनगर कालोनी, राजपाल त्यागी से नर्सरी हनुमान जी तक सी.सी.रोड, नाली व पुलिया निर्माण कार्य	2.54 लाख	500' × 2'	श्री जितेन्द्र शर्मा	—	2.54 लाख	प्रगति पर है।
2.	वार्ड नं.5, भंवर सिंह से परमानन्द चक्रधारी तक सी.सी. रोड व नाली	3.62 लाख	600' × 2'	चतुर्वेदी एन्टर प्राइजेज	—	3.62 लाख	प्रगति पर है।
3.	वार्ड नं.6 व 13, बंक रोड से कल्ला तक सी.सी. रोड व नाली	2.30 लाख	400' × 2'	मै. विनोद कुमार विजय	—	2.30 लाख	प्रगति पर है।
4.	वार्ड नं.13 मूलचन्द प्रजापति से मांगीलाल तक सी.सी.रोड व नाली	2.90 लाख	600' × 8'	अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी		2.70 लाख	प्रगति पर है।
5.	वार्ड नं.14 गफूर ड्राइवर से दुर्गा प्रजापति तक सी.सी. रोड व नाली	3.06 लाख	600' × 2'	अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	—	3.06 लाख	प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	वार्ड नं.26 सुआवत बस्ती चौथमल कोली से मंदिर तक सी.सी. रोड व नाली	1.65 लाख	450' × 4'	अरिहन्त कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	—	1.65 लाख	प्रगति पर है।
7.	शाहवाद रोड चिरौंजी लाल साइकिल वाले से लैट्रीन तक सी.सी.रोड	1.15 लाख	300' × 5'	मै. विनोद कुमार विजय	—	1.15 लाख	प्रगति पर है।
8.	शाहवाद दरवाजा के पास हनुमान मंदिर से शाहबाद रोड तक सी.सी.रोड	2.71 लाख	600' × 0'	श्री मधुकान्त शर्मा	—	2.71 लाख	कार्य शुरू नहीं हुआ है।

नोट :
1. उक्त कार्यों के लिये NIT दिनांक 7.3.2001 को आमंत्रित की गई।
2. इस NIT में निम्न संवेदक श्री मधुकान्त शर्मा, चतुर्वेदी एन्टरप्राइजेज, मै. विनोद कुमार विजय, अरिहन्त कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, श्री जितेन्द्र शर्मा, भार्गव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, आकाश घेरवाल एण्ड कम्पनी तथा अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने भाग लिया।
3. जिसमें कार्य नं. 1 में श्री जितेन्द्र शर्मा, कार्य नं. 2 में चतुर्वेदी एन्टरप्राइजेज, कार्य नं. 3 में मै. विनोद कुमार विजय, कार्य नं. 4 में अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, कार्य नं. 6 अरिहन्त कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, कार्य नं. 5 अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, कार्य नं. 7 में मैं. विनोद कुमार विजय तथा कार्य नं. 8 में श्री मधुकान्त शर्मा न्यूनतम रहे।
4. इनमें से कार्य नं. 1 से 7 तक के कार्यादेश जारी कर दिये हैं तथा कार्य नं. 8 नेगोसिएशन में विचाराधीन है।

ह०/-
(अधिशासी अधिकारी)
नगरपालिका, बारां

कार्यालय नगरपालिका, बारां
नवीन बोर्ड गठन के बाद लेबर रेट पर करवाए गये कार्य

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	माप	कार्य का माध्यम	भुगतान राशि	बकाया राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ईदगाह से औडपुरा तक सी.सी.रोड	9.94 लाख	2100' × 15'	लेबर रेट पर विनोद कुमार विजय	—	9.94 लाख	प्रगति पर
2.	वार्ड नं.25 में आनन्द सीमेन्ट से बाणगंगा नदी तक रिटेनिंग वाल	3.80 लाख	450	लेबर रेट पर विनोद कुमार विजय	—	3.80 लाख	प्रगति पर
3.	वार्ड नं.13 श्मशान रोड पुलिया से मांगीलाल तक रिटेनिंग वाल	2.00 लाख	180'	लेबर रेट पर विनोद कुमार विजय	—	2.00 लाख	प्रगति पर
4.	वार्ड नं.24 चरीघाट रोड से बेजाराम यादव के पास टींगर तक सी.सी.रोड	1.33 लाख	400' × 13'	लेबर रेट पर विनोद कुमार विजय	—	1.33 लाख	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	बाउण्ड्री व नाली निर्माण रेस्ट हाउस से डा. लाजपत तक	9.40 लाख	1200'	लेबर रेट पर विनोद कुमार विजय	—	9.40 लाख	प्रगति पर
6.	बाउण्ड्री व नाली फुटपाथ निर्माण सुजुकी शोरूम से जवाहर क्लब तक	5.40 लाख	1200'	लेबर रेट पर विनोद कुमार विजय	—	5.40 लाख	प्रगति पर

नोट : 1. उक्त कार्यों को लेबर रेट पर कराया गया।

2. लेबर रेट कार्यों के लिये NIT दिनांक 18.1.2001 को आमंत्रित की गई।

3. जिसमें संवेदक मै. विनोद कुमार विजय, भार्गव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी तथा आकाश पोरवाल ने भाग लिया।

4. जिसमें संवेदक मै. विनोद कुमार विजय की दर न्यूनतम रही। जिसको कार्यादेश दिया गया।

5. उक्त कार्यों के लिये सामग्री NIT दिनांक 20.1.2001 के तहत क्रय की गई।

ह० /-
(अधिशासी अधिकारी)
नगरपालिका, बारां

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-481 का विवरण)

नगरपालिका, सादड़ी द्वारा वर्ष 1980 के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे आवासीय गैर आवासीय आबंटित/नियमित किए भू-खण्डों का विवरण

1. महीपाल/केसरीमलजी पत्रां. सं. 73/81-82, नीलामी द्वारा
2. चुन्नीलाल/जगन्नाथजी दवे पत्रां. सं. 1/79-80, खांचा भूमि
3. पुखराज/भगवानजी दवे पत्रां. सं6/85-86, खांचा भूमि
4. शांता जैन/जवाहर लालजी पत्रां. सं44/82-83, खांचा भूमि
5. कालूराम/ताराचन्दजी जैन पत्रा. सं. 018/86-87, खांचा भूमि
6. चुन्नीलाल/चतुर्भुजजी पत्रा. सं. 02/87-88, खांचा भूमि
7. धनाराम/खोमाजी माली पत्रा. सं. 1/88-89, खांचा भूमि
8. शंकरलाल/पोकरजी पत्रा. सं. 2/88-89, खांचा भूमि
9. अचलाराम/हिमताजी पत्रा. सं. 6/88-89, खांचा भूमि
10. शंकरलाल/कलाजी माली पत्रा. सं. 35/88-89, खांचा भूमि
11. मोहन लाल/कलाजी माली पत्रां. 34/88-89, खांचा भूमि
12. मोहन लाल/हीरालाल पुत्र जीवाजी 12/86-87, खांचा भूमि
13. कनकराज/सूखराज पत्रा. सं. 17/91-92, खांचा भूमि
14. दीपाराम/केसाजी पत्रा. सं. 36/88-89, खांचा भूमि
15. चौथमल/मनरूपजी सुथार पत्रा. सं. 3/87-88, खांचा भूमि
16. रूपीबाई/मोतीजी माली पत्रा. सं. 1/89-90, खांचा भूमि
17. जवानमल/पोकरजी सुथार पत्रा. सं. 4/99-2000, खांचा भूमि
18. हीरालाल/नेमाची मेघवाल पत्रा. सं. 5/99-2000, खांचा भूमि
19. हबीबशाह/ईसमाईल शाह पत्रा. सं. 1/83-84, नियमन
20. रहमानखां सदर मुस्लिम समाज पत्रा. सं. 80/82-83, नियमन

21. परशराम/फौजमल पत्रावली सं. 79/82-83, नियमन

22. जीवमलता/अचलाराम पत्रा. सं. 166/78-79, नियमन

23. सुमेर सिंह/मेघसिंह पत्रा. सं. 4/87-88, नियमन

24. कमलाशंकर/दलाशंकरजी बोहरा पत्रा. सं. 5/87-88, नियमन

25. मगनदास/लक्ष्मणदास पत्रा. सं. 7/88-89, नियमन

26. सुरजमल/मामाजी जयारस पत्रावली सं. 113/78-79, नियमन

27. शंकरलाल/मगाजी आचार्य पत्रा. सं. 2/95-96, नियमन

28. परशराम महादेव कुण्ड ट्रस्ट पत्रा. सं. 15/91-92, आबंटन

1. सरेकंवर/बालचंदजी पत्रावली सं. 3/98-99, खांचा भूमि

2. मीना/विजयराज पत्रावली सं. 4/98-99, खांचा भूमि

उपरोक्त दोनों पत्रावली की राशि जमा हो चुकी है विक्रय विलेख जारी नहीं किया गया।

ह०/-
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, पाली

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-488 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

निदेशालय खनिज एवं. भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

जिला बाड़मेर में खनिज ग्रेनाइट के प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों की सूची

एम. एल. की सूची

क्र.सं.	एम. एल. नं.	आवेदक का नाम	क्षेत्र	निकट ग्राम	तहसील
1.	90/96	श्री प्रताप सिंह सायरसिंह	1 है.	हण्डाली	गुडामालानी
2.	33/98	श्रीमती लक्ष्मी श्री बलराम	2.25 है.	मुंगेरिया	शिव
3.	35/98	श्री आसूराम दूदाराम	1 है.	एवाड़ी	मानजी गुडा मालानी
4.	27/99	श्रीमती प्रेम कंवर श्री कैलाश सिंह	1 है.	मुंगेरिया	शिव
5.	28/99	— एजन —	1 है.	मुंगेरिया	शिव
6.	2/2000	मै. गणगौर माइन्स मिनरल्स	1 है.	मुंगेरिया	शिव

ह०/-
अधीक्षण खनिज अभियन्ता (तृतीय)

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-495 की सूची) परिशिष्ट "अ"

श्री रिछपाल सिंह पूनिया, उप अधीक्षक (पुलिस) की पुलिस विभाग में प्रथम नियुक्ति से वर्तमान तक पदस्थापन का विवरण

क्र.सं.	पद	स्थान तैनाती	कब से कब तक तैनात रहे
1	2	3	4
1.	उप निरीक्षक पुलिस	उपस्थिति (नियुक्ति)	9.9.1975
2.	प्रारम्भिक प्रशिक्षण	अकादमी, जयपुर	9.9.75 से 9.7.76
3.	उप निरीक्षक पुलिस	प्रैक्टिकल प्रशिक्षण जयपुर	9.7.76 से 25.4.77
4.	उप निरीक्षक पुलिस	पुलिस लाइन, बीकानेर	25.4.77 से 5.8.77
5.	उप निरीक्षक पुलिस	पुलिस थाना, देशनोक	5.8.77 से 28.7.78
6.	उप निरीक्षक पुलिस	पुलिस थाना, कोटगेट	28.7.78 से 2.7.79
7.	उप निरीक्षक पुलिस	स्थानान्तरण, गंगानगर	
8.	उप निरीक्षक पुलिस	पुलिस थाना, संगरिया	13.7.79 से 23.8.80
9.	उप निरीक्षक पुलिस	पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन	23.8.80 से 1.8.83
10.	उप निरीक्षक पुलिस	पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन	1.8.83 से 31.3.84
11.	उप निरीक्षक पुलिस	पदोन्नति उ.नि. से पु.नि.	
12.	पुलिस निरीक्षक	सीआईडी (सीबी), जयपुर	1.4.84 से 18.7.86
13.	पुलिस निरीक्षक	अपराध सहायक, बीकानेर	18.7.86 से 21.8.86
14.	पुलिस निरीक्षक	स्टाफ आफिसर, रैंज कार्यालय बीकानेर	21.8.86 से 18.5.89
15.	पुलिस निरीक्षक	थाना, सूरतगढ़	18.6.89 से 28.6.90

1	2	3	4
16.	पुलिस निरीक्षक	एस.सी.आर.बी., भरतपुर	28.6.90 से 4.3.91
17.	पुलिस निरीक्षक	पुलिस थाना, सूरतगढ़	4.3.91 से 26.3.92
18.	पुलिस निरीक्षक	पुलिस थाना, संगरिया	23.6.92 से 15.7.95
19.	पुलिस निरीक्षक	अपराध सहायक, हनुमानगढ़	15.7.95 से 26.12.95
20.	पुलिस निरीक्षक	एस.सी.आर.बी., जयपुर	26.12.95 से 6.6.97
22.	पुलिस निरीक्षक	बोसनिया मे प्रतिनियुक्ति	6.6.97 से 28.8.98
22.	उप अधीक्षक पुलिस	पदोन्नति	
23.	उप अधीक्षक पुलिस	वृताधिकारी, मालपुरा	31.8.98 से 19.9.98
24.	उप अधीक्षक पुलिस	वृताधिकारी, नोहर	19.9.98 से 25.1.2001
25.	उप अधीक्षक पुलिस	ए.सी.बी., जयपुर	27.1.2001 से 23.3.2001
26.	उप अधीक्षक पुलिस	निलम्बित	23.3.2001 से

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-496 की सूची)

सूची "अ"

सूची उप निरीक्षकगण जिन्हें थानों पर तीन साल से अधिक समय हो चुका है, जिला जयपुर शहर (दक्षिण), जयपुर

क्र.सं.	नाम थाना	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद व नम्बर
1.	सांगानेर	—	—
2.	सांगानेर सदर	—	—
3.	मालवीय नगर	—	—
4.	गांधीनगर	श्री जीवन सिंह	उप. निरी.
5.	बजाज नगर	श्री लक्ष्मी नारायण	उप. निरी.
6.	मोतीडूंगरी	—	—
7.	आदर्श नगर	श्री कैलाश चन्द श्री भगवाना राम	उप. निरी. उप. निरी.
8.	जवाहर नगर	श्री लक्ष्मण सिंह	उप. निरी.
9.	ट्रांसपोर्ट नगर	—	—
10.	लालकोठी	—	—
11.	अशोक नगर	—	—
12.	विधायकपुरी	श्री भरत लाल	उप. निरी.
13.	विधान सभा	—	—
14.	सदर	श्री रामसिंह	उप. निरी.
15.	जालूपुरा	श्री रामफूल खरला	उप. निरी.
16.	सिन्धी कैम्प	श्री देवकरण	उप. निरी.
17.	सोडाला	—	—
18.	वैशाली नगर	श्री भगवान सहाय	उप. निरी.
19.	श्याम नगर	—	—
20.	मानसरोवर	—	—
21.	शिप्रापथ	—	—
22.	महेश नगर	—	—
23.	महिला थाना (दक्षिण)	—	—

सूची "ब"

सूची सहायक उप निरीक्षकगण जिन्हें थानों पर तीन साल से अधिक समय हो चुका है

जिला जयपुर शहर (दक्षिण) , जयपुर

क्र.सं.	नाम थाना	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद व नम्बर
1	2	3	4
1.	सांगानेर	श्री दौलत सिंह	स. उ. नि.
2.	सांगानेर सदर	श्री रामसिंह	स. उ. नि.
3.	मालवीय नगर	—	—
4.	गांधीनगर	—	—
5.	बजाज नगर	श्री राधेश्याम श्री बनवारी लाल	स. उ. नि. स. उ. नि.
6.	मोतीडूंगरी	—	—
7.	आदर्श नगर	—	—
8.	जवाहर नगर	श्री सुरेन्द्र पाल श्री कुन्दन सिंह	स. उ. नि. स. उ. नि.
9.	ट्रांसपोर्ट नगर	श्री सत्यप्रकाश श्री घनानन्द शर्मा	स. उ. नि. स. उ. नि.
10.	लालकोठी	श्री रामजीलाल श्री राधेश्याम श्री शम्मी खां	स. उ. नि. स. उ. नि. स. उ. नि.
11.	अशोक नगर	—	—
12.	विधायकपुरी	—	—
13.	विधान सभा	—	—

1	2	3	4
14.	सदर	श्री बच्चू सिंह श्री सूबेसिंह	स. उ. नि. स. उ. नि.
15.	जालूपुरा	श्री दिलीप सिंह श्री मोहम्मद इस्माइल	स. उ. नि. स. उ. नि.
16.	सिन्धी कैम्प	श्री विद्याधर	स. उ. नि.
17.	सोडाला	—	—
18.	वैशाली नगर	—	—
19.	श्याम नगर	श्री गोरधन लाल	स. उ. नि.
20.	मानसरोवर	श्री बाबूलाल	स. उ. नि.
21.	शिप्रापथ	श्री नित्यानन्द	स. उ. नि.
22.	महेश नगर	श्री गोपाल सिंह	स. उ. नि.
23.	महिला थाना (दक्षिण)	—	—

सूची "स"

सूची हैड कांस्टेबलगण जिन्हें थानों पर तीन साल से अधिक समय हो चुका है, जिला जयपुर शहर (दक्षिण) , जयपुर

क्र.सं.	नाम थाना	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद व नम्बर
1	2	3	4
1.	सांगानेर	श्री बोदूराम	H.C. 1874
2.	सांगानेर सदर	श्री महावीर प्रसाद	H.C.79
3.	मालवीय नगर	श्री पैमाराम	H.C. 2148
		श्री बुद्धराम	H.C. 2138
		श्री प्रकाश सिंह	H.C. 2071
		श्री उदयवीर सिंह	H.C. 1934
		श्री हजारी लाल	H.C. 72
		श्री जगदीश प्रसाद	H.C. 1850
4.	गांधीनगर	श्री एदल प्रसाद	H.C. 56
		श्री मुरारी लाल	H.C. 2243
		श्री हरिशंकर	H.C. 1721
		श्री सतीश चन्द	H.C. 1994
5.	बजाज नगर	श्री रोशन लाल	H.C. 1989
		श्री मेवाराम	H.C. 2180
		श्री केशर सिंह	H.C.2092
		श्री बलवन्त सिंह	H.C.1705
		श्री हीरालाल	H.C.169
6.	मोतीडूंगरी	श्री जगमोहन	H.C. 1878
		श्री मालीराम	H.C.2040
		श्री जगदीश प्रसाद	H.C. 1884
		श्री देवकी नन्दन	H.C. 2247
7.	आदर्श नगर	श्री नरेन्द्र सिंह	H.C. 1986
		श्री बनवारी लाल	H.C. 2063
8.	जवाहर नगर	श्री अमरपाल	H.C. 110
		श्री रामेश्वर प्रसाद	H.C. 75
9.	ट्रांसपोर्ट नगर	श्री ओमप्रकाश	H.C. 1940
		श्री यूसुफ अली	H.C. 2196
		श्री महेन्द्र सिंह	H.C. 2290
10.	लालकोठी	श्री रामखिलाड़ी	H.C. 02
		श्री रामसहाय	H.C. 1805
		श्री रामसिंह	H.C. 2085

1	2	3	4
11.	अशोक नगर	श्री महेन्द्रसिंह	H.C. 2036
		श्री मोहन लाल	H.C. 1901
		श्री मांगीलाल	H.C. 1863
		श्री विशम्भर दयाल	H.C. 2024
		श्री सांवत कुमार	H.C. 2261
		श्री श्रवण लाल	H.C. 1899
		श्री किशन लाल	H.C. 2272
12.	विधायकपुरी	श्री रामेश्वर प्रसाद	H.C. 1881
		श्री शंकर सिंह	H.C. 1844
		श्री जगशेर खां	H.C. 2028
		श्री मोहन सिंह	H.C. 1907
		श्री गुमान सिंह	H.C. 1980
		श्री सरदार खां	H.C. 66
		श्री भवानी सहाय	H.C. 2112
13.	विधान सभा	—	—
14.	सदर	श्री जगदीश प्रसाद	H.C. 1872
		श्री कन्हैया लाल	H.C. 1972
		श्री मामचन्द	H.C. 2262
15.	जालूपुरा	श्री इन्द्रसिंह	H.C. 223
16.	सिन्धी कैम्प	श्री नरेन्द्र सिंह	H.C. 2226
17.	सोडाला	श्री रामानन्द	H.C. 206
		श्री गुल्लाराम	H.C. 84
		श्री जयसिंह	H.C. 1817
18.	वैशाली नगर	श्री आत्माराम	H.C. 2058
		श्री गणेश नारायण	H.C. 1861
		श्री सुरेन्द्र सिंह	H.C. 2122
19.	श्याम नगर	श्री चतरूराम	H.C. 177
		श्री पूरण सिंह	H.C. 228
20.	मानसरोवर	श्री रामगोपाल	H.C. 2166
21.	शिप्रापथ	श्री मोहम्मद रफीक	H.C. 2233
		श्री जगदशी प्रसाद	H.C. 2251
		श्री ओमप्रकाश	H.C. 174
		श्री बंशी लाल	H.C. 1859
22.	महेश नगर	—	—
23.	महिला थाना (दक्षिण)	श्री अम्बिका प्रसाद	H.C. 1915
		श्री गणपत लाल	H.C. 1823
		श्री राजेन्द्र सिंह	H.C. 01

सूची "द"

अप्रैल 1997 11.4.2001

क्र.सं.	नाम	पद	पदस्थापन थाना	दिनांक पदस्थापन
1	2	3	4	5
1.	श्री गुसाई राम	सहा. उप निरी.	गलता गेट	16.10.97
2.	श्री नाहर सिंह	है.का. 1847	गलता गेट	2.12.92
3.	श्री चन्द	है.का. 1784	गलता गेट	25.3.98
4.	श्री गणपत राम	स.उ.नि.	थाना आमेर	26.4.97
5.	श्री दयाराम	है.का. 2265	थाना आमेर	10.12.97
6.	श्री सूरजमल	है.का. 166	थाना आमेर	1.1.98
7.	श्री शंकर लाल	है.का. 1977	थाना ब्रह्मपुरी	16.6.97
8.	श्री इकराम हुसैन	स.उ.नि.	थाना बनीपार्क	10.1.97
9.	श्री सुन्दर लाल	है.का. 1957	थाना बनीपार्क	18.7.95
10.	श्री रामफूल	है.का. 2242	थाना बनीपार्क	14.6.97
11.	श्री खेमचन्द	है.का. 2273	थाना बनीपार्क	21.6.97
12.	श्री शम्भू सिंह	स.उ.नि.	थाना भट्टा बस्ती	6.4.96
13.	श्री गोपाल सिंह	है.का. 60	थाना भट्टा बस्ती	17.7.97
14.	श्री शंकर सिंह	उप निरी.	थाना शास्त्रीनगर	2.7.96
15.	श्री प्रभू दयाल	है.का. 1813	थाना शास्त्री नगर	8.1.93
16.	श्री हनुमान सिंह	है.का. 2161	थाना शास्त्री नगर	12.9.85
17.	श्री गजानन्द	है.का. 98	थाना शास्त्री नगर	17.6.97
18.	श्री राम सिंह	स.उ.नि.	महिला थाना उत्तर	10.1.97
19.	श्री ओम प्रकाश	स.उ.नि.	थाना माणक चौक	8.1.97
20.	श्री आदराम	है.का. 107	थाना माणक चौक	8.1.97
21.	श्री अशोक कुमार	है.का. 137	थाना माणक चौक	6.2.98
22.	श्री उदय सिंह	है.का. 150	थाना माणक चौक	6.2.98
23.	श्री भगवान सिंह	है.का. 151	थाना माणक चौक	2.1.98
24.	श्री अब्दुल हफीज	है.का. 2035	थाना माणक चौक	6.7.90
25.	श्री लक्ष्मण सिंह	है.का. 2074	थाना माणक चौक	3.8.93
26.	श्री विजय सिंह	है.का. 2101	थाना माणक चौक	13.7.94
27.	श्री कृष्ण अवतार	है.का. 2164	थाना माणक चौक	7.9.91
28.	श्री राम नारायण	है.का. 2289	थाना माणक चौक	28.6.97
29.	श्री गोपीराम	है.का. 205	थाना माणक चौक	17.8.93
30.	श्री अब्दुल गफ्फार	स.उ.नि.	थाना सुभाष चौक	21.12.96
31.	श्री अशोक कुमार	है.का. 197	थाना सुभाष चौक	3.12.97

1	2	3	4	5
32.	श्री भाग सिंह	है.का. 2048	थाना सुभाष चौक	8.1.97
33.	श्री नन्द लाल	है.का. 1834	थाना सुभाष चौक	4.7.97
34.	श्री मुन्ना महबूब	है.का. 2046	थाना सुभाष चौक	16.9.95
35.	श्री गोविन्द राम	उप निरीक्षक	थाना झोटवाड़ा	24.5.97
36.	श्री मन मोहन	है.का. 2156	थाना झोटवाड़ा	14.6.97
37.	श्री भोपाल सिंह	सहा.उप.निरी.	थाना विश्वकर्मा	17.7.97
38.	श्री पृथ्वी सिंह	है.का. 2029	थाना विश्वकर्मा	7.1.97
39.	श्री ब्रह्म नन्द	है.का. 2179	थाना विश्वकर्मा	13.6.97
40.	श्री गणपत राम	है.का. 178	थाना विश्वकर्मा	20.6.97
41.	श्री हरभान सिंह	उप निरीक्षक	थाना कोतवाली	24.6.96
42.	श्री रामगोपाल	उप निरीक्षक	थाना कोतवाली	3.6.96
43.	श्री फूल चन्द	उप निरीक्षक	थाना कोतवाली	27.12.97
44.	श्री फगुनी राम	स.उ.नि.	थाना कोतवाली	27.12.97
45.	श्री नारायण सिंह	है.का. 2083	थाना कोतवाली	30.6.90
46.	श्री रामस्वरूप	है.का. 2054	थाना कोतवाली	21.4.93
47.	श्री सूण्डा राम	है.का. 1888	थाना कोतवाली	15.5.93
48.	श्री जगदेव सिंह	है.का. 2002	थाना कोतवाली	21.4.93
49.	श्री अमरनाथ	है.का. 1902	थाना कोतवाली	10.8.93
50.	श्री फैयाज खां	है.का. 1928	थाना कोतवाली	3.9.94
51.	श्री खुर्शीद अहमद	है.का. 2194	थाना कोतवाली	19.6.95
52.	श्री कैलाश चन्द	है.का. 2270	थाना कोतवाली	13.6.97
53.	श्री गोविन्द सिंह	है.का. 2241	थाना कोतवाली	13.6.97
54.	श्री बृज मोहन	है.का. 2259	थाना कोतवाली	13.6.97
55.	श्री राम निवास	है.का. 2264	थाना कोतवाली	13.6.97
56.	श्री रतन सिंह	है.का. 2271	थाना कोतवाली	13.6.97
57.	श्री भरत सिंह	है.का. 2183	थाना कोतवाली	10.10.97
58.	श्री सुरेश चन्द	है.का. 235	थाना कोतवाली	18.11.97
59.	श्री रामप्रताप	है.का. 175	थाना कोतवाली	27.1.98
60.	श्री सुमान सिंह	है.का. 2293	थाना नाहरगढ़ रोड	28.6.97
61.	श्री भगवत सिंह	है.का. 2138	थाना रामगंज	23.8.93
62.	श्री रघुवीर सिंह	है.का. 1883	थाना रामगंज	13.6.97
63.	श्री गणेश सिंह	है.का. 1962	थाना रामगंज	13.6.97
64.	श्री सीताराम	है.का. 1951	थाना रामगंज	13.6.97

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-497 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

PART-IV

PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

17. Inviting of Applications.–(1) Applications for direct recruitment to the post of Constables in all the four Sections of the Schedule-1 shall be invited by such officers and in such manner as may be laid down by the Director General-cum-Inspect or General of Police.

(2) The applications for direct recruitment shall be invited by the Commission for the post of Sub-Inspector in Sections–I, II and Platoon Commanders in Section-IV and by a recruitment Board for the posts of Inspector/Sub-Inspectors/Asstt. Sub-Inspectors in Section-III, through advertisement in the Official Gazette or in such other manner as may be deemed fit by the Commission/Director General-cum-Inspector General of Police :

Provided that—

(a) the Director General-cum-Inspector General of Police may till 10% of the vacancies of the post of Sub-Inspector/Platoon Commanders by means of direct recruitment in Senctions-I, II and IV of the Schedule-I, to be filled in a particular period of recruitment, without observing the procedure laid down in these Rules with the approval of the government and that the candidates so appointed shall conform to the requirements of age,. academic qualifications, physique, medical fitness and soundness of character as prescribed in these Rules and that preference will be given for proficiency in Games and Sports, recognised for the All India Games and Sports Meet.

Explanation :– The word proficiency in rule 17 in provised

(a) shall mean allainment of distinction or representation in relevant games and sports at the State or National level.

(b) the selection of the candidates under proviso (a) to rule 17 (2) for appointment to the post of Sub-Inspectors/Platoon Commanders shall be made by a Board consisting of the Directors General-cum-Inspector General of Police; of Inspector General of Police unminated by the Director General-cum-Inspector General of Police, as Chairman, two Dy. Inspector General of Police as Members and one Superintendent of Police or/an officer of equivalent rank as Member-Secretary.

(c) while selecting candidates for the post so advertised, the Board may, if intimation of additional requirement not exceeding 50% of the advertised vacancies, is received by their before the selection, also select suitable person to meet such additional requirement.

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट-"क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-498 का विवरण)

आदिवासी सहकारी समितियों के लिये आरक्षित तेन्दूपत्ता इकाइयों के संबंध में आरक्षण से पूर्व खुली नीलामी से प्राप्त आय/आबंटन वर्ष में विक्रय ट्रेण्ड के मुताबिक प्राप्त होने वाली संभावित आय तथा सहकारी समिति से वास्तव में उक्त वर्ष में प्राप्त हुई आय की तुलनात्मक स्थिति

तेन्दूपत्ता इकाइयों का आदिवासी तेन्दूपत्ता संग्रहण सहकारी समितियों के लिए आरक्षण सर्वप्रथम वर्ष 1998 में किया गया। वर्ष 1998 में 3 इकाइयां आबूरोड गुलाब एवं मालविया का आरक्षण किया गया। इन तीनों इकाइयों में वर्ष 1997 में खुली प्रतिस्पर्धा में प्राप्त कुल विक्रय मूल्य रु. 9,03,111/- प्राप्त हुआ था। राज्यादेश के अनुसार इन तीनों इकाइयों का ट्रेण्ड बढ़ोतरी मूल्य रु. 823728/- बना जिसमें 10 प्रतिशत की कमी की जाकर तीनों इकाइयां कुल रु. 741355/- में विक्रय की गई।

वर्ष 1999 में भी उक्त तीनों इकाइयों आबूरोड, गुलाब एवं मालविया आदिवासी तेन्दू पत्ता संग्रहण सहकारी समितियों हेतु आरक्षित की गई। वर्ष 1998 के मुकाबले वर्ष 1999 में ट्रेण्ड बढ़ोतरी के अनुसार इन तीनों इकाइयों का विक्रय मूल्य राज्यादेश के अनुसार कुल रु. 12,33,779 बनता था। इस मूल्य में 10 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,23,378/- की कमी कर ये इकाइयां समितियों को उपलब्ध कराई गई।

वर्ष 2000 में राज्य सरकार द्वारा आदिवासी तेन्दूपत्ता संग्रहण सहकारी समितियों के आवेदन पर उनके लिए 4 इकाइयां आबूरोड, गुलाब, मालविया एवं प्रतापगढ़ आरक्षित की गई। वर्ष 1999 के मुकाबले वर्ष 2000 में ट्रेण्ड बढ़ोतरी के अनुसार इन चारों इकाइयों का विक्रय मूल्य राज्यादेश अनुसार कुल रु. 27,68,365/- बनता था। इस मूल्य में 10 प्रतिशत अर्थात् रु. 2,76,836/- की कमी कर इकाइयां समितियों को उपलब्ध कराई गई।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-499 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

जिला झालावाड़ की ग्राम पंचायत बैरागढ़ के ग्राम रूपपुरा (बीरदान) की वन विभाग के अधीन भूमि का विवरण

क्र.सं.	खसरा नं.	वन भूमि का रकबा	विवरण
1.	1	434 बीघा 8 बिस्वा	कुल 1408 बीघा 2 बिस्वा
2.	2	648 बीघा 12 बिस्वा	भूमि में से 47 बीघा भूमि जिस
3.	3	325 बीघा 2 बिस्वा	पर अतिक्रमण है, वृक्षविहीन है। अवशेष 1361 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर प्राकृतिक रूप से धौक, खैर, ढाक के वृक्ष एवं बेर की झाड़ियां विद्यमान है।
	योग	**1408 बीघा 2 बिस्वा**	

परिशिष्ट-"ब"

वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्राम पं. बैरागढ़ के ग्राम रूपपुरा (बीरान) की वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों की सूची

क्र.सं.	नाम अतिक्रमणी	
1.	श्री औंकार/हरलाल भील	खोड़ला
2.	श्री भंवरलाल/औंकार	खोड़ला
3.	श्री चैनसिंह/औंकार	खोड़ला
4.	श्री सुजान/भंवरलाल	खोड़ला
5.	श्री घनश्याम/देवीलाल	खोड़ला
6.	श्री नारायण सिंह/रूपा	खोड़ला
7.	श्री फूलचन्द/देवीलाल	खोड़ला
8.	श्री देवीलाल/भैरूलाल	खोड़ला
9.	श्री रंगलाल/प्यारा	खोड़ला
10.	श्री चौथमल/भंवरलाल	खोड़ला
11.	श्री भैरूलाल/भंवरलाल	खोड़ला
12.	श्री प्यारा/देवीलाल	खोड़ला
13.	श्री देवीलाल/परता	खोड़ला
14.	श्री रामलाल/भंवरलाल	खोड़ला
15.	श्री लालचन्द/लक्ष्मण	खोड़ला
16.	श्री भागचन्द/आकार	खोड़ला
17.	श्री देवीलाल/कालू	खोड़ला
18.	श्री देवीलाल/लक्ष्मण	खोड़ला
19.	श्री मांगीलाल/रामलाल	खोड़ला
20.	श्री गोरधन/लक्ष्मण	खोड़ला
21.	श्री रोशनसिंह/लक्ष्मण	खोड़ला
22.	श्री मांगीलाल/रूपा	खोड़ला
23.	श्री इन्द्रसिंह/सेवाजी	खोड़ला

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-501 की प्रति)
कार्यालय टिप्पणी

प/रसद/अ./2509/30-2001

दिनांक 9.4.2001

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी श्री रामस्वरूप माली उपस्थित। अप्रार्थी की शिकायत की जांच प्रवर्तन अधिशासी, गंगापुर द्वारा करायी गयी वाद जांच अप्रार्थी की नि. वस्तुओं के वितरण में पाई गयी अनियमितताओं के कारण उसे कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मामले की तहसीलदार-बामनवास द्वारा पुनः जांच करवायी गयी जिसमें अप्रार्थी द्वारा नि. वस्तुओं के वितरण में की गयी अनियमितताओं के कारण पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका यह अप्रार्थी द्वारा जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया।

तहसीलदार द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 24.3.2001 में अप्रार्थी के रिकार्ड की जांच करने पर सम्बन्धित राशन कार्ड में प्रविष्टियों व वितरण रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों में समानता पाई गयी। रसद विभाग राज. जयपुर से भी इस बाबत पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी रिपोर्ट चाही गयी है।

अतः उक्त सभी परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए एवं उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त विभागीय प्रगति जांच-पत्र को बहाल किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त निर्णयाधीन प्राधिकार-पत्र तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है साथ ही पूर्व का आदेश सं. 169 दिनांक 5.2.2001 निरस्त किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा की गयी अनियमितताओं के कारण उसकी जमा प्रतिभूति राशि 500.00 जब्त की जाती है। पत्रावली बाद तकमील फैसल सुमार होकर नम्बर से क्रय हो। निर्णय सुनाया गया।

ह०/-
जिला ससद अधिकारी
सवाई माधोपुर

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-503 का विवरण)

परिशिष्ट "1"

दी बून्दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., बूंदी

प्रश्न संख्या एक से संबंधित परिशिष्ट "अ" वार्षिक साधारण सभा की

बैठकों संबंधित सूचना

क्रमांक	बैठक दिनांक	क्रमांक	बैठक दिनांक
1.	5 अक्टूबर,1958	2.	20 दिसम्बर,1959
3.	6 मार्च,1960	4.	23 नवम्बर,1960
5.	21 मई,1961	6.	12 जनवरी,1962
7.	6 जनवरी,1963	8.	19 जनवरी,1964
9.	7 फरवरी,1965	10.	14 अगस्त,1965
11.	17 फरवरी,1966	12.	3 जून,1967
13.	6 दिसम्बर,1968	14.	3 फरवरी,1969
15.	5 अप्रैल,1970	16.	2 जनवरी,1971
17.	22 सितम्बर,1971	18.	7 अप्रैल,1973
19.	12 जनवरी,1974	20.	23 नवम्बर,1974
21.	11 जनवरी,1976	22.	27 नवम्बर,1976
23.	13 नवम्बर,1977	24.	17 मार्च,1980
25.	15 फरवरी,1986	26.	26 अक्टूबर,1988
27.	31 जनवरी,1996	28.	19 अक्टूबर,2000

बूंदी इकाई की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा अंकितानुसार साधारण सभा की बैठकें आयोजित की गई है

बूंदी क्रय-विक्रय सह. समिति लि.	नैनवां क्रय-विक्रय सह.स.लि., देई	हिण्डौली क्रय-विक्रय सह.समिति लि.	श्री केशव क्रय-विक्रय सह.स.लि., के. पाटन
31.05.87	17.07.83	25.07.87	17.08.92
6.11.88	24.04.84	12.05.93	
30.03.90	25.04.85		
13.03.92	15.05.86		
22.01.94	30.12.88		
25.03.95	26.06.92		
23.03.96	30.12.93		
	23.02.96		
	24.10.98		

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-504 का विवरण)

परिशिष्ट "1"

नोमिनल सदस्यों को वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में स्वीकृत ऋण का विवरण

क्र.सं.	उद्देश्य	स्वीकृत पत्रावली संख्या	
		वर्ष 1996-97	वर्ष 1997-98
1.	डेयरी	—	—
2.	पशुपालन	—	—
3.	नलकूप, पम्पसैट, फव्वारा, पम्प हाउस	99	40
4.	डिग्गी मय पम्पसैट एवं फव्वारा	13	02
	योग	**112**	**42**

नोट : वर्ष 1996-97, 97-98 में सहकारी समितियों के माध्यम से किसी सदस्य को ऋण स्वीकृत नहीं किया गया।

परिशिष्ट "2"

चान्दन इर्रिगेशन, चान्दन इर्रिगेशन एण्ड इंजीनियरिंग तथा प्रेम इर्रिगेशन द्वारा वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में आपूर्ति किये नलकूप, पम्पसैट एवं फव्वारा संयंत्रों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	चान्दन इर्रिगेशन	चान्दन इर्रिगेशन एण्ड इंजीनियरिंग	प्रेम इर्रिगेशन
		आपूर्ति सदस्य संख्या	आपूर्ति सदस्य संख्या	आपूर्ति सदस्य संख्या
1.	1996—97	38	17	35
2.	1997—98	13	08	20
	योग	**51**	**25**	**55**

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-509 का विवरण)

परिशिष्ट "1"

EXPENDITURE ON RELIEF ACTIVITIES SAMVAT 2056

Amount in Lac.

			C.R.F.	RIDF-VI	PM FUND	Total
1.	Relief Works	:	45888.86	5425.15	50.52	51364.33
2.	Cattle Conservation	:	2386.15	—	1814.44	4200.59
3.	Drinking Water	:	504.94	—	206.55	711.49
4.	Supply of Medicines	:	29.84	—	97.26	127.10
5.	Gratuitous Relief	:	191.20	—	—	191.20
	Total	:	**49000.99**	**5425.15**	**2168.57**	**56594.71**

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-510 की सूची)

परिशिष्ट "क"

श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के 61 ग्राम सम्वत् 2057 में अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं

(अ) नान प्रोजेक्ट क्षेत्र (बारानी)

1. बिरधवाल	2. राजियासर	3. चाहड़सर
4. रत्तासर	5. गुसाईसर	6. देइदासपुरा
7. बच्छारारा	8. करडू	9. कोनपालसर
10. लघेर	11. भोजूसर	12. सांवलसर
13. डीडवाना	14. सिंगरासर	

नोट : उपरोक्त 14 ग्रामों को गत वर्ष भी अभावग्रस्त घोषित किये गये थे।

(ब) प्रोजेक्ट क्षेत्र (ई.गा.न.प.)

15. कालूसर	16. सोमासर	17. कस्बा सूरतगढ़
18. ताखरांवाली	19. रंगमहल	20. किशनपुरा
21. टिल्लांवाली	22. ढाढियां वाली	23. ठेठार
24. जैसा भट्ठी	25. ऐटा	26. मोकलसर
27. खारियां	28. हिन्दौर	29. ठुकराना
30. फरीदसर	31. भोपालपुरा	32. हिजरासर
33. गुडली	34. रघुनाथपुरा	35. जानकीदास वाला
36. करणीसर	37. हरीपुरा	38. बीरमाना
39. भगवानवाला	40. रायांवाली	41. संगीता आथुला
42. सरदारपुरा लड़ाना	43. लालगढ़	44. कुम्भगढ़
45. श्योनाथपुरा	46. गालेर	47. उदयपुरा गोदारान
48. उदयपुर उदासर	49. चक सदानी	50. उदयपुर मुसलमानी
51. गोपालसर बारानी	52. किनोर	53. भोजेवाला
54. पीपासर	55. चक अमरपुरा	56. हरदासवाली बारानी
57. गोविन्दसर	58. रतनीसर	59. नागलिया
60. राजपुरा पीपेरन	61. पदमपुरा	

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-512 की सूची)

जन सम्पर्क अधिकारियों की सूची

सीधी भर्ती	पदोन्नति
1. श्री रामजीवन सिंह कविया	1. श्री दाऊ लाल पुरोहित
2. श्री गोपाल शर्मा	2, श्रीमती पुष्पा व्यास
3. श्री एन. के. मिश्रा	3. श्री किशन लाल शर्मा
4. श्री जय प्रकाश शर्मा	4. श्री रघुवीर सिंह
5. श्री बी. एस. व्यास	5. श्री एस. डी. रत्नू
6. श्री गोपेन्द्र नाथ भट्ट	6. श्री जुगल किशोर शर्मा
7. श्री सईद अहमद खां	7. श्री घनश्याम शर्मा
8. श्री महेन्द्र पारीक	8. श्री मदन लाल गौड़
9. श्री बिशन सिंह सिसोदिया	9. श्री मोहन सिंह टांक
10. श्री बजरंग सिंह शेखावत	10. श्री राजेन्द्र पारीक
11. श्री जितेन्द्र माथुर	11. श्री एस. एस. भाटिया
12. श्री मो. फारुख आफरीदी	12. श्री पी. एल. बोहरा
13. श्री देवदत्त शर्मा	13. श्री श्रीकान्त शर्मा
14. श्री नारायण सिंह राठौड़	14. श्री जगदीश शर्मा
15. श्री फरीद खां	15. श्री प्रभात कुमार सिंघल
16. सुश्री आदर्श शर्मा	16. श्री ईश्वर दत्त माथुर
17. श्री पन्ना लाल मेघवाल	17. श्री बाल मुकुन्द ओझा
18. श्री अशोक कुमार यादव	18. श्री दिनेश माथुर
19. श्री हरीश चन्द व्यास	19. श्री राज कुमार पारीक
20. श्री दिनेश सक्सैना	20. श्री प्रमोद कुमार पारीक
21. श्री श्याम सुन्दर जोशी	21. श्री परम हंस प्रसाद त्रिपाठी
22. श्री प्रहलाद मीणा	22. श्री जयन्ती प्रसाद माथुर
23. श्री राम लाल वर्मा	23. श्री प्यारे मोहन त्रिपाठी
24. श्री विनोद शर्मा	
25. श्री नानग राम बीलूनिया	
26. श्री के. एल. मीणा	

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-517 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	भौतिक प्रगति
1.	स. स. नादोती से भीलापाड़ा	3.7	32.59	3.5 कि. मी. बी.टी. कार्य पूर्ण। 200 मीटर लम्बाई संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में अपूर्ण है।
2.	स. स. गीजगढ़ गुढ़ाचन्द्रजी रोड से बाड़ा	2.6	35.90	कार्य पूर्ण।
3.	स. स. नांद	2.03	17.91	कार्य पूर्ण।
4.	स. स. राजोली	1.83	13.33	800 मीटर डब्ल्यू.बी.एम. कार्य पूर्ण। ग्रामवासियों द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के कारण कार्य अपूर्ण।
5.	स. स. उर्देन	2.35	35.01	कार्य पूर्ण।
6.	स. स. कुड़ावल	4.85	41.47	2 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. पूर्ण। शेष लम्बाई में भूमि विवाद के कारण कार्य वर्तमान में बन्द है।
7.	स. स. झोटवाड़ा	4.10	36.76	आंशिक लम्बाई में मिट्टी का कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। आंशिक लम्बाई में काश्तकारों द्वारा भूमि विवाद के कारण कार्य बन्द है।
8.	स. स. जैसनी	1.80	12.90	कार्य पूर्ण।

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-519 का विवरण)

परिशिष्ट "अं"

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में निर्मित सड़कों की सूची

क्र.सं.	नाम सड़क	विशेष विवरण
1.	स.स. भावपुरा	कार्य पूर्ण।
2.	स.स. बिलेण्डी	कार्य पूर्ण।
3.	स.स. कोटरापार	कार्य पूर्ण।
4.	स.स. फलिया	कार्य पूर्ण।
5.	स.स. भीलवाड़ा नीचा	कार्य पूर्ण।
6.	फूलबड़ौद	कार्य मई, 2002 तक पूर्ण होना संभावित है।
7.	दीलोद	कार्य मई, 2002 तक पूर्ण होना संभावित है।
8.	गगचाना	कार्य मई, 2002 तक पूर्ण होना संभावित है।
9.	गोड़िया मेहर	कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना संभावित है।

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-520 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

VIII 5 DEBARRING/SUSPENSION

After giving notice and recording reasons the enlisting authority may debar/suspend the enlistment of the contractors due to following reasons :

(1) If a contractor does not execute agreement or deposits performance guarantee or does not start the work or complete the work after sanction of the tender, the contractor is liable to be debarred or suspended from participating in retendering of that work or in future tenders and his enlistment may be suspended.

(2) If an enlisted contractor, after having tendered for a work or after negotiations gives unauthorised applications voluntarily vitiating the fair tendering process, he is liable to be debarred in participating in that tender or in future tenders and his enltistment may be suspended.

(3) If a registered contractor being non-tenderer for a work vitiates fair tendering process by submitting application giving his offer after receipt/opening of tenders received after due process his enlistment is liable to be suspended/he is liable to be debarred.

(4) In case of a Co-operative Society/Society, does not get audited his accounts in time.

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जोन-प्रथम, जयपुर

क्रमांक : प.17(तक. जोन-1/लेखा-1/वि.बो /99/67776808 दिनांक : 11.11.99

कार्यालय आदेश

कार्यालय पत्रांक 6365 दिनांक 26.10.99 व तार दिनांक 26.10.99 द्वारा पैकेज संख्या बाड़मेर 01 कार्य की निविदा के क्रम में मै. द्वारका दास दोषी "अ" श्रेणी ठेकेदार को निविदा खुलने के पश्चात् बोर्ड द्वारा बिना मांगे नेगोसिएशन पत्र दिये जाने पर पंजीकरण नियमों के पैरा VIII 5 के अनुच्छेद (2) की पालना में निर्देशानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

उक्त कृत्य नियमों के विरुद्ध है। अतः निर्देशानुसार फर्म को पंजीकरण सूची से एक वर्ष के लिए निविदाओं में भाग लेने हेतु निलम्बन व इस कार्य की निविदाओं में भाग लेने से पृथक किया जाता है।

ह०/-
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जोन-प्रथम
जयपुर।

परिशिष्ट-22

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह-झुंझुनूं)

महोदय,

निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापकों (द्वितीय वेतन श्रृंखला) तथा स्कूली व्याख्याताओं की नियुक्ति किये जाने हेतु 16 एवं 17 अप्रैल को साक्षात्कार लिये जाने हेतु अखबारों में विज्ञापन प्रसारित करवाया था, जिसमें सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी सीटें निर्धारित थीं, परन्तु साक्षात्कार से 5-7 दिन पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 16 एवं 17 अप्रैल को होने वाले साक्षात्कार को निरस्त करके सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के पदों को समाप्त करके सिर्फ एस. सी. एवं एस. टी. के लिए ही सारी सीटें निर्धारित करने हेतु नया विज्ञापन प्रसारित करवाया है।

विगत तीन वर्ष से जब से वर्तमान सरकार शासन में आई है तब से हजारों बेरोजगार युवक उपरोक्त नौकरी की आस लगाये बैठे थे और 16-17 अप्रैल को होने वाले साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहे थे, परन्तु दूसरी विज्ञप्ति जारी करके सरकार ने उनके मुंह से निवाला ही छीन लिया है, जिससे युवा वर्ग में घोर निराशा व्याप्त हो गई है तथा इस नये विज्ञापन से सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकांश अभ्यर्थियों की उम्र पार हो जायेगी जो कि उनके सुखद भविष्य के प्रति घोर अन्याय है।

एस. सी. एवं एस. टी. अभ्यर्थियों के लिए बैक लॉग उन रिक्तियों के विरुद्ध भरा जा रहा है जो कि वर्षों पहले सामान्य व ओ. बी. सी. के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा चुकी हैं इसका खामियाजा यह पीढ़ी क्यों भुगते ?

एस. सी. व एस. टी. के बैक लॉग को एक साथ न भर कर धीरे-धीरे भरा जा सकता है ताकि सामान्य व ओ. बी. सी. के अभ्यर्थियों को भी कुछ सीटें मिल सकें। एस. सी. एवं एस. टी. के बैक लॉग को भरने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी तरह की व्यवस्था किये जाने का निर्णय दिया है। विभाग द्वारा और अधिक रिक्त पड़े पदों पर

नियुक्तियां देकर सामान्य व ओ. बी. सी. वर्ग के अभ्यर्थियों को भी कुछ लाभ दिया जा सकता है।

ऐसे में मैं निवेदन करके शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि वरिष्ठ अध्यापकों व भविष्य में सृजित किये जाने वाले व्याख्याताओं के पदों हेतु एस. सी. व एस. टी. का बैक लॉग धीरे-धीरे भरा जावे व अधिक रिक्त पड़े पदों पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों को नौकरी पाने का अवसर दिये जाने हेतु इन्हें भी साक्षात्कार में सम्मिलित किये जाने हेतु नया विज्ञापन प्रसारित किया जावे।

अजमेर शहर में निजी टेलीफोन कम्पनी द्वारा मनमाने एवं गैर कानूनी तरीके से सड़कों की खुदाई

(श्री ललित भाटी–अजमेर पूर्व)

महोदय,

मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दोनों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से अजमेर शहर के मुख्य मार्गों तथा आवासीय बस्तियों के मध्य मार्गों को बेतरतीब तरीके से खोदने एवं आर्टिकल फाइवर केबल (ओ. एफ. सी.) डालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा हैं जिसकी वजह से अधिकांश शहरी सड़कें खुदी पड़ी हैं और रोजमर्रा का यातायात आवागमन असामान्य हो गया है कई छुट-पुट दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तथा सम्भावनाएं बरकरार है।

नगर परिषद्, अजमेर से इस बारे में जानकारी चाहने पर कि सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं करवायी जा रही है, बताया गया कि उक्त ओ.एफ.सी. डालने का कार्य टेलीकम्यूनीकेशन क्षेत्र की एक निजी कम्पनी जिसका नाम श्याम टेलीलिंक लिमिटेड है द्वारा अनधिकृत रूप से किया जा रहा है। इनके द्वारा नियमानुसार रोड कटिंग चार्जेज की निर्धारित राशि भी जमा नहीं करवायी गयी है। इस कम्पनी का कोई जिम्मेदार अधिकारी भी सम्पर्क में नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अजमेर स्थिति कार्यालय का पता भी नहीं है और ना ही कार्य शुरू करने से पहले किसी ने परिषद् में सम्पर्क किया। परिषद् ने मौके पर काम करने वाले मजदूरों को एक दो बार रोका भी मगर अंजाम कुछ नहीं निकला। राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लाखों, करोड़ों रुपये खर्च

करके जिन सड़कों का निर्माण कराया उन्हें खोदकर सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान निजी कम्पनी द्वारा पहुंचाया जा रहा है।

महोदय इसी श्याम टेलीलिंक लिमिटेड द्वारा केबल डालने के दौरान सड़क नुकसान के साथ-साथ पी.एच.ई.डी. विभाग की पेयजल वितरण हेतु बिछाई हुई पाइप लाइन भी क्षतिग्रस्त की गयी है और इस कम्पनी के विरुद्ध विभाग के सहायक अभियन्ता ने अलवर गेट पुलिस थाना में अलवर गेट, चौराहे पर बीसलपुर जल परियोजना की मुख्य पाइप लाइन क्षतिग्रस्त करने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके क्षतिग्रस्त होने से शहर में पांच दिन तक शहरवासियों को पेयजल वितरित नहीं हो सका, परिणामस्वरूप अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा इस अकेले नुकसान से विभाग को पाइप लाइन मरम्मत में 80 हजार रुपए खर्च करना पड़ा तथा करीब 9 हजार मीटर क्यूबिक पानी व्यर्थ बह गया जिसकी लागत करीब 99 हजार रुपए होती है तथा करीब 1020 लाख लीटर पेयजल का वितरण नहीं किया जो विभाग के अभियन्ता अशोक गर्ग ने यह भी स्वीकार किया है कि कम्पनी द्वारा शहर में करीब 24 जगह पाइप लाइन क्षतिग्रस्त की हैं जिसके जगह-जगह लीकेज होने से काफी पानी व्यर्थ बहा तथा रिपेयर करने में विभाग को सरकारी राशि का खर्चा करना पड़ा।

महोदय मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि तुरन्त प्रभाव से श्याम टेलीलिंक द्वारा बिना स्वीकृति किए जा रहे खुदाई कार्य को रोका जाय तथा पी.एच.ई.डी. विभाग को हुए नुकसान की राशि भी इससे वसूल की जाए तथा राजकीय कोष पर भार नहीं पड़े तथा आगे नियमानुसार स्वीकृति लेने के पश्चात् ही खुदाई कार्य एवं साथ ही साथ मरम्मत कार्य किया जाए ताकि आम नागरिकों को नाहक परेशानी उठानी ना पड़े। धन्यवाद।

बारां के पंचायत मुख्यालय नियाना एवं पलसाना की ग्रेवल सड़क से हो रही परेशानी

(श्री शिवनारायण—बारां)

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र बारां में पं.स. अन्ता ग्राम पंचायत मुख्यालय नियाना एवं ग्राम पंचायत पलसाना की ग्रेवल सड़कें लगभग 3 वर्ष से कच्ची अधूरी सड़कें बिना डामरीकरण के पड़ी हुई हैं जिससे ग्रामवासियों को आने जाने एवं मण्डी तक माल ले जाने में बड़ी

परेशानी रहती है। जबकि ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार एवं कृषि उपज मण्डी समिति के प्रावधान में आता है।

अतः आप ग्राम पंचायत नियाना एवं पलसाना पंचायत हैडक्वार्टर को इसी वर्ष में डामरीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करें ताकि जनता की असुविधा दूर हो सके। धन्यवाद।

सीमावर्ती जिलों में पंचायती राज विभाग के अध्यापकों की सेवा मुक्ति

(श्री वृद्धिचन्द जैन–बाड़मेर)

मान्यवर,

बोनस अंकों के आधार पर की गई नियुक्ति की संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक याचिका दायर की गई।

उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 21 अक्टूबर, 1999 को दिये गये अपने निर्णय में बोनस अंकों के प्रावधान को गलत माना था। राज्य की कुछ जिला परिषदों में इसके बाद भी बोनस अंकों को शामिल करते हुये नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। इस पर कुछ आदमियों ने पुनः उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और एकलपीठ ने इस वर्ष 26 फरवरी को ऐसे शिक्षकों को सात दिन का नोटिस देकर हटाने का आदेश दिया।

पंचायती राज विभाग ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील की। खण्डपीठ ने गत शुक्रवार को अपील खारिज कर दी।

सभी ने ऐसा बताया कि पंचायती राज विभाग ने उच्च न्यायालय के 26 फरवरी, के निर्णय के पालना में पंचायती राज विभाग ने करीब दो साल पहले बोनस अंकों के आधार पर तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। उनकी नियुक्ति के दौरान तैयार की गई योग्यता सूची की समीक्षा भी कर दी है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करे।

उक्त शिक्षकों को हटाने की कार्यवाही ने बाड़मेर जिला जो पिछड़ा हुआ है, के शिक्षकों में भयंकर असन्तोष छाया हुआ है।

जो प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक हैं वे बाड़मेर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने की मांग कर रहे हैं जो उनकी मांग प्रत्येक दृष्टि से उचित है।

अतः राजस्थान सरकार पंचायत समिति जिला परिषद सलेक्शन कमीशन जो सन् 1959 में शुरू हुआ था, को कायम करे जिसमें वरिष्ठ आई. एस. अधिकारी चेयरमैन हो और विभिन्न जिलों के प्रमुख और कलक्टर सदस्य हों, जो अध्यापकों का चयन करे और बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर जिलों को पिछड़े जिला डूंगरगढ़ एवं बांसवाड़ा, जिलों के अनुसार घोषित किया जावे ताकि उच्च न्यायालय के निर्णय से वे प्रभावित न हों।

श्रीगंगानगर के सहकारी काटन काम्पलैक्स हेतु वित्त व्यवस्था

(श्री राधेश्यम गंगानगर–श्री गंगानगर)

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कृषि प्रधान जिला श्रीगंगानगर में कपास के भरपूर उत्पादन को देखते हुए सहकारी क्षेत्र में काटन-काम्पलैक्स की स्थापना की गई थी। इस संस्थान से कपास उत्पादकों को तो लाभ मिला ही साथ ही अनेक लोगों को रोजगार भी मिला। प्रशासनिक अव्यवस्था तथा अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह संस्थान घाटे में जाने लगी। सरकार ने सूझबूझ से घाटा दूर करने की बजाए इसे बन्द कर दिया। इससे किसानों व मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं तथा दर-दर की ठोकरे खाते हुए फिर रहे हैं।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि काटन काम्पलैक्स श्रीगंगानगर को शुरू करने के लिये धन की व्यवस्था की जावे, जिससे हजारों श्रमिक बेरोजगार न हों तथा कपास उत्पादकों को भी उपज का उचित मूल्य मिल सके। सधन्यवाद।

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्युत समस्या

(श्री ज्ञानदेव आहूजा-रामगढ़)

महोदय,

उपरोक्त नियमान्तर्गत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में बिजली की विशेष रूप से आ रही समस्या एवं अवरोध के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रामगढ़ आधे विधान सभा क्षेत्र कस्बा गोविन्दगढ़ एवं आसपास की 14 पंचायतों में बिजली जी.एस.एस. नगर जिला भरतपुर से आती है तथा शेष रामगढ़ क्षेत्र में बिजली मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के जी.एस.एस. 132 के.वी. से आती है, जिसके कारण भरतपुर जिले के नगर 132 के.वी. से एवं रामगढ़ क्षेत्र के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में बार-बार अवरोध आता है जिसके कारण पूरे विधान सभा क्षेत्र में औसत 2 ढाई घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती है। किसान एवं आम नागरिक बहुत ही परेशान रहता है।

अतः प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन कर रहा हूं कि रामगढ़ में जी.एस.एस. 132 के.वी. का शीघ्र आदेश कर निर्माण करवाया जाये। साथ ही जब तक रामगढ़ के जी.एस.एस. का निर्माण नहीं हो तब तक कम से कम गोविन्दगढ़ क्षेत्र को लक्ष्मणगढ़ जी.एस.एस. से जोड़ने के आदेश दिये जावें। यह कार्य अति आवश्यक है। कृपा कर इसे शीघ्रता से क्रियान्वित करने का कष्ट करें ताकि जनता को राहत मिल सके।

जहाजपुर की विद्युत व्यवस्था हेतु जी. एस. एम. का निर्माण

(श्री रतनलाल ताम्बी-जहाजपुर)

मान्यवर,

सादर अनुरोध है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था से जनता हमेशा किल्लत से प्रभावित रहती है, इस बाबत बार-बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी स्थिति यथावत है। अतः निम्नांकित जी.एस.एस. इस क्षेत्र में स्थापित किये जाये।

1. 132 जी.एस.एस. जहाजपुर मुख्यालय पर
2. 33 के.वी. सब स्टेशन

   (1) रोपा (जहाजपुर)

   (2) भगुनगर (जहाजपुर)

   (3) बिरधोल अथवा रासीड (काटेडी, विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर)

3. (1) शक्करगढ़ 33 के.वी. की लाइन खजूरी से बिछाने से वहां स्थिति खराब रहती है इसको जहाजपुर से जोड़ा जावे।

(2) जोहर बालापुरा लाइन को शक्करगढ़ से जोड़ा जाकर वर्तमान में दलपुरा खेरूना से जोड़ी हुई से समस्या मिटाना आवश्यक है।

जहाजपुर तहसील के ग्रामों के देवली हिण्डौली तथा पारोनी से जोड़ने से उनको हो रही कठिनाई को दूर करने हेतु आमरवासी तथा पंडेर से जोड़ा जाकर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के अन्तर्गत विद्युत प्रसारण की व्यवस्था किये बिना अन्य स्थानों के नियंत्रण से हो रही परेशानी से राहत दिया जाना आवश्यक है।

कृपया उपरोक्त समस्याओं पर तथा सुझावों पर व विद्युत मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर त्वरित समाधान का अनुरोध कर रहा हूं। साथ ही वर्तमान में छात्रों की परीक्षाओं को देखते हुये जहाजपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय जिससे पेयजल आपूर्ति में भी व्यवधान नहीं हो।

रामगढ़ (चूरू) की नरड़िया जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा

(श्री नन्दलाल पूनिया–सादुलपुर)

मान्यवर,

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि राजगढ़ (चूरू) में मुस्लिम समुदाय एक जाति नरड़िया निवास करते हैं। जिनकी आबादी करीब 5000 है। ये सारे कायम खानी समुदाय के हैं। जो गहलोत, खींची, चौहान आदि उप जाति के हैं।

इनके पूर्वज काफी वर्ष पूर्व नरहड (झुंझुनूं) से आकर राजगढ़ बसे थे। नरहड से आकर बसने पर इनको "नरडिया" के नाम से पुकारा जाने लगा जबकि नरडिया कोई जाति नहीं है। उपरोक्त जाति के लोग अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश राजगढ़ तहसीलदार इनको अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर रहा है। जिससे ये लोग अन्य पिछड़ा वर्ग की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तहसीलदार का कथन है कि नरडिया जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में नहीं है। जबकि हमारा कथन है कि नरडिया कोई जाति नहीं है। ये वास्तव में कायम खानी हैं। राजस्व रिकार्ड में भी पूर्व में ये कायम खानी दर्ज हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार, तहसीलदार राजगढ़ (चूरू) को निर्देश दे कि वह राजगढ़ के मुसलमानों को जो कि कायमखानी है उनके अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करें। धन्यवाद।

टौंक की ईसरदा बांध परियोजना

(श्री दिग्विजय सिंह-उनियारा)

मान्यवर,

जिला टौंक में राज्य की बीसलपुर बहुद्देशीय योजना पूर्ण हो चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत इसकी भराव क्षमता 315 मीटर है और 30 प्रतिशत पानी सिंचाई हेतु निर्धारित है 70 प्रतिशत पीने के पानी हेतु सुरक्षित रखा गया है। इस वर्ष इसका भराव 309 मीटर रोका गया और आज भी इस बांध में 307.4 मी. पानी भरा हुआ है।

अभी कुछ दिनों पूर्व टोडारायसिंह व देवली तहसीलों के काश्तकारों द्वारा मांग की गई है कि अकाल की भयंकर स्थिति को देखते हुए ग्रामों में पशुधन व पीने के पानी हेतु नहरों में पानी छोड़ा जावें और टोडारायसिंह में काश्तकारों द्वारा धरणा दिया और माननीय चन्द्रभान जी ऊर्जा मंत्री ने वहां पहुंच कर यह आश्वासन दिया कि बीसलपुर बांध का पानी सिंचाई हेतु पहले जिले वालों को दिया जावेगा और जयपुर शहर को पीने के पानी हेतु 1100 करोड़ की राशि लगेगी वह राज्य सरकार वहन नहीं कर सकेगी, इसलिए "ईशरदा बांध" जिसे केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय व सिंचाई विभाग राजस्थान को इसके निर्माण हेतु इसकी स्वीकृति दे दी है और शीघ्र ही सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू हो जावेगा, जिससे हमको "बीसलपुर" परियोजना का पानी और उपलब्ध होगा। श्री ऊर्जा मंत्री महोदय के इस आश्वासन के बाद कि "ईशरदा बांध" का निर्माण होगा और जिले को पानी मिलेगा, इस पर वहां पर उपस्थित धरणार्थियों ने अपना धरणा समाप्त कर दिया।

मैं यहां पर यह और उल्लेख करना चाहूंगा कि केन्द्र जल-संसाधन मंत्रालय ने व हाइड्रोलोजिकल विभाग ने भी इस बात को माना है कि जयपुर शहर की पीने के पानी का स्थाई हल "ईशरदा बांध" के निर्माण से ही होगा, और इसके निर्माण के बाद सन् 2051 तक की आबादी को देखते हुए पर्याप्त होगा और "चम्बल नदी" जो कि इसके नीचे बहती यदि उससे "लिफ्ट कर इस बांध (ईशरदा) में जल दिया जावेगा तो जयपुर शहर का स्थाई हल हो सकता है। इस बांध की लागत सन् 1992 में 192 करोड़ की लागत थी और जलदाय विभाग व सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंताओं की बैठक हुई थी और उसमें स्वीकार है।

अतः मेरा अनुरोध है कि "ईशरदा बांध" की योजना का कार्य शीघ्र हाथ में लिया जावे और "बीसलपुर परियोजना" का पानी दोनों तहसीलों, टोडारायसिंह व देवली हेतु पशुधन व पीने के पानी हेतु छोड़ा जावें, अतः नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद।

त्वरित न्यायालय का जिला मुख्यालय चूरू पर स्थानान्तरण

(श्री राजेन्द्र राठौड़-चूरू)

महोदय,

मैं विधि मंत्रीजी का ध्यान हाल ही में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार त्वरित व शीघ्र न्याय मिले, वर्षों से लम्बित मुकदमों का निश्चित समयावधि में निपटारा हो कि भावना से खोले गये। त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) को चूरू जिला मुख्यालय के स्थान पर रतनगढ़ खोले जाने के अदूरदर्शिता के लिए सरकार के निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को 40 त्वरित न्यायालय खोले जाने हेतु 24 करोड़ रुपये की स्वीकृति वर्ष 2000-2001 में दी। सरकार ने 24 त्वरित न्यायालय प्रदेश में स्वीकृत भी कर दिये। प्रदेश में जितने त्वरित न्यायालय खुले हैं सभी जिला मुख्यालय पर खुले हैं मात्र चूरू जिले में ही स्वीकृत न्यायालय को सरकार ने रतनगढ़ में खोला है जो अदूरदर्शिता का निर्णय है। क्योंकि चूरू जिला मुख्यालय होने के साथ उसके समवर्ती तारानगर, सरदार शहर, राजगढ़, रतनगढ़ की दूरिया कुल 80 किलोमीटर के लगभग है।

रतनगढ़ के अति. न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में वर्तमान में तीन तहसील रतनगढ़, सुजानगढ़ व डूंगरगढ़ हैं। सुजानगढ़ में सरकार ने अति. न्यायाधीश के कैम्प कोर्ट के आदेश जारी कर दिये हैं तथा डूंगरगढ़ तहसील 1 अप्रैल से बीकानेर जिले में चले जाने से रतनगढ़ अति. न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में मात्र रतनगढ़ तहसील ही रह जायेगी। वर्तमान में चूरू, सरदारशहर, तारानगर, राजगढ़ के लगभग 450 मुकदमे जिला एवं सत्र न्यायालय में वर्षों से लम्बित हैं।

चूंकि चूरू अभिभावक संघ विगत एक माह से इस न्यायसंगत मांग हेतु आन्दोलनरत है। अतः मेरा विधि मंत्रीजी से आग्रह है कि कृपया त्वरित न्यायालय का स्थान रतनगढ़ की जगह चूरू करने का कष्ट करें।

सीकर शहर में सीवरेज के अभाव से उत्पन्न स्थिति

(श्री राजेन्द्र पारीक-सीकर)

महोदय,

सीकर शहर अपनी खूबसूरत बसावट के साथ शेखावाटी अंचल में अपना विशिष्ट स्थान रखता है एवं तत्कालीन शासकों द्वारा वर्षों के जल निकासी हेतु खुले नाले के रूप में व्यवस्था की थी। समय परिवर्तन के साथ-साथ इन खुले नालों में लोगों ने अपने शौचालयों के नाले डाल दिये एवं चारों और के खुले स्थानों एवं तालाबों में समाहित होने वाले वर्षों के जल को भी हाल ही में हुये जो अतिक्रमण एवं निर्माण ने बाधित किया है एवं वर्तमान में बढ़ती हुई आबादी के दबाव से भी इन खुले नालों में गन्दा पानी हर वक्त पड़ा रहता है जिससे भयंकर प्रदूषण की स्थिति बन गई है एवं कई स्थानों पर तो आम जन का रहना दुभर हो गया है। एक ओर जहां वातावरण प्रदूषित हो रहा है वहीं भयंकर मच्छरों के आतंक से बीमारियों का प्रकोप हर वक्त बना रहता है।

बढ़ती हुई आबादी का दबाव सबसे ज्यादा शहर के परकोटे की आबादी पर पड़ा है एवं लोगों ने जहां खुले नालों का अभाव है वहां पर शाकपिट 50 गहरे गड्डे खोद कर अपने शौचालयों को इसमें जोड़ रखा है। आज हालात यह बनते जा रहे हैं कि जहां सीकर शहर का भू-जल उच्चगुणवत्ता लिए पीने में मीठा एवं औषधि के समान था इन गहरे गड्डों से रिसते जल के कारण धीरे-धीरे प्रदूषित होता जा रहा है और यही हालांत रहे तो भू-गर्भ जल की प्रचूरता के बावजूद भी यहां के कुओं एवं ट्यूबवैल का जल पीने योग्य नहीं रह जायेगा एवं आने वाला समय गंभीर पेयजल संकट का होगा एवं साथ ही इन गहरे गड्डों से रोजमर्रा होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है एवं इन दुर्घटनाओं में अब तक 6 लोगों की जानें जा चुकी हैं।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान वर्षा के जल से होने वाले नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिससे शहर में कई जगह 5 से 7 तक पानी भरा रहता जो 6, 7 घंटों तक शहर के मुख्य मार्गों को अवरुद्ध रखता जिससे न केवल आम जन के आवागमन को बाधित करता बल्कि लोगों की दुकानों एवं मकानों में लाखों रुपयों के नुकसान से पूरे सीकर को त्रस्त करता है। श्रीमान्, वर्षा के इस रुके हुये पानी से इसके आसपास चलने वाली सारी स्कूलें न केवल बन्द रहती हैं बल्कि कई बार तो स्कूल के समय होने वाली बरसात से अभिभावकों के सामने भी बड़ी चिन्ता पैदा कर देती है।

मैं आपके माध्यम से जन स्वा. अभियांत्रिकी मंत्री एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर के पेयजल को प्रदूषित होने से बचाने एवं आम नागरिकों को होने वाले आर्थिक नुकसान एवं भीषण असुविधा से बचाने के लिए तत्काल समन्वित रूप से इसके लिए ड्रेनेज कम सीवरेज की स्कीम बनवाने एवं समय रहते चाहे नाबार्ड से, चाहे हुडको से लोन आदि की व्यवस्था करके इस योजना को मूर्त रूप दें ताकि भविष्य में विकट समस्या का रूप धारण करने वाली इस विषम परिस्थितियों से शहरवासियों को राहत दी जा सके। सादर।

राज्य में कुछ स्थानों पर साम्प्रदायिक सद्‌भाव बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति

(मोहम्मद माहिर आजाद-नगर)

महोदय,

पिछले कुछ समय से राजस्थान के कुछ स्थानों फलौदी, मालपुरा के बाद नसीराबाद, सुजानगढ़, लोसल, लक्ष्मणगढ़, हिंगोनिया, पीपाड़ व ब्यावर आदि स्थानों पर कुछ अराष्ट्रीय व साम्प्रदायिक तत्व प्रदेश को भी एकता एवं भाईचारे को बिगाड़ने की विध्वंसत्मक कार्यवाही कर रहे हैं। उत्तेजन वाली भड़काऊ पर्चे वितरित कर माहौल को खराब कर रहे हैं जिससे तनाव व कर्फ्यू तक की नौबत आ रही है।

दोषी लोगों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से कमजोर व अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। अतः मैं माननीय गृह मंत्रीजी व सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि असामाजिक तत्वों व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही कर लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने व विघटनकारी कार्यवाही को रोकने का कष्ट करें।